राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९६४ का २७ वां दिवस [संख्या २०

बुधवार, दिनांक १८ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, शक्ति, सार्वजनिक निर्माण, वन, विकास, वित्त, जन-सम्पर्क, उद्योग, आबकारी पंचायत एवं न्याय विभाग]

नाले को पक्का बनाने की मंजूरी तथा पुलियों की मरम्मत, पंचायत समिति, लाडपुरा।

४८७. कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दिगौद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या ग्राम पंचायत, जाखोड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा-जाखोड़ा केथून के रास्ते के नाले को पक्का बनाने की मन्जूरी हुई है ? यदि हां, तो अब तक काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम अबेपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के पास होकर एक नाला निकला है जिस पर पहले से पुलिया बनी हुई है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि यह पुलिया अब खराब हो गई है जिससे रास्ता आम बन्द होने का अन्देशा है ? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं इसकी मरम्मत करवाई जाती है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :- (क) जी हां। कार्य लगभग पूरा हो गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। पंचायत समिति के पास इस कार्य के लिए रकम नहीं है।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : रकम क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

Page No. 2

कस्बा सूरोठ में बिजली

४८८. श्री अगुणलाल (हिन्डौन) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (गाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कस्बा सूरोठ में बिजली पहुंचाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(२) क्या यह सच है कि दूसरे कई जिलों में बहुत छोटे-छोटे गांवों में बिजली पहुंच चुकी है ?

(३) क्या यह भी सच है कि यहां की जनता अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए बिजली की इच्छुक है ?

(४) क्या यह भी सच है कि बयाना तक बिजली पहुंच चुकी है ?

(५) यदि हां, तो सरकार सूरोठ में बिजली पहुंचाने के बारे में क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) अभी कोई योजना नहीं है।

(२) जी हां।

(३) यह सही है कि बिजली के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि होती है।

(४) जी हां।

(५) अभी तक कोई योजना नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब कि यह आपके क्राइटेरिया में आता है तो क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि या तो ५ हजार की आबादी के कस्बे हों या गांव हों, जिनके लिए लोकल डिस्ट्रिब्यूशन के नीचे योजना है या जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नीचे बिजली ले जाने की योजना हो जहां पर कि हमको बिजली ले जाने जाने से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा निर्धारित रेट है उसके अनुसार आमदनी हो तो बिजली ले जाने की योजना है। यह दोनों योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए नहीं दी गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इस गांव के कितनी दूर पहुंच गई है, बिजली ?

श्री चन्दनमल बैद : निश्चितरूप से नहीं कह सकता इस वक्त।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां से दो मील की दूरी पर बिजली पहुंच गई है और वहां के लोगों ने बिजली लेना प्रारम्भ कर दिया है। यह कितनी दूरी पर रहता है ?

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई निश्चित नियम है ? हर वक्त इस तरह के प्रश्न आते हैं। माननीय सदस्यों को यह निश्चित मालूम हो जाय कि इस इस जगह पर काम हो सकता है और इस परिस्थिति में नहीं हो सकता है। यह रूल है कि इतनी पॉपुलेशन हो या इतने हॉर्स पॉवर्स तक किलोवाट्स की डिमाण्ड होनी चाहिए। इस तरह की एक विज्ञप्ति सरकार की ओर से हो जाय।

Page No. 3

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जहां तक एक्सटेंशन से डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है वहां पर ५००० की पॉपुलेशन होनी चाहिए तो एक्सटेन्शन से डिस्ट्रिब्यूशन होता है। उसके अलावा अगर लाइन कहीं से निकले और वह ११ की लाइन हो और उसके दो-एक मील के अन्दर एग्रीकलचरल लोड हो और उसका रिटर्न १५ पर्सेन्ट के आसपास आता हो तो वहां पर बिजली जरूर दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विज्ञप्ति आप निकाल दें ताकि सामान्य जनता और पंचायतों को मालूम हो जाय। उस हिसाब से अगर वे साधन जुटा सकते हों तो अच्छी बात है।

श्री अमरसिंह (दूदू): क्या लाइन लाने के लिए किसानों को रुपया जमा कराना पड़ता है तो वह कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? यह आप बतला सकते हैं क्या?

श्री हरिश्चन्द्र: पैसा जमा कराने का सवाल नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर रिम्युनिरेटिव लाइन नहीं है तो पैसा भरने का सवाल आता है और अगर लाइन रेम्युनिरेटिव है तो पैसा भरने का सवाल नहीं आता है।

रेस्ट हाउस-सांचोर

४८६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

(1) Is it a fact that in Sanchore at present there is a single bed room Rest House?

(2) Is it a fact that in such a lonely place single bed-room Rest House is most insufficient and usually Government Officers experience great difficulties for accommodation at Sanchore? If yes, does the Government propose to add two more rooms in the above Rest House to remove the said difficulty? If not, why not?

(3) Is the Government also intending to provide funds to construct more rooms in Sanchore Rest House in the coming year?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां।

(२) अपर्याप्त है। जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

(३) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार इसको प्रेस करके मन्जूर कराने का प्रयत्न करेगी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: यह आप जी० ए० डी० से बात करिये। हमारा काम तो एस्टीमेट तैयार करने का है। वह पैसा देंगे और मन्जूरी देंगे तो बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिप्रसाद।

वन विभाग, बूंदी द्वारा चराई का ठेका तथा उससे आमदनी

४९०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा ऊंटों व बकरियों की चराई के ठेके दिये जाते हैं?

Page No. 4

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) यदि हां, तो बूंदी जिले में विभाग द्वारा कौन सी रेन्ज में कितने रुपयों में ठेका किस किस व्यक्ति को दिया गया है ?

(३) वन विभाग द्वारा बूंदी जिले में सन् १९५८ से लगाकर १९६३ तक कौन से साल में कितनी रकम ठेके से प्राप्त हुई है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या यह सही है कि अब्दुल मजीद ठेकेदार को ऊंटों की चराई का ठेका १० हजार रुपये में दिया गया है जब कि गत वर्षों में इसकी आमदनी २५ हजार से अधिक हुई थी ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त ठेका देने से पहले करीब १५ हजार रुपये डिपार्टमेन्ट द्वारा वसूल कर लिये गये थे ?

उप-मंत्री (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी हां, और परमिट भी ।

(२) बूंदी जिले में पहली बार सारे डिविजन का १९६२-६३ का ठेका श्री अब्दुल मजीद के नाम १०,१००) रु० में स्वीकृत हुआ था ।

(३) बूंदी में चराई का ठेका प्रथम बार ६२-६३ में नीलाम किया गया जिसमें सब से ऊंची बोली १०,१००) रु० आई थी । इससे पहले चराई विभाग द्वारा ही वसूली की जाती थी । तालिका संलग्न है ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तालिका आपने दी है उसके अनुसार पता लगता है कि जिस साल ठेका दिया उस साल १५ हजार रुपये जमा हो चुके थे और ठेका फिर १०,०००) रु० में दिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सबसे ऊंची बोली आती है तो ठेका दिया गया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : १५,०००) रु० डिपार्टमेन्ट ने वसूल किया और ठेका बाद में दिया गया है १०,०००) रु० के लिए । आपका कहना स्पष्ट है तो जानकारी चाही है कि ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ठेका जितनी बोली पर दिया जा सकता था उस से बोली नीचे आई तो दुबारा बोली बोली गई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ठेका बाद में दिया गया और डिपार्टमेंट में १४,०००) रु० पहले जमा हो गये और बाद में बोली लगी और १०,०००) रु० में ठेका दे दिया गया जब कि डिपार्टमेन्ट में १५,०००) रु० जमा हो गये थे । इतने कम में ठेका क्यों दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक बार बोली बोली गई वह कम आई इसलिये दुबारा बोली बोली गई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब ज्यादा रकम वसूल हो जाती है तो कम में ठेका क्यों दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अब ठेके दिये जाने बंद कर दिये गये हैं ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ठेका देने से पहले डिपार्टमेन्ट में १५,०००) रु. कैसे वसूल हुए ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैं अलग-अलग साल के आंकड़े दे चुका हूं। किसी साल में कम किसी साल में ज्यादा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : डिपार्टमेन्ट ने जब १५,०००) रु० वसूल कर लिये........

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १५,०००) वसूल नहीं किये सिर्फ ६,०००) जमा हुए थे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या उक्त ठेकेदार ने सरकार पर मुकदमा दायर किया है कि उसको पैसे वापिस दिये जायं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसने पैसे की मांग की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि ६१-६२ में जब अमानी से जंगलात दिये जाते थे उस समय १४,०००) आते थे ? यदि हां, तो फिर क्या जरूरत थी ठेके दिये जाने की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उस साल सभी जगह ठेके दिये गये थे इसलिये वहां भी दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठेके देने की नीति क्यों बनाई गई जब कि अमानती से पैसा ज्यादा मिल रहा था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अलग-अलग सालों में अलग-अलग रुपये आते थे।

गृह-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : ठेके देने की नीति इसलिये, बनाई गई कि किसी जंगल में अमानी पर रुपया ज्यादा मिलता था किसी में कम मिलता था और ठेकों से ज्यादा रकम मिलने की संभावना थी इसलिये, दिये गये अब सरकार ने और राज्यपाल महोदय के भाषण में कह दिया गया है कि ठेके नहीं दिये जायेंगे और कल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि ओन सोसियल ग्राउन्ड्स अब ठेके नहीं दिये जायेंगे।

प्रश्न संख्या ४६१

श्री अध्यक्ष : रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६२

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

सिनेमाघरों एवं थियेटरों पर बिजली की बकाया

४६३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) राजस्थान के किन-किन सिनेमाघरों एवं थियेटरों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कितना रुपया कब-कब से बकाया पड़ा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या बिजली की बकाया रकम को चुकाने के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको निरन्तर कानून के अनुसार नोटिस दिये जाते रहे हैं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(३) यदि हां, तो क्या उक्त नोटिस दिये जाने के बाद आज तक बिजली की रकम नोटिस के बाद न चुकाने के कारण किसी भी सिनेमाघर का बिजली का डिसकनेक्शन भी किया गया ? यदि हां, तो किस किस सिनेमाघर का व किस-किस तारीख को ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्रीचन्दनमल बैद) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पर अभी तक अलवर जिले से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी हां।

(३) उपरोक्त सूची में ही दिखाया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रश्न के तीन भाग हैं। तीसरे का जवाब नहीं दिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : तीनों का जवाब दिया है। पहले का जवाब सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) उपरोक्त सूची में ही दिखाया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपने नं० ५ पर जो रायसिंहनगर का सिनेमा दिखाया है उसमें आपने लिखा है कि सप्लाई १३-४-६४ को बंद कर दी गई।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, यह १३-४-६२ है, ६४ नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : खैर यह तो गलती है। दूसरी बात यह बतावें कि तेज सिनेमा अलवर में कोई रकम बकाया नहीं है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अलवर से सूचना मेरे पास लेट आई है। दूसरी सूची मैंने दी है वह पहुंच गई होगी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी है वह आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

तेज टाकीज अलवर में ५८,०००) रु० बाकी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सारे राजस्थान के सिनेमाघरों में जो बकाया इन्होंने बताई है अध्यक्ष महोदय, वह ८-१० हजार रुपये हैं और अकेले तेज टाकीज अलवर में ५८,०००) रु० बाकी बता रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जिस सिनेमा में सिर्फ ३५४) रु० बाकी थे उनकी बिजली की सप्लाई आपने बंद कर दी है और जिसमें ५८,०००) बाकी हैं तेज टाकीज, अलवर में उसकी इलेक्ट्रीसिटी की सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : रेट ओफ पावर सप्लाई के बारे में डिस्प्यूट था उसका फैसला नहीं हुआ क्योंकि एक बार सप्लाई डिस्कनेक्ट भी करदी गई थी। उस डिस्प्यूट का फैसला तय हो जायगा तब वसूली करली जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये ५८,०००) कितने वर्षों से पाइल-अप हो रहे हैं ? डिस्प्यूट किस बात का है ?

श्री चन्दनमल बैद : रेट का।

Page No. 7

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो रेट वे मांगते है क्या उस रेट पर उन्होंने पेमेन्ट किया है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता चुका हूं कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के सिनेमाघरों की सूचना मुझे अभी-अभी मिली है। मैं जवाब तो यह दे रहा था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के अलावा सूची सदन की मेज पर रख रहा हूं, लेकिन क्योंकि अलवर की सूचना मुझे अभी मिल गई इसलिये उसकी सूचना दे दी। अगर इस बारे में कुछ गड़बड़ है तो मैं और जांच कर लूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को अभी पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : इस सिनेमाघर के बारे में और भी प्रश्न आये हैं और माननीय सदस्य ने भी ध्यान दिलाया है इसलिये जल्दी ही इस बारे में निर्णय कर लिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : किस बात का डिस्प्यूट है इसका पता लगा कर मैं लिखित उत्तर माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह डिस्प्यूट कितने वर्षों से पेन्डिग है जिससे आपके बोनाफाइड तो मालूम पड़े। तीन साल से पेन्डिग है या ज्यादा साल से पेन्डिग है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं सारी बातों की लिखित सूचना आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : सूचित तो करेंगे उसके साथ ही रिकवरी करना भी आवश्यक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सप्लाई आज डिसकनेक्ट हो जाय तो सिनेमाघर कल पैसे देदें, लेकिन उसके खिलाफ कार्यवाही करना नहीं चाहते। ये ५८ हजार रुपये कई वर्षों से पेन्डिग है। पांच साल और निकाल देंगे ६८ तक।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत्-मंत्री) : ५ साल से निकलने का सवाल नहीं है। रेट के ऊपर उसका कहना है कि जिस रेट से चार्ज करना चाहिये उसमें और मेरे एग्रीमेन्ट में फर्क है। उसका निर्णय करने के बाद उससे जो रकम होगी वह ले ली जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस रेट से कितना पेन्डिग है। यदि १० पैसे कम चाहते हैं तो उस हिसाब से तो वह पैसा जमा करावे ?

विधि-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वह लीगली रोंग होगा, मैं बता दूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : अंडर प्रोटेस्ट जमा हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ ऑफ स्टोपल है। गवर्नमेंन्ट को चाहिये कि उसको जितना वसूल करना है उतना वसूल करे। वह बाद में रिफन्ड मांग सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं चाहूंगा कि एक महीने में इसका फैसला कर दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान में पचासों सिनेमाघर होंगे उनमें से हमारी सूचना के अनुसार २१ में पैसा बाकी है। यदि माननीय सदस्य को यह ऐतराज था

(श्री चन्दनमल बद)

और अलवर के बारे में पूछना चाहते थे तो स्पेसिफिक क्वश्चन अलवर के बारे में उनको पूछना चाहिए था। १८ सिनेमाघरों के बारे में मेरे पास सूचना कल रात को आगई थी और तीन की अभी आई है। मेरे लिये यह बताना मुश्किल है कि किस सिनेमा में क्या डिस्प्यूट है। इस सिनेमाघर के बारे में क्या डिस्प्यूट है इसकी सूचना मैं लिखित-रूप से माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

कृषकों को दिये गये ऋण की वसूली

४९४. श्री जुझारसिंह (पेचट) : Will the Minister for Community Development please reply:—

(1) Is it a fact that loans advanced by the Panchayat Samitis under various heads are recovered through the Revenue Agencies and that a Consolidated list of loans advanced to the cultivators over the past years have been sent to the Tehsils for recovery in Sangod and other Tehsils in one instalment ?

(2) Does the Government not realise that is would not be possible for the cultivators to pay of the accumulated dues in one instalment now ?

(3) If so, what does the Government propose to do in such cases of realisation in Tehsil Sangod and other Samitis of Kota Division.

उप-मंत्री, सामुदायिक विकास (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : (१) जी हां। पंचायत समितियों के ऋण की वसूली राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है। गत वर्षों में दिये गये ऋण की एक साथ वसूली के लिए तहसीलों को केवल उन्हीं काश्तकारों के लिए लिखा गया जिन्होंने ऋण का शर्त के अनुसार उपयोग नहीं किया। पंचायत समिति सांगोद ने चढ़ी किश्तों की इकजाई मांग दिसम्बर १९६२ में तहसील सांगोद को भेजी लेकिन वसूली एक मुश्त नहीं की जा रही है।

(२) जी हां।

(३) जिन व्यक्तियों ने ऋण का सही उपयोग नहीं किया है उनसे पूरी वसूली एक साथ होनी चाहिए। सांगोद में जहां चढ़ी हुई किश्तों की मांग इकजाई बना कर भेजी गई है, वहां वसूली एक मुश्त में नहीं की जा रही है।

श्री जुझारसिंह : दूसरी जगह वही हाल है। आपने फरमाया कि जिन काश्तकारों ने ऋण का उपयोग नहीं किया है या जिस काम के लिए तकावी दी है उस काम में नहीं लिया है उससे एक मुश्त ली जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऋण का सदुपयोग किया उनके लिए डिमान्ड स्लिप्स समय पर नहीं दी गई। पंचायत समितियों ने चार पांच साल तक डिमान्ड स्लिप्स तहसील में नहीं भेजी और जब तहसील में स्लिप्स भेजी तब तहसील ने एक साथ ड्यूज वसूल करना शुरू किया। एक साथ ऋण चुकाने में किसानों को असुविधा होती है। जैसा कि आपने बताया कि डिफाल्टर्स से ही एक साथ वसूली की जाती है, यह सही नहीं है, सभी से एक साथ वसूली की जा रही है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब कलेक्टर के नोटिस में यह बात आई कि वसूली नहीं हो रही है तो उन्होंने एक साथ वसूल करने का आदेश तहसील को दे दिया।

श्री जुझारसिंह : इसमें ड्यूज नहीं देने वालों का कसूर नहीं है। डिमान्ड स्लिप्स चार पांच साल बाद दी गई है। यदि जल्दी मिल गई होती तो जल्दी ड्यूज दे देते। पांच छः सालों तक डिमान्ड स्लिप्स नहीं पहुंचे और ड्यूज एक्यूमुलेट हो तो किसान इस पोजीशन में नहीं है कि वे एक साथ दे सके। इसलिए स्टे करके सहूलियत से दे सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। जो लोग डिफॉल्टर नहीं है, जिन्होंने ऋण का सही उपयोग किया है उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ऐसा कोई मामला हो तो देख लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ४९५।

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड में राज्य सरकार के शेयर्स

४९५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा पूछा गया] : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कोटा, राजस्थान में राज्य सरकार के किस-किस प्रकार के कितने शेयर्स हैं ?

(ख) इस कम्पनी में सरकार की ओर से कब-कब कौन-कौन अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं और जिस-जिस समय नहीं रहे, वह क्यों ?

(ग) इस कम्पनी से राज्य सरकार को अब तक कितना-कितना डिविडेन्ड किस किस वर्ष में मिला है और कितना और किस किस वर्ष के डेविडेन्ड का भुगतान बाकी है ?

(घ) इस कम्पनी की शेयर केपिटल कितनी है तथा अब यह कम्पनी कितनी पूंजी पर चल रही है ? यदि पूंजी कम है तो उसके कारण क्या हैं ?

उप-मंत्री, वित्त (**श्रीमती कमला बेनीवाल**) : (क) कोटा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कोटा में सरकार के :–

(१) ११,००० सामान्य हिस्से से १० रुपये प्रति हिस्से की दर से १,१०,००० रुपये के।

(२) ८०० अधिमान्य शेयर्स १०० रुपये प्रति शेयर की दर से ८०,००० रुपये के।

(३) २००० विलम्बित शेयर्स ५ रुपए प्रति शेयर की दर से १०,००० रुपये के हैं। इस प्रकार कुल शेयर २ लाख रुपये के हैं।

(ख) सरकार द्वारा नीचे लिखे अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं :–

(१) पं० त्रिलोकीनाथ जी १९४७ से १९४९ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज।

(२) राय बहादुर श्री केसरीसिंह, कमिश्नर कोटा १९४९-५०।

(३) कमिश्नर कोटा, १९५०–५२।

इसके बाद कम्पनी ने मनोनयन स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब मोनीपोली

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
समाप्त कर दी गई तो मनोनयन का अधिकार भी खत्म हो गया।

(ग) सरकार को अभी तक डिवीडेंड प्राप्त नहीं हो सके हैं, सरकार ने इसकी वसूली के लिए एक मुकद्दमा कोटा न्यायालय में ११ मई १९६३ से दायर कर रखा है जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

(घ) इस कम्पनी के शेयर केपिटल १० लाख रुपए हैं। शेष जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अब जो वहां डायरेक्टर्स नहीं हैं, तो वहां पर डायरेक्टर्स को वापिस नियुक्त करने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके लिए सरकार ने केस किया था और १९६१ में हाई कोर्ट द्वारा फैसला हो गया था। उन्होंने हमारे एक प्रतिनिधि के मनोनयन को स्वीकार कर लिया है उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हाई कोर्ट का निर्णय कब हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : १९६१ में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६१ से लेकर १९६४ तक डाइरेक्टर को अपॉइन्ट न करने के कारण क्या हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके कारण मेरे पास में उपलब्ध नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो झगड़ा चलता था, बाद में फैसला होगया तो १९६१ से १९६४ तक का समय हो गया लेकिन सरकार डायरेक्टर को अपॉइन्ट नहीं कर पाई। सरकार को मालूम होना चाहिए। पहले तो मुकदमा था, झगड़ा था इसलिये अपॉइन्टमेंट नही कर पाये ? लेकिन अब क्या असुविधा है कि डाइरेक्टर का अपॉइन्टमेन्ट नहीं कर पाये ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : इसमें हाई कोर्ट के डिसीजन को ऑनर नहीं किया और शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया। इसके बाद कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज हुई तो १९६१-६२ में माना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार की डिवीडेंड की कुल रकम कितनी बकाया है ? सरकार ने दावा किया है वह कब तक के डिवीडेंड का किया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने सुना नहीं। दुबारा कहें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने फरमाया कि डिवीडेंड के बारे में कोर्ट में दावा कर दिया है, वह कौनसी साल से कौनसी साल तक का किया है और कितना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी तक जो कम्पनी ने डिवीडेंड डिक्लेअर किया था वह बकाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कुल कितना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : १ लाख ६३८ रुपये।

Page No. 11

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डिविडेंड कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : १ लाख रुपया होता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसा अभी बताया १ लाख ६० हजार है ।

यह जो रिपोर्ट है १६८-६९ की उसमें दो लाख रुपया बताया गया ।

श्री बालकृष्ण कौल : वही बताया है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह रिपोर्ट गलत है या आपका कहना गलत है ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह बताया है कि १ लाख के सामान्य शेयर हैं और १ लाख के और शेयर हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कम्पनी १० लाख की शेयर केपीटल में काम कर रही है । एट प्रजेन्ट पाँच लाख पर काम कर रही है क्योंकि सरकार का बकाया है ५ लाख । यह प्रश्न आखिर में पूछा है कि इस कम्पनी की शेयर केपिटल कितनी है तथा अब यह कम्पनी कितनी पूंजी पर चल रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि यह १० लाख के ऊपर काम कर रही है, १० लाख इसकी शेयर केपिटल है । लेकिन यह कितने पर काम कर रही है जितने पर करनी चाहिए उतने पर क्यों नहीं कर रही है, मैंने बताया इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का क्या मतलब है, पेड आफ शेयर कितने हैं, १० लाख की शेयर केपिटल है तो क्या पाँच लाख की पेड केपिटल है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : दस लाख के कुल शेयर्स हैं, इसके जो मैनेजिंग एजेन्ट है उसने अपनी बैंक के अन्दर पांच लाख डाल दिये । यह प्रश्न पहले आ चुका है, बैंक फेल हो जाने के कारण पांच लाख ब्लाक हो गये । तो पहले से ही यह कम्पनी चल रही है वह पाँच लाख पर कम्पनी चल रही है । पाँच लाख, जो बुद्धसिंह बाफना उस बैंक के मालिक थे, उन्होंने पाँच लाख ब्लाक कर दिये । इसलिए पाँच लाख की केपिटल से प्रारम्भ से लेकर अब तक काम कर रही है । इसमें दो लाख के शेयर सरकार के हैं, सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है । बुद्धसिंह बाफना के शेयर की रकम है उसको जब्त कराले और यह कम्पनी दस लाख में काम करे ।

श्री बाल कृष्ण कौल : जब्त कैसे कर सकते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उनके शेयर्स हैं उनको इधर यूटीलाइज करें । डिग्री हो चुकी है तो इधर यूटीलाइज करें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : डिवीडेंड कब मिलना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेश (बिहारी माथुर ।

Page No. 12

मेट्रिक नाप-तोल प्रणाली और जन सम्पर्क विभाग

४९६. श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : Will the Minister for Public Relations Department be pleased to state:

(1) Whether Metric System of Weights and Measures has been enforced in Rajasthan ? If so, since when ?

(2) Whether all Government Departments have been instructed to use this Metric System of Weights and Measures ?

(3) Is it a fact that Directorate of Public Relations is still insisting to keep the old system of measuring the space covered by the Government advertisements in various papers in inches ? If so, what are the reasons therefor ?

जन-सम्पर्क मंत्री : (श्री मथुरा दास माथुर): (१) जी हाँ, दिनांक १-१०-१९५८ से।

(२) जी हाँ।

(३) जी नहीं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आपके डाइरेक्टोरेट को इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये, वहाँ मेट्रिक सिस्टम नहीं चलता है और पुरानी प्रणाली से विज्ञापन नापने के आदेश दिये गये हैं, क्या यह सही नहीं है?

श्री मथुरा दास माथुर : यह सही नहीं है। ३०-१-६४ के अन्दर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से विज्ञापन के सम्बन्ध में मेट्रिक सिस्टम चालू करने का सरक्यूलर निकाला जा चुका है।

श्री मथुरेश बिहारी : इससे पहले से जब मेट्रिक प्रणाली राजस्थान में है, तो पिछले वर्ष से १९६३ में इस विभाग में मेट्रिक प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई, इतनी लेट क्यों अपनाई गई ?

श्री मथुरादास माथुर : मेट्रिक प्रणाली हमारे यहां १-४-६३ से अपनाई गई थी और उसके बाद हमारे एडवर्टाईजमेन्ट रूल्स बन रहे थे, इसलिए जब तक रूल्स फोर्स में न आ जायं, इसमें हमने इन्टरिम पीरियड में पुराने बिल्स का इंच में पेमेन्ट किया है। अब सेन्टीमिटर्स में बिल आते हैं और सेन्टीमीटर्स में पेमेन्ट किया जाता है और उसके लिए विज्ञापन दे दिया गया है।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : १-४-६३ से मेट्रिक प्रणाली राजस्थान में लागू है और सरकारी विभाग के अन्दर ३०-१-६४ से लागू है। रूल्स का कोई प्रोसिजर काम में आता हो लेकिन मेट्रिक सिस्टम क्यों नहीं लागू किया गया। इससे कितना लॉस सरकार को हुआ है, इस पर ध्यान दिया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : हर चीज में टाइम लगता है। अभी तक भी यू. पी. में सड़कों पर मील लगे हुये है। धीरे धीरे काम होता है, रूल्स बन रहे थे। उन्होंने कहा कि रूल्स में सेन्टीमीटर्स कर देने से लॉस होता है। लॉस नहीं होता है, पैसा वहीं का वहीं है।

Page No. 13

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : सवाल यह नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मकसद यह था कि रूल्स में हो जायगा तब कर देंगे। अब यह इंच में आता है तो, यह नहीं कहा जाता कि पेमेन्ट नहीं करेंगे।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : सड़क की मिसाल दी है, इसमें सरकारी खजाने के अन्दर लॉस का प्रश्न आता है। इंच और सेन्टीमीटर में पेमेन्ट करने में अन्तर आता है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई अन्तर पेमेन्ट में नहीं आता हैं। १ इंच बराबर २.५ सेन्टीमीटर के हिसाब से हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

चराई की दरों में असमानता

४६७. **श्री अमरसिंह (दूदू) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सच है कि राजस्थान के भिन्न भिन्न जंगलों में जानवरों की चराई की दरों में एकरूपता नहीं है और एक ही प्रकार के जानवर की चराई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है ?

(ब) चराई की दरों में समानता लाने के लिये आज तक सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (अ) जी हां।

(ब) राजस्थान में चराई की फीसों में समानता लाने की दिशा में सरकार ने फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर पहला कदम यह उठाया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अलग-अलग स्थित चारागाहों में चराना चाहे तो या तो उन सबकी भिन्न-भिन्न फीस दे या फिर फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी द्वारा निर्धारित राजस्थान ग्रेजिंग रेट के हिसाब से दे।

श्री अमरसिंह : यह कमेटी आपने कब नियुक्त की ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : यह तारीख मेरे पास नहीं है कि कब नियुक्त की ?

श्री अमरसिंह : ऐसी कौनसी दिक्कत सरकार के सामने थी कि पुरानी दर न हटा सकी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह रेट काफी समय से है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि इन वनों में अलग-अलग पशुओं को जाने देने के लिए और चराने देने की व्यवस्था है, उनकी दरों का किसी प्रकार किसी लिस्ट में समावेश नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह कमेटी के सामने मामला विचाराधीन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : देखिये, ऊंट के सम्बन्ध में खास तौर से निवेदन करता हूं, उनको चराने की व्यवस्था नहीं है जब कि ऊंट के लिए पहले सुरक्षित जंगल थे जिनमें स्टेट के वक्त चराई होती थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऊंट की पांच रुपया चराई फीस है और चराने दिया जाता है।

Page No. 14

श्री अमरसिंह : इतने साल से यह सवाल तय नहीं हुआ, इसमें कौनसी दिक्कत आ गई थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार जागरुक है। मंत्रि-मंडल की इस सम्बन्ध में कमेटी बनी हुई है वह इस सम्बन्ध में जागरुक है।

श्री अमरसिंह : जब आप कहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में जागरुक है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने साल से यह सवाल तय नहीं हुआ इसमें आपको कौनसी दिक्कत पैदा हो गई थी ?

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : डिफरेन्ट स्टेटों में डिफरेन्ट जानवरों की डिफरेन्ट चराई की रेट थीं। अब उन सब को समान स्तर पर लाने के लिये सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। वह इस मामले पर सब को देख कर तय करेगी।

श्री अमरसिंह : अब तक आपको तारीख का ही पता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आपको तारीख से क्या मतलब है। कमेटी बना दी गई है।

एक माननीय सदस्य : आप अन्दाज से बतादें कि कौनसी तारीख है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तारीख याद नहीं है। अन्दाज से बताता हूं कि तीन चार महीने हो गये हैं। आप इसके लिये कोई प्रीविलेज का मोशन मत ले आना। इस कमेटी को बने तीन चार महीने हुए हैं। श्री नाथूराम मिर्धा, राजा हरिश्चन्द्र और श्री भीखा भाई हैं। तीन सदस्यों की कमेटी है। तारीख याद नहीं है। इसको बने करीब तीन या चार महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री कृष्ण कुमार गोयल।

उद्योगों को पॉवर रेट तथा चुंगी में छूट

४६८. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा नगर में स्थित जे. के. सिनथेटिक एवं राजस्थान विनियल एन्ड कम्पनी को सरकार द्वारा पॉवर रेट व चुंगी के संबंध में छूट दी गई है ? अगर हां, तो कितनी कितनी ?

(२) क्या उपरोक्त वर्णित दोनों उद्योगों के अतिरिक्त कोटा नगर के अन्य उद्योगों को भी छूट दी गई है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां इन दोनों कम्पनियों को मशीनों एवं कच्चे माल (रा मेटिरियल) पर चुंगी अदा करने में संलग्न सूची के अनुसार छूट दी जाती है। पावर विशेष दरों पर जो कि करीब करीब ३ नये पैसे प्रति यूनिट के होती है वह राजस्थान विनियल एन्ड केमिकल्स कम्पनी को दी जाती है तथा जे. के. सैन्थेटिक को सामान्य दरों पर विद्युत् वितरण की जाती है।

(२) चुंगी के सम्बन्ध में उत्तर संख्या १ की संलग्न सूची देखिये। व अन्य उद्योगों को बाहर से आने वाली मशीनों पर चुंगी अदा करने की छूट है। विद्युत सभी उद्योगों को सामान्य दरों पर दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या २ देखें)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इन इन्डस्ट्रीज को चुंगी में छूट देते समय नगरपालिका कोटा से कोई सलाह नहीं ली गई ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है इसलिये निश्चिय रूप से नहीं कह सकता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार की चुंगी में छूट देने से नगर परिषद् की आय में कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह भी ज्ञान है कि वहां पर इस प्रकार की चुंगी में छूट देने से वहां की बहबूदी कितनी बढ़ेगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब प्रश्न से नहीं हो सकता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है । आपने जो ऑक्ट्राय में छूट दी है उससे कोटा नगर परिषद् को कितना नुक्सान हुआ है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको लॉग रन में स्पष्ट रूप से इससे फायदा होगा जो अभी नहीं हो रहा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि इससे कोटा नगरपालिका और नगर परिषद् को कितना नुक्सान होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने पहले ही इसका उत्तर दिया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज लाने में यह जरूरी है उनको कुछ न कुछ कन्सेशन्स दिये जावें । हमने न केवल चुंगी में छूट दी है मगर जैसा मैंने बताया है कि उनको पॉवर में भी कन्सेशन दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने यह छूट और एग्जेम्शन उनके प्रोडक्शन होने के बाद में दिया है ।

श्री चन्दनमल बैद : यह पहले ही से एग्रीमेंट में था और उसके मुताबिक छूट दी गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब आप कहते हैं कि एग्रीमेंट पहले हो गया था तो आपने जब प्रोडक्शन हो गया तब एग्जेम्शन दिया है, यह कैसे ?

श्री चन्दनमल बैद : रा मेटीरियल तो पहले आता है यह छूट तो पहले ही दी जाती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि म्युनिसिपेलिटी ने ऑक्ट्रॉय की वसूली की कार्यवाही कर रखी है और उसको रोकने के लिये इन्डस्ट्रीज वालों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा करके स्टे लाये हैं । इसके बारे में आपको जानकारी है ।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह जो प्रश्न आपने उठाया है उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों को कम से कम अपनी विचार धारा बनाने की आवश्यकता है और

(श्री हरिश्चन्द्र)

वह इसलिये कि जो रा मेटीरियल बाहर से आता है वह फिनिश हो कर वापिस बाहर चला जाता है और अगर उस पर ऑक्ट्राय ड्यूटी लगती है तो उद्योगीकरण में काफी धक्का पहुंच सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो माल बाहर से आता है जैसे वूल बाहर से आती है और बाहर चली जाती है इसमें हो सकता है कि जैसा आप कहते हैं कि ऑक्ट्रॉय लग जानी चाहिये तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उससे क्या हानि होगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जब आप यह कहते हैं कि छूट पहले ही दे दी थी । जब आपने पहले छूट दे दी थी तो फिर म्युनिसिपेलिटी ने उनके खिलाफ ऑक्ट्रॉय वसूल करने के लिये कार्यवाही क्यों की और इन्डस्ट्रीज ने डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में कार्यवाही करके स्टे लिया । उसके बाद में आपने उनको छूट दी है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा प्रश्न स्पष्ट है । उस समय म्युनिसिपेलिटी ने हजारों रुपयों का दावा इन्डस्ट्रीज के खिलाफ किया । कम से कम ५० या ६० हजार की ऑक्ट्राय की रिकवरी की कार्यवाही कर दी तो उसको रोकने के लिये कम्पनी वालों ने डिस्ट्रिक्ट जज से स्टे प्राप्त किया है । उसके उपरान्त यह नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद में दावे विथड्रा किये गये ।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न यह है कि छूट ऑक्ट्रॉय की दी गई और कितना नुक्सान हुआ इसके लिये मैं यह कहता हूं कि छूट दी गई और आप कहते हैं कि नुक्सान हुआ-मैं कहता हूं कि इससे कोटा को बहुत फायदा होगा । अगर हम ओक्ट्रॉय ड्यूटी लगाते हैं तो सदन को सोचना होगा कि क्या हम अपने यहां इन्डस्ट्रीज लाना चाहते हैं या नहीं । अगर हम ऑक्ट्रॉय में छूट नहीं देंगे तो इन्डस्ट्रीज को लगाने में कुछ न कुछ तो छूट देनी होगी और अगर म्युनिसिपेलिटी छूट देने में नहीं माने तो ऐसे एरिया को म्युनिसिपल एरिया से बाहर निकाल दिया जावे । इस प्रकार के एक प्रश्न को पूछने से मैं समझता हूं कि पचीसों तरह के इन्डस्ट्रीज की मांग इसमें आ सकती है, यह उचित नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: म्युनिसिपल एरिया में टैक्सेज में रिलीफ देने में कोई एतराज की बात नहीं है मगर शिष्टाचार के नाते आपको म्युनिसिपेलिटी को कनसल्ट करना जरूरी था । खास तौर से जब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिकवरी की कार्यवाही चालू हो जावे और उसके बाद अदालत से स्टे हो और बाद में आप नोटिफिकेशन निकालें । इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिये ।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : शिष्टाचार की बात करने वालों के विचार भी शिष्टाचार के से होने चाहिये ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सिमको वेगन फैक्ट्री भरतपुर को म्युनिसिपल एरिया

Page No. 17

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

से बाहर कर दिया है। आप किसी को कुछ कर देते हैं और किसी को कुछ इस तरह से गड़बड़ घोटाला करते है इससे भ्रष्टाचार पनपता है। आपने सिमको के लिये जो किया है उससे भरतपुर नगरपालिका को तीन लाख रुपये का नुक्सान हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में एक पॉलिसी क्यों नहीं एडॉप्ट कर लेती ; किसी को ६ पैसे यूनिट और किसी को ३ पैसे और किसी को ६ पैसे पॉवर इन्डस्ट्रीज के क्यों लेती है ? सब से एक रेट क्यों नहीं लेती ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके अलावा हम ऑक्ट्रोय में किस तरह का एग्जेम्प्शन देंगे। यह सारी चीजें युनिफोर्म पॉलिसी पर तय होनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं कि आप गलत कहते है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आप यह फेसिलिटी दूसरी जगह भी जहां रामेटीरियल बाहर से आवे और फिनिश होकर बाहर चला जावे वहां भी देने को तैयार हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं कि यह तो उत्तर देना बहुत जल्दी होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कहते हैं कि रामेटीरियल बाहर से आवे और उसको वहीं पर उसका माल तैयार हो कर बाहर जा सकता है, उसको छूट देते हैं; तो क्या इसी तरह से दूसरी इन्डस्ट्रीज भी हैं, उनको भी यही छूट देने को तैयार हैं ? क्या यही रूल उन पर भी लागू करने को आप तैयार है।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट है और कई बार यह नीति चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के जरिये से भी साफ की जा चुकी है। हर कम्पनी को एग्जेम्शन मिलेगा या नहीं यह कहना बहुत मुसकिल है। अगर कोई बतह ज्यादा पोवर कनज्यूम करती है तो उसको ज्यादा कन्सेशन देना होगा।

एक माननीय सदस्य : ओक्ट्राय की बात करिये।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत सी इन्डस्ट्रीज ऐसी है जो स्टेट की डिमान्ड पर लगाई जाती है और बहुत सी इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लोग खुद लगाते हैं। जो स्टेट की डिमान्ड पर लगाई जाती है और जो खुद लगाते हैं इसके लिये जो जनरल पोलिसी है वह आपको बताई जा चुकी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : और एग्जेम्प्शन्स देते वक्त सरकार द्वारा यह देखा जाता है कि यह पदमपत सिंहनियां है, बिड़ला है, टाटा है, डालमियां है, जैन है और इनसे कांग्रेस को सालाना कितना चन्दा मिलता है ?

(शोरगुल)

श्री चन्दनमल बैद : यह कतई नीति नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान के छोटे उद्योगों को मारना चाहते है। और बड़े बड़े पूंजीपतियों को पनपाना चाहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह बिलकुल ना-वाजिब है, मैं समझता हूं सदन की परम्परा को देखते हुये इस तरह का चार्जेज लगाना बहुत गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजी हकीकत है, चार्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर कोई सप्लीमेंटरी नहीं पूछा जायगा। श्री हरदत्त-सिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धारीवाल जी लीगल एडवाईजर है इंडस्ट्रीज के। चंदा मिलता है जिन लोगों से···

श्री मथुरादास माथुर : तुम्हारी संस्था जनसंघ को आसमान से लैंड रेवेन्यू आती होगी ? जनसंघ कहाँ से चन्दा लाता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : भूतपूर्व उद्योग मन्त्री लीगल एडवाइजर हैं इन्डस्ट्रीज के।

श्री मथुरादास माथुर : भूतपूर्व और मौजूदा सभी एक से हैं।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खूब कहा। भूतपूर्व और मौजूदा सब एक से हैं।

श्री मथुरादास माथुर : भूतपूर्व हों चाहे मौजूदा हों, नीति एक है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

भादरा-हिसार की सड़क की टैक्स चौकी से आमदनी

४९९. **श्री हरदत्तसिंह (नोहर)** : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भादरा-हिसार सड़क पर झांसल ग्राम से आगे पंजाब बोर्डर के पास जो टैक्स चौकी कायम है वह कब और क्यों कायम की गई थी ?

(२) उपरोक्त चौकी के कायम होने के बाद अब तक इस चौकी पर कुल कितनी आमदनी और कितना खर्च हुआ ?

उप मन्त्री, आबकारी एवं कर (श्री परशराम मदेरणा) : चैक पोस्ट झांसल ता० १-५-६२ से कायम की गई है। यह चौकी बिक्री व खरीद कर की जांच व राजस्थान यात्री व माल कर की वसूली के लिये कायम की गई। जो माल राजस्थान से बाहर जाता है व राजस्थान में देहली व पंजाब आदि से आता है, उसकी भी चैकिंग व जांच की जाकर टैक्स वसूल किया जाता है।

(२) चैक पोस्ट कायम होने के बाद कुल आमदनी १९,७५९ रु० २६ नये पैसे हुई है और खर्चा तनख्वाह स्टाफ का ४,४१७ रु० और २०९.६५ नया पैसा काण्टिन्जेन्सी का इस तरह से कुल ४,६३६.६५ नया पैसा हुआ है।

प्रश्न संख्या ५००

श्री अध्यक्ष : श्री जेटमल बरबड़।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५०१

श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रविशंकर याज्ञिक !

आंवल के ठेके, सिरोही

५०२. **श्री रविशंकर याज्ञिक** (पिंडवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत एक्ट में चरागाहों की संपूर्ण मालिकी पंचायतों को दी है ?

(२) क्या यह सही है कि इसके बावजद सिरोही जिले में पंचायतों की मालिकी के चरागाहो में होने वाली आंवल का ठेका वन विभाग देता है और उसकी कीमत भी वन विभाग ही लेता है ? यदि हां, तो क्या यह राजस्थान पंचायत एक्ट के खिलाफ होने से गैर कानूनी नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि आज करीब ९ साल होने आये वन विभाग ही पंचायतों के चरागाहों की आंवल के ठेके की कीमत वसूल कर रहा है और पंचायतों के बार-बार मांग करने पर इस विषय में पंचायत समिति पिण्डवाड़ा के बार-बार प्रस्ताव करने और लिखने पर भी वन विभाग ने अभी तक पंचायतों को उनकी रकम नहीं लौटाई है ?

(४) यह रकम पंचायतों को कब तक मिल जायगी ?

(५) क्या पंचायत विभाग वन विभाग को कानून के विरुद्ध कार्य करने से रोककर चरागाहों के आंवल के हक पंचायतों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) चरागाहों का प्रबन्ध पंचायतों के अधिकार में है।

(२) आंवल का ठेका वन विभाग देता है और उसकी कीमत का एक हिस्सा पंचायत को दिया जाता है। तथा ऐसा करना गैर कानूनी नहीं है।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा "सुनाई नहीं दे रहा है" की ध्वनि)

(३) वन विभाग आंवल के ठेके की रकम वसूल कर रहा है। पंचायतों को उनके हिस्से की कुछ रकम दी गई है और शेष रकम दी जा रही है।

(४) सन १९५८-५९ से १९६१-६२ तक के समय का चुकारा कर दिया गया है। इन वर्षों की शेष रकम का चुकारा संबन्धित पंचायतों को चालू वर्ष के अन्त तक कर दिया जायगा। सन् १९६२–६३ की रकम का एसेसमेंट पूरा होने से रकम चुकाने की कार्यवाही की जावेगी।

(५) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : प्रश्न के भाग संख्या(२)का जरा वापिस जवाब दे दीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आंवल का ठेका वन विभाग देता है और उसकी कीमत का एक हिस्सा पंचायत को दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा हिस्सा दिया जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्शन चार्जेज काट कर सारा का सारा पंचायत विभाग को दे दिया जाता है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : वन विभाग आंवलि का ठेका देता है, यह पंचायत एक्ट के खिलाफ है, इसका उत्तर मैं चाहता हूं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ऐसा तो नहीं है।

श्री रविशंकर याज्ञिक : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह गलत है। पंचायत एक्ट में प्रावधान है कि चरागाह पर पंचायत की मालकियत है सरकार को कोई हक नहीं दिया है कि वह वन विभाग द्वारा इसका ठेका दे। यह प्रिविलेज का सवाल है कि इस तरह जो विधान ने पंचायतों को हक दिया है उसकी खिलाफवर्जी वन विभाग कर रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह कानूनी मामला है, इसकी जांच करवाली जायगी।

श्री रविशंकर याज्ञिक : कब तक जांच करवा ली जायगी ?

(विराम)

प्रश्न संख्या ५०३।

श्री अध्यक्ष : श्री चौथमल वर्मा !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०४।

श्री मोहनलाल सारस्वत !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०५ श्री दयानन्द सोन

लघु उद्योग के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने खोलने की योजना

५०५. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां नगर में गत दो तीन वर्ष पूर्व लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत करीब दो तीन लाख रुपयों की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में जो कारखाने खोले जाने की योजना थी उसका क्या हुआ और कब तक योजना को लागू कर दिया जावेगा ?

(२) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के लिये आम्बीपुरा, कल्याणपुरा आदि ग्रामों की माल किसानों की भूमि को लिये जाने का निर्णय लिया जाकर उसका प्लान बनाया जा चुका था ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में कोई उद्योग खोले जाने की सूचना सरकार को नहीं है।

(२) जी हां। कल्यानपुरा ग्राम में कुल ११६ बीघा १८ विस्वा भूमि और आम्बीपुरा में कुल ६ बीघा १० विस्वा भूमि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये निर्धारित हैं, परन्तु अभी तक भूमि की मांग न होने के

(श्री चन्दनमल बैद)

कारण से कोई प्लान आदि नहीं बनाये गये हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र भी घोषित नहीं किया गया है।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत कारखाना बारां में खोला जा रहा था, उसको रामगंज मण्डी में ले जाया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि किसी कारखाने के खोले जाने की सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जमीन किसके लिये रखी है फिर ?

श्री चन्दनमल बैद : इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये कमेटी बनी थी जिसने सारे राजस्थान के लिये सिफारिशें की थी कि इस-इस जगह यह यह जमीन इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये रखी जाय। पर अभी कोई प्लान नहीं बनी है। किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट की मांग आयेगी तो कार्यवाही की जायगी। अभी कोई मांग नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी, बीकानेर

५०६. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९६० में बीकानेर फ्लोर मिल्स आनर्स ने बीकानेर के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही बिजली की चोरी के बारे में रिप्रेजेन्टेशन किया था ?

(२) क्या उक्त शिकायत पर कुछ उपभोक्ताओं के चैक मीटर्स लगाये गये ? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ता कितने हैं ?

(३) क्या यह सही है कि चैक मीटर्स व रेगुलर मीटर्स में फर्क आने के बावजूद भी बिजली का चार्ज रेगुलर मीटर के अनुसार ही किया गया है ? यदि हां, तो चैक मीटर्स द्वारा बतलाई हुई एक्सेस यूनिट्स के चार्जेज वसूल करने के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां।

(२) जी हां। ऐसे २६ उपभोक्ता हैं।

(३) जी हां। चैक मीटर्स व रेगुलर मीटर्स की रीडिंग्स में अन्तर है। कहीं पर चैक मीटर्स की रीडिंग्स रेगुलर मीटर्स की रीडिंग्स से अधिक है और कहीं पर कम। चैक मीटर्स की रीडिंग्स के अनुसार बिल बनाने के लिये बोर्ड द्वारा आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चैक मीटर्स किस साल में लगा कर चैकिंग की गई ?

श्री चन्दनमल बैद : तारीख तो याद नहीं ६१ में की थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६१ में चैकिंग की गई और अब रिकवरी कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जब तक रेगुलर मीटर्स की जांच नहीं की जाय तब तक वसूली नहीं की जा सकती। इसलिये रिकवरी

Page No. 22

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं की गई। अब बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है कि चैक मीटर्स के अनुसार जो रीडिंग आई है उसी के अनुसार रिकवरी की जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितने उपभोक्ताओं के यहां चैक मीटर्स लगाये गये ?

श्री चन्दनमल बैद : २६ के यहां लगाये गये। २६ के यहां ज्यादा रीडिंग आई और ६ के यहां चैक मीटर्स में ओरिजिनल मीटर्स से कम रीडिंग आई। ६ के कम आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कहता, एक दो की इधर-उधर हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है एक महीने बाद चैक मीटर्स हटा लिये गये ?

श्री चन्दनमल बैद : चार पांच महीने से ज्यादा लगे रहे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो उपभोक्ताओं के मीटर्स का रीडिंग है वह चैक मीटर्स के रीडिंग से अलग है तो करेक्ट रीडिंग किसका है, यह जांच किये बगैर चैक मीटर्स के रीडिंग के अनुसार कैसे वसूल किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने निवेदन किया न कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि चैक मीटर्स के रीडिंग के अनुसार चार्ज किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि कुछ चैक मीटर्स का रीडिंग ओरिजिनल मीटर्स के रीडिंग से कम आया है ? तो जिनके कम आया है उनसे भी चैक मीटर्स के रीडिंग के अनुसार चार्ज किया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : चैक करने का यही एक साधन था। पर बोर्ड ने जिन उपभोक्ताओं के ओरिजिनल मीटर्स से कम रीडिंग चैक मीटर्स में आया है, उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खूब है, ज्यादा है तो उसके अनुसार वसूल कर रहे हैं और चैक मीटर्स से कम आया है उनको लौटाओ नहीं This is very unfair of the Government. चैक मीटर्स के ज्यादा आया है तो वह तो आप वसूल कर लो और कम आया है तो उन्हें लौटाओ नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह निवेदन किया कि बोर्ड ने निर्णय लिया है वह आपको सूचित कर दिया। मैं ज्यादा बोर्ड को लिखूंगा कि ज्यादा वालों से वसूल कर रहे हैं तो जिनके कम रीडिंग आया है उनको वापिस दिया जाय। पर मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऑटोनोमस बॉडी है, पर आपका उस पर कन्ट्रोल है, चैअरमैन आपका मौजूद है।

श्री चन्दनमल बैद : ऑटोनोमस बोर्ड है और आप ही के द्वारा बनाया हुआ ओटोनोमस बोर्ड है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिजली की चोरी के बारे में रिपोर्ट आई उस पर चैक मीटर्स लगा कर रिकवरी करेंगे यह तो ठीक है पर जिन लोगों ने विभाग के कर्मचारियों के सामने सीलें तोड़ी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्दनमल बैद : सीलें तोड़ने की तो जानकारी मेरे पास नहीं है। आपने जानकारी दी है, उससे बोर्ड को बड़ा फायदा होगा, आप और भी इस तरह की जानकारी देंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बिजली की चोरी के बारे में आप तो चैक आश्वासन देंगे कि जब भी शिकायत आएगी मीटर्स लगाएंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बात कहते हैं उस पर गौर करना हमारा फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : दुर्गालाल बाढ़दार।

मुकद्दमों के शीघ्र निर्णय की व्यवस्था, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर।

५०७. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में जिले के मुकद्दमों को सुनने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कितनी अदालतें हैं और इन प्रत्येक अदालतों के नीचे कितने-कितने थाने हैं ?

(२) मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला की अदालत में वर्तमान में कितने मुकद्दमें पेंडिंग हैं ? प्रतिमाह मुकद्दमों की रजू कितनी है और निर्णय कितनों का होता है ?

(३) क्या यह सच है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर जिला की अदालत में चालान पेश होने पर तारीख कम से कम पांच माह की दी जाती है और यदि हां तो राज्य सरकार ने मुकद्दमों के शीघ्र निर्णय की क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, विधि (श्री परसराम मदेरणा) :
(१) जयपुर नगर में जिले के मुकद्दमों को सुनने के लिए दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जिला जयपुर केवल दीवानी मुकद्दमें सुनते हैं तथा अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिला जयपुर फौजदारी (क्रिमिनल) मुकद्दमों की सुनवाई करते हैं। अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित थाने आते हैं :—

(१) थाना चाकसू, (२) थाना बस्सी, (३) थाना बगरू, (४) थाना चंदबाजी, (५) थाना गोविंदगढ़ (६) थाना जमुवा रामगढ़, (७) थाना सांगानेर, (८) थाना चोमू (९) थाना आमेर, (१०) थाना फागी।

(२) मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला के न्यायालय में मुकद्दमों की रजू व निर्णय आदि का विवरण निम्नलिखित है :—

	औसत माहवारी रजू १९६३	औसत माहवारी निर्णय १९६३	पेंडिंग दिनांक १-१-६४
(१) मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर जिला दीवानी मुकद्दमों।	४६	४१	५०१
(२) अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिला, जयपुर फौजदारी मुकद्दमें।	४६	३१	८६४

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर जिला की अदालत में केवल दीवानी मुकद्दमें ही आते हैं। संभवत: अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर, जिला जयपुर, की अदालतों में काम की अधिकता के कारण अधिक लम्बी तारीख दी जाती है। आवश्यक आदेश दिए जा चुके हैं कि अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर जिला के २५० मुकद्दमों मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व एवं अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर पश्चिम की न्यायालय में आवश्यक निर्णय हेतु हस्तान्तरित कर दिए जांय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं वे क्या करती हैं? एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास फौजदारी काम बिल्कुल नहीं है और एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट केवल फौजदारी काम करता है। जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो गया इससे पहले एक अदालत के अंदर इतने थानों का काम रखा और दूसरी के अंदर बिल्कुल नहीं। इस पर राज्य सरकार ने क्यों नहीं विचार किया?

श्री परसराम मदेरणा : एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपरेशन की किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। हाई कोर्ट की फैसिलिटी के लिए और केसेज का डिस्पोजल ठीक तरह से हो जाए इसलिए एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट जयपुर को सारे दीवानी मुकद्दमे दिए हैं और एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट को फौजदारी मुकद्दमे दिए हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो सही है लेकिन जिस अदालत के पास फौजदारी मुकद्दमे हैं तो आपकी खुद की रिपोर्ट के अनुसार ८०० केसेज का इन्स्टीट्यूशन ज्यादा होता है, डिस्पोजल बिल्कुल कम होता है। यह व्यवस्था आज से नहीं है, करीब १॥ वर्ष से है तो राज्य सरकार ने क्यों अब तक व्यवस्था नहीं की?

दूसरी बात सिटी मजिस्ट्रेट जिले की अदालत है। इस कारण से गांवों के लोग बहुत आते हैं। फौजदारी मुकदमों में यह आवश्यक है कि मुलजिम को बराबर हाजिर रहना पड़ता है। जमानत होती है। एक एक केस में दस दस पन्द्रह पन्द्रह आदमी आते हैं, इन सब को पैदल चल कर आना पड़ता है, शाम तक उनकी तारीखों का निर्णय नहीं होता और उन बेचारों को रहने को जगह नहीं और खाने का स्थान नहीं मिलता है। इस प्रकार की अव्यवस्था चली आ रही है कई बार राज्य सरकार से शिकायत की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब भी केवल यही हुआ है कि कुछ केसेज ट्रांसफर करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। जब तक आपके थाने ही इस्टीट्यूशन नहीं करेंगे, डाइरेक्ट इन्स्टीट्यूशन दूसरी कोर्ट में नहीं होगा तो ऐसी व्यवस्था जो आप कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जो इन्स्टीट्यूशन है और डिस्पोजल है वह कोई ज्यादा नहीं है। इन्स्टीट्यूशन १९६३ में औसत माहवारी ४६ सिविल का और क्रिमिनल का भी ४६ जब कि डिस्पोजल ४१ और ३१ है। इसलिये इन्स्टीट्यूशन और डिस्पोजल पूअर नहीं है। मगर यहां मुकदमे आज ५०१ और ८६४ हो गए ये पुराने

Page No. 25

(श्री मथुरादास माथुर)

एरीअर्स चले आ रहे हैं। इसलिये डिस्पोजल करने के लिये २५० मुकदमे निकाल कर दूसरी कोर्ट्स को दे दिये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स भी होते है और मुंसिफ मेजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। इसलिए जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स जो पहले काम कर रहे थे क्रिमिनल वर्क में उनको क्रिमिनल वर्क देते है और सिविल वाले के पास सिविल देते हैं, उसमें सिविल का कोई खलल नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि सिविल के पास ५०१ मुकदमे हैं ये कम नहीं हैं। स्टेण्डर्ड के अनुसार ५०० से अधिक नहीं होने चाहिएं। इसलिए एरीअर्स को डिस्पोजल करने के लिए यह व्यवस्था की है जो सवाल नं० ३ के जवाब में बताई गई। इसके बावजूद भी हमें यदि मालूम पड़ा कि मुकद्दमों की माहवारी रजू ज्यादा है जिसकी वजह से दो आदमी डिस्पोजल नहीं कर सकते तो तीसरे आदमी की नियुक्ति पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय यह सवाल बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न बाकी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Ordor please !

नोहर भादरा सड़क पर पुलियों के निर्माण से पानी निकासी में रोक

५०८. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नोहर-भादरा सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो नहरी खालों पर पुलियों का निर्माण हुआ है उसमें खालों की सीध का ध्यान नहीं रखा गया है और इस प्रकार बनाई गई पुलियों से खालों को घुमाव दिया गया है जिससे खालों द्वारा खेतों में पानी जाने से चक्कर पड़ जाने से पानी की निकासी में कमी पड़ती हैं ?

(२) अगर हां तो क्या इस कमी को दूर किये जाने की शीघ्र व्यवस्था की जावेगी

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) ध्यान रखा गया है और सिंचाई विभाग के द्वारा चुने गये स्थान पर यह पुलिया बनाई गई है। पुलियों के द्वार पानी की तादाद से अधिक चौड़े हैं। अतः खेतों के पानी पर कोई असर नहीं पड़ता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरदत्तसिंह : यह जो पुलियों का निर्माण हुआ है क्या आपको मालूम है कि नहरी विभाग के परामर्श बिना हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : राय ली गई है और जो जगह उन्होंने बताई वहां पुलियां बनाई गई हैं।

श्री हरदत्तसिंह : जगह का सवाल नहीं है। मैंने सवाल किया है कि खालों के मुंह टेढ़ा रखा गया है और सीधा नहीं बनाया गया है और इसमें सिंचाई विभाग की कोई राय नहीं ली गई है। खाली जगह के लिये आपने पूछा है। पुलियों का जो निर्माण हुआ है उसमें खालों के मुंह बिल्कुल घुमाव देकर बनाए गए हैं और नहरी विभाग की शिकायतें हैं कि उनकी मुंह बनाने में कोई राय नहीं ली गई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : शिकायत है तो जानकारी की जायगी।

श्री हरदत्तसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि ११ पुलियां हैं और ११ के ही मुंह टेढे रखे गए हैं जिसमें पानी के प्रवाह में बड़ा फर्क पड़ता है। नहरी विभाग की शिकायत है कि केवल स्थान के लिए उनसे पूछा गया।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसे कई कल्वर्ट्स हम बनाते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे कहता है, वैसे हम कहते हैं, आपका कहना है कि कौन बनाता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्वीकृति थी ?

श्री हरिश्न्द्र :-बिल्कुल।

श्री हरदत्तसिंह : स्थान के लिए नहरी विभाग की स्वीकृति थी उसके डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता। लेकिन उनका जो मॉडल बनाया पुलिया का जो निर्माण हुआ है उनसे खालों को जो घुमाव दिया गया है इससे पानी की निकासी में कमी पड़ती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से पूछा है, उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर जो बना है उसमें हमारी कोई राय नहीं ली।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मुंह काफी चौड़ा रखे हैं। यदि इस प्रकार की माननीय सदस्य की शिकायत है तो जांच करवा देंगे।

श्री हरदत्तसिह : बिल्कुल गलत है। आपके विभाग ने उन मोखों को टेढ़ा रखा है।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर मोखा टेढ़ा है तो कच्ची दीवार बनाकर पानी का निकास ठीक किया जायगा, उसके लिए कोर्स बनाकर फीड करना पड़ता है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उसके उपरांत भी कोई दिक्कत हुई तो आपके सामने इंजीनियर को बुलाकर काम करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : आपका मुख ही टेढ़ा है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा या आपका ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका उप-मोखा टेढ़ा है।

(६ म. पू.)

स्थगित प्रश्न

(२-३-६४)

प्रश्न संख्या १०७

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल।

एनीकट एवं मेढ़बन्दी

११९. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) [श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया]: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति, पीपलखूंट में एनीकट और मेड़बन्दी के लिये सरकार द्वारा कोई धनराशि सन् १९६३ में दी गई है? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या पंचायत समिति द्वारा उस रकम को खर्च करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में और नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ५११ बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है इसका उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बहस में भाग ले लीजिये।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां। पांच मजदूर झुलस गये थे।

(३) यह सही नहीं है। आग बुझाने प्रबन्ध था।

(४) वह कहा नहीं जा सकता।

(५) मालूम नहीं।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (६) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशन (वैर) : यह किस प्रश्न का जवाब है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है, आप हल्ला कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : आप क्या गलबल कह रहे हैं, यह कुछ पता ही नहीं लगा। मोला चोड़ा है लेकिन टेढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा हाजिर नहीं है इससिए प्रश्न ११९ लिया गया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) एनीकट और मेड़बन्दी के लिये अलग से कोई रकम नही दी गई।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीराभाई : लोगों की मांग एनीकट बनाने की है। राजस्थान सरकार ने कोई अब तक कार्यवाही नहीं की है। लोगों की मांग थी तो राज्य सरकार ने कार्यवाही नहीं की या पंचायत समिति ने नहीं की ?

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री रामकिशन : इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका जवाब दिया है कि अलग से कोई इसके लिए रकम नहीं है। सिचाई की मद में रकम देते हैं। पंचायत समिति को अधिकार है कि वह किसको प्राथमिकता दे।

श्री रामकिशन : कुछ सुनाई हीं नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, का कहना है कि सिचाई और पंचायत समिति के बजट में पैसा रहता है। पंचायत चाहे तो एनीकट में काम ले सकती है।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि उस मद में पैसा वहां नहीं था और दूसरी मद से परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार से मांग की थी?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: १६,५०० उन्हें दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हरिप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्नों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : जैसा हमेशा होता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रश्न संख्या ५११ का उत्तर दिला दिया जाय। वह बहुत इम्पॉर्टेन्ट है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सॉफ्ट कोक डीलर्स, भादरा

१७६. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले बारह महीनों में भादरा में सॉफ्ट कोक की कुल कितनी गाड़ियां आईं और किस-किस को दी गईं ?

(२) भादरा (जिला गंगानगर) में पिछले बारह महीनों में सरकार द्वारा स्वीकृत सॉफ्ट कोक के डीलर्स कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

उत्तर

(१) पिछले बारह महीनों में भादरा से सॉफ्ट कोक की कुल चार गाड़ियां आईं। दो गाड़ियां माह फरवरी, ६३ में मैसर्स बनवारीलाल गोपीराम को अलॉट कीं तथा दो गाड़ियां माह जनवरी, ६४ में श्री मनोहरलाल माली वालों को अलॉट की गईं।

(२) दिनांक ३-७-६३ के पूर्व गंगानगर में सॉफ्ट कोक के डीलर मैसर्स बनवारीलाल गोपीराम थे। इनके कार्यकाल की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नये डीलर मैसर्स मनोहरलाल माली वाला नियुक्त किये गये। जब नये डीलर नियुक्त किये गये उस समय मैसर्स बनवारीलाल गोपीराम ने नियुक्ति के लिये दरख्वास्त पेश नहीं की।

बिजली की योजना, तिजारा क्षेत्र

१८०. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटकासिम और शाहबाद, तिजारा क्षेत्र में बिजली

(हरिराम चौहान)

लाने की सरकार की योजना है किन्तु अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता इसके लिये काफी अर्से से मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(१) कोटकासिम व शाहबाद में बिजली लाने की योजना विचाराधीन है । शाहबाद को १९६४–६५ में ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लोड के अन्तर्गत लिया गया है और इसका काम अगले द्वितीय वर्ष में शुरू किया जावेगा। कोटकासिम की भी आबादी ५,००० से कम है । अर्थाभाव के कारण सभी ग्रामों में एक साथ बिजली देने में असमर्थता है ।

(२) शाहबाद का काम अगले द्वितीय वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है । यदि आवश्यक सामान समय पर प्राप्त हो सके तो ।

मान्यता प्राप्त तथा ब्लेक लिस्टेड कॉन्ट्रेक्टर्स

१८१. श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा मान्यता प्राप्त कॉन्ट्रेक्टर्स कितने हैं ?

(२) इन कॉन्ट्रेक्टर्स में कितने और कौन कौन ऐसे हैं जिनको सन् १९४९ के बाद से अब तक ब्लेक लिस्ट किया गया ? उनको कब और कितने समय के लिये ब्लेक लिस्ट किया गया था ? इनमें से कौन-कौन अभी तक ब्लेक लिस्टेड हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बस मालिकों से रोड एवं पैसेंजर टैक्स से बकाया की वसूली, जिला चित्तौड़गढ़

१८२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के बस मालिकों में रोड एवं पैसेन्जर टैक्स कितना और किन किन में बकाया है ? सन् १९६३–६४ तक की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) जिन लोगों में रुपया बकाया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है व की जा रही है ?

(३) जिन अधिकारियों की गल्तियों से यह रकम बकाया रही है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ जिले के बस मालिकों में सन् ६३–६४ तक का कोई रोड टैक्स बाकी नहीं है। पैसेन्जर टैक्स ११ बस मालिकान से बकाया है जिसकी सूची संलग्न है ।

(२) जिन जिन बस मालिकान से रकम बकाया है उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही सूची के कालम नं० ६ में बतायी गई है ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(३) इसमें किसी की गल्ती नहीं है। समय पर कार्यवाही की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

निर्माण कार्य के लिए सरकारी अनुदान तथा श्रमदान-पंचायत समिति, धरियावद

१८३. श्री उदयलाल बदिया (लसाडिया) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति धरियावद, जिला उदयपुर में कितने निर्माण कार्य इस प्रकार के रुके हुए हैं जिनके लिये श्रमदान हो गया किन्तु सरकारी अनुदान ही मिलना बाकी है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति धरियावद में कोई भी ऐसा अधूरा निर्माण कार्य नहीं है जिस पर श्रमदान हो गया है किन्तु सरकारी अनुदान मिलना बाकी हो।

टोंक जिले में बांधों का निर्माण

१८४. श्री जयनारायण चालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि ५० एकड़ से कम पिलाई वाले बांध पंचायत को दिये जावें ? यदि हां तो टोंक जिले की किन-किन पंचायत को कौन-कौन से बांध दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दी केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, भादरा की ऑडिट रिपोर्ट

१८५. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दी केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमीटेड, भादरा कब से चालू है और इसकी सदस्य संख्या व सदस्यता शुल्क कितना है ?

(२) आज तक उपरोक्त समिति की क्या प्रोग्रेस हुई है ? इसमें कुल कितनी सरकारी राशि लगी हुई है ?

(३) उपरोक्त समिति का आखिरी बार ऑडिट कब हुआ ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) भादरा केन्द्रीय क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड का दिनांक २४-१२-५६ को रजिस्ट्रेशन हुआ व कार्य माह जून ६३ से आरम्भ हुआ। इसकी सदस्य संख्या १२६ है व सदस्यता के लिये प्रवेश शुल्क प्रति सदस्य ५)रु० है।

(२) इस समिति ने रजिस्ट्रेशन के पश्चात् से माह जून, १९६३ तक कोई कार्य नहीं किया, अर्थात् निर्वाचित संचालक मंडल के बने रहने तक समिति ने कोई कार्य नहीं किया

(श्री हरदत्तसिंह)

है जून, ६३ में राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९५३ की धारा ५१ के अंतर्गत संचालक मण्डल के स्थान पर नियुक्त प्रशासक के द्वारा समिति का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। अनाज बिक्री, रसायनिक खाद व बीज वितरण एवं उपभोग की वस्तुओं (जैसे गुड़) का वितरण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

राज्य सरकार से १५,०००.०० रु० राजकीय हिस्सा राशि के रूप में, रु० १८७५० एवं रु० ६२५०) गोदाम निर्माण हेतु क्रमशः ऋण एवं अनुदान के रूप में एवं रु० २१५०) व्यवस्थापन व्यय हेतु अनुदान के रूप में अब तक आर्थिक सहायता मिल चुकी है।

(३) समिति का अन्तिम ऑडिट सहकारी वर्ष ६२–६३ तक का दिनाक २९-८-६३ को हुआ है।

ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्लान्टेशन

१८६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग के द्वारा प्लान्टेशन करके जंगल लगाने की योजना चल रही है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कार्य कब-कब प्रारम्भ किया गया है?

(२) अब तक राजस्थान में कुल कितनी एकड़ भूमि में जंगल लगाया जा चुका है? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(३) अब तक प्लान्टेशन स्कीम के अन्तर्गत जंगल लगाने के कार्य में कुल कितना खर्च सरकार के द्वारा किया जा चुका है? जिलेवार अब तक के खर्चे की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या इस प्रकार की योजना से लाभ हुआ है? यदि हां, तो किस-किस जिले में।

उत्तर

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां, सभी जिलों में जहां जहां प्लानटेशन किया गया है वहां जनता को लाभ हुआ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केटल ब्रीडिंग फार्म्स, गोविन्दगढ़

१८७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) में पंचायत समिति से किन व्यक्तियों

Page No. 32

(श्री नरोत्तमसिंह)

को केटिल ब्रीडिंग फार्म के लिए कब-कब और कितनी रकम दी गई थी ? अब किन किन व्यक्तियों से कितनी-कितनी रकम पी. डी. आर. एक्ट के अधीनस्थ वसूल की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे तथा यह वसूली कब तक हो जावेगी ?

(२) वे कौन-कौन से कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो ठीक चल रहे हैं और उनमें कितनी-कितनी गायें हैं तथा उनमें क्या-क्या नवीन सुधार हुए हैं ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है। वसूली की कार्यवाही चालू है व नियमानुसार वसूली शीघ्र की जावेगी।

(२) कोई भी फार्म ठीक रूप से नहीं चल रहा है। खरीदी गई गायों की संख्या संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

एकाउन्टस आफिसरों के तबादले

१८८. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या जागीर कमिश्नर कार्यालय में तैनात एकाउन्टस आफीसरों के तबादलों के बारे में भी वही नियम काम में लाये जाते हैं जो अन्य विभागों में तैनात एकाउन्टस आफिसरों के लिये लाये जाते हैं ?

(२) जागीर कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में अभी कितने एकाउन्टस आफीसर हैं और किस आफीसर को किस तारीख को जागीर कमिश्नर कार्यालय में लगाया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस समय जागीर कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में केवल एक अकाउन्टस आफीसर नियुक्त है जो इस कार्यालय में ता० १७-१०-५२ से कार्य कर रहे हैं।

(९.५ म० प०)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों को परिलाभ:) संशोधन विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापन)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments Amendment) Bill, 1964 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ, संशोधन विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No. 33

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी मध्यावधि मूल्यांकन पुस्तिका (सदन की मेज पर रखना)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं Third Plan Mid term appraisal की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति मिल जाय।

श्री मथुरादास माथुर : We have sent to the Assembly Office and they will distribute it.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अंग्रेजी में होगी, हिन्दी में मिलनी चाहिये ताकि हम भाग ले सकें बहस में।

श्री मथुरादास माथुर : तीन दिन में हिन्दी तर्जुमा करवा कर पेश करने की कोशिश करूंगा। ऊपर और नीचे हिन्दी का मामला है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हिन्दी कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दी में ट्रान्सलेशन होकर छपवा कर पेश कर दी जायगी।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे नहीं कर दीजियेगा।

श्री मथुरादास माथुर : ये नहीं समझते हैं तो मेरे पास आ जायं, मैं समझा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब आने में कोई डर नहीं है, गृह विभाग गया।

श्री मथुरादास माथुर : कौल साहब हिन्दी में उसका ट्रान्सलेशन कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौल साहब से तो उर्दू में ही करवा लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कौल साहब, उसमें बदबू भर देंगे एक दम।

बाबा मुवासी नाथ चेरिटेबल ट्रस्ट हरद्वारीगढ़ गंगानगर की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री, राजस्व।

श्री रामप्रसाद लडढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्षजी, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में रखा था कि राजस्थान जमींदारी, बिस्वेदारी अवाप्ति अधिनियम, १९५९ के तहत बाबा मुवासी नाथ धर्मार्थ ट्रस्ट हरद्वारीगढ़ २ एम० ए० श्री गंगानगर की जमीन ले लेने से इस ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय, दवाखाना आदि बन्द हो जाने से एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनके स्टाफ को तनख्वाह नहीं चुकाई जा सक रही है और औषधालय बन्द पड़े हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The member concerned is not here. The statement may, therefore, be placed on the table of the House.

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में सारी सूचना माननीय सदस्यों को दे देंगे। आप इसको पढ़ दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This may be placed on the Table Sir.

श्री अध्यक्ष : आप इसको रख दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, यह मामला बिलकुल ही लोक महत्व का नहीं है। जागीरदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट के तहत चूंकि यह ट्रस्ट ५३ के बाद का बना हुआ था इसलिए एक्जम्पसन क्लाज में नहीं आ सकता था इसलिए रिज्युम हुआ। रिज्युम होने के बाद जो इसके ट्रस्टीज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रिट के जरिये चैलेन्ज किया कि जागीरदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट अल्ट्रावायर्स है। सुप्रीम कोर्ट से इस रिट याचिका का फैसला अभी २४-१-६४ को हुआ जिसमें कि रिट करने वालों ने अपनी रिट याचिका को बिथड्रा कर ली इस इजाजत के साथ कि वे दूसरी दरख्वास्त पेश करना चाहते हैं। इस तरह से यदि रिज्यूम होने के बाद जो ग्रान्ट-इन-परपीचुइटी इस ट्रस्ट को मिलने वाली थी उसके नहीं मिलने की जवाबदारी उन ट्रस्टीज की हैं जिन्होंने इस चीज को चैलेन्ज किया। इसका निर्णय २४-१-६४ को हुआ। ग्रान्ट इन एन्युइटी के मिलने का जहां तक प्रश्न है, उसके पहले ही फार्म्स भरने होते हैं जो उन्होंने नहीं भरे। उनके फार्म्स नहीं भरने पर भी सरकार की ओर से फार्म्स भर कर ग्रान्ट इन एन्युइटी देने की कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है ये ट्रस्टीज ग्रान्ट इन पर्पिचुएटी नहीं लेना चाहते हैं। वे तो खुद यह चाहते हैं कि यह ट्रस्ट एक्जेम्प्शन में आजाय ताकि जो इसकी आराजियात की आमदनी है वह उनको मिलती रहे। चूंकि वह एक्जेम्पशन के क्लॉज में नहीं आ सकता है और ६५ टिनेन्ट्स को बेदखल नहीं किया जा सकता है और उनसे जमीन वापिस नहीं ले जा सकती है इसलिए उनको वह मंशा पूरी नहीं की जा सकती।

अतः माननीय अध्यक्षजी, यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। स्कूलें आज तक चल रही हैं। औषधालय जरूर सन् ६० से बन्द हो गये हैं। स्कूलें जसी पहले फन्क्शन कर रही थी वैसी ही कर रही है। अब वह ट्रस्टीज के ऊपर है कि वे ग्रान्ट इन एन्युइटी सरकार से ले और जिनको उनको तनख्वाहें चुकानी हों उनको चुकावें और नहीं लेना चाहते हैं तो वह सरकार ग्रान्ट किसको दे यह प्रश्न रहता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन-प्रस्ताव भीलवाड़ा में दो एडवोकेट्स को पुलिस थाने में पीटे जाने के विरोध में और उसके साथ ही ६-७ अन्य नागरिकों को पीटे जाने के सम्बन्ध में आपके समक्ष पेश किया हुआ है। इनकी पुलिस थाने में पिटाई की गई है। मामला बहुत ही गम्भीर है और प्रत्येक सेशन में इस प्रकार की घटनायें हमारे सामने आती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, रात को २ बजे मेरे पास ट्रंककाल आया और तार भी आये हैं। एडजोर्नमेन्ट मोशन के साथ पेश कर दिये हैं। उसमें सारी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

घटना का जिक्र है। इसमें सारी पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से जॉइन्ट टेलीग्राम है वह। और उसमें यह रिक्वेस्ट की गई है कि इससे एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। रात को ढाबरियाजी के पास, मानकजी के पास भी दो-ढाई बजे इत्तला आयी थी कि इस प्रकार इससे एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है और एक व्यापक असंतोष है जिसके कारण आज भीलवाड़ा में पूर्ण हड़ताल है। वे प्रसिद्ध एडवोकेट और म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता कि किस प्रकार एक प्रश्न का मामला अड़ रहा है।

सदन में यह प्रश्न उठाया गया है लेकिन बहरहाल पोजीशन यह है कि स्थिति वहां खराब है सरकार इस बारे में जल्दी नहीं संभली तो स्थिति बहुत भयंकर हो जायगी। स्थिति के अन-टू-वर्ड हो जाने की संभावना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, एस० पी० और कोतवाल को ससपेन्ड करने की हमारी मांग है जिसको फौरन सदन को स्वीकार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जितने भी ससपेन्शन आज-तक हुए हैं उसमें से दस प्रतिशत भी डिसमिस नहीं हो पाये हैं फिर भी वहां के लोगों को सन्तोष दिलाने के लिये, वहां की गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उपयुक्त होगा कि कोई भी कार्यवाही हो वह ईमानदारी से कार्यवाही हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री महोदय से निवेदन किया जाय कि वे इस सम्बन्ध में आज ही वक्तव्य दें, सारे शहर में आज हड़ताल हैं। पांच-साढ़े पांच हजार लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया है। कलेक्टर ने एस० पी० और कोतवाल को तुरन्त मौअत्तिल करने की रिकमन्डेशन राज्य सरकार को की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा):- अध्यक्ष महोदय, इस समय सारे शहर में हड़ताल है और लोगों में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया व्याप्त है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने संकेत किया है इस तरह का बलुआ हुआ है जिसमें एडवोकेट को मारपीट की गई है। भीलवाड़ा में जो यह मामला हुआ है उसके बारे में मैं अभी पूरी जानकारी नहीं कर सका हूं। छः बजे से लगातार मैं इस कोशिश में हूं कि इस बारे में कुछ तथ्य मिले। जो कुछ तथ्य मिले हैं उनको मैं विशद रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह ठीक बात है कि एडवोकेट किसी मामले के सिलसिले में कोतवाली में आये। उनके साथ किस प्रकार की बातचीत हुई इस बारे में मैं इस सयम रोशनी नहीं डाल सकता टेलीग्राफिकली और टेलीफोन द्वारा फेकचुअल रिपोर्ट मंगाने का प्रयास कियां गया है यह सब आजाने के बाद स्थिति को ठीक प्रकार से सदन के सामने रख सकूंगा। इसके सिवाय मुझे अब तक पता नहीं चला है कि वहां हड़ताल भी है और वह आज से शुरू है। हो सकता है मैंने सात बजे से यह जानने का प्रयास किया है और हड़ताल ६ बजे शुरू हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हड़ताल आज से नहीं कल से ही चल रही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इत्तला आपके पास आई हो लेकिन मुझको तो यह इत्तला नहीं है। यह मैं कह सकता हूं कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी की बताई गई है अभी तक की जानकारी के आधार पर। जैसा कि मैंने निवेदन किया इस सारी स्थिति की जानकारी मैं शीघ्रातिशीघ्र करके, जैसी कि मुझे आशा है सारी स्थिति की जानकारी शाम तक मिल जायगी उसके बाद मैं कल सदन के सामने सारी स्थिति के बारे में वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम लोगों को इत्तला मिल जाती है, लेकिन आपके गृह विभाग को नहीं मिल पाती, यह बड़े शर्म की बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि श्री सुभाष डांगी को गंभीर चोट आई है, जिसका सर्टिफिकेट डी० एम० एच० ओ० ने दिया है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो इस प्रकार से एक्जामिन करने लगे जैसे सारे तथ्य मेरे पास आ गये हों।

श्री अध्यक्ष: अपूर्ण सूचना सदन में देना उचित नहीं है। सारी जानकारी माननीय मंत्री महोदय आज शाम तक कर लेगे कल सदन को सारी जानकारी दे देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अफसोस तो इस बात का है कि जिस चीज की जिस वाकेआत की जानकारी हमने सदन को दी। उसकी जानकारी उपमंत्री, गृह विभाग को नहीं मिलती। जब कि उनकी सारी अथोरिटीज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी० क्या करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझको इत्तला नहीं मिलती तो टेलीफोन से विषद जानकारी करने का प्रयास क्यों करता? अर्लियेस्ट पॉसीबल ऑपोर्चुनीटी का सवाल उठता है, जानकारी मुझे भी मिली है; विषद जानकारी करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल से पब्लिक ने पुलीस कोतवाली को घेर लिया है स्थिति भयंकर रूप धारण करती जा रही है। पुलिस थाने को घेर लिया जाय क्या यह गंभीर स्थिति सरकार नहीं मानती। राजस्थान के अन्दर एक प्रकार से यह भयंकर घटना है जिसकी इत्तला आपको एस० पी० न दे डि० मजिस्ट्रेट न दे तो उनको वहां क्यों रख रखा है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझको जानकारी नहीं मिलती तो आप यह कह सकते थे।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में निश्चित रूप से आज जानकारी प्राप्त करके कल सदन में वक्तव्य दे दें।

जयपुर में हुई बस दुर्घटना सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

इसके अलावा एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री दुर्गालाल बाड़दार की ओर से आया है जिसमें जयपुर में हुई ट्रक दुर्घटना के बारे में ट्रेफिक व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में भी कृपया आप कल वक्तव्य दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह होम विभाग तो होम हो गया। आप तो भरत नाट्यम् या कत्थक, जो खानदानी पेशे वाला विभाग है उसे ही संभाल लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपके पर भी आया था............

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर वालों को खानदानी पेशा ही शोभा देता है।

मांग संख्या २२ व ३५ सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि एवं विविध

श्री भीखाभाई (सामुदायिक विकास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २२–मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१८,०३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या ३५–मुख्य शीर्षक ७१-विविध के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८३,४४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

मांग संख्या ३५

श्री गंगासिंह राठौर (जायल) :

1. Demand No. XXXV, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by Re. 1/– (to discuss the misuse of grant in aid given to the Panchayat Samitis under this Demand).

मांग संख्या २२

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):

२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (स्थानीय विकास के जो अधूरे कार्य पड़े उन पर विचार करने हेतु)।

३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर जिला के विकास सामुदायिक परियोजनाओं के कार्य में सरकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है पर बहस करने हेतु)।

४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा उदयपुर जिला व शाहबाद में आदर्श बस्ती बनाई उसमें अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १००) रु० की कटौती की

(श्री विजयसिंह झाला)

जाय (पंचायतों के अनुदान अपर्याप्त होने पर बहस करने हेतु) ।

६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नाथद्वारा क्षेत्र को अभाव ग्रस्त मानकर सहायता न देने पर बहस करने हेतु) ।

७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं का अनुदान अपर्याप्त होने पर बहस करने हेतु) ।

८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर में गन्दी बस्तियों के लिये जो धन राशि खर्च की गई उसमें अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१—विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नाथद्वारा जांच समिति के लिये जो व्यय हुआ उस पर बहस करने हेतु) ।

श्री मोहनराज (बाली) : १०, मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (जनानी ड्योढ़ी पर अनावश्यक खर्च रोकने पर बहस करने हेतु) ।

११. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में तथा कुछ ग्रामों में बाढ़ तथा अग्नि के उपद्रव स्वरूप हुए नुकसान को ठीक करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करने पर बहस करने हेतु)।

१२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (उच्च सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : १३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार को सामुदायिक विकास को योजनायें बनाने में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

१४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास विभाग के पुनः संगठित करने पर बहस करने हेतु) ।

१५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के विकास कार्य में सरकारी हस्तक्षेप पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामकिशन (वैर): १६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): १७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को सिंचाई और संवार के लिये सहायतार्थ दिये गये अनुदान की कमी पर बहस करने हेतु) ।

Page No. 39

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मांग संख्या ३५

१८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० की कटौती की जाय (लोकतन्त्रात्मक विकेंद्रीयकरण के संबन्ध में प्रशिक्षण पर हुए व्यय (Expenditure) की व्यवस्था असन्तोषजनक होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : १९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करने में निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की तरफ लापरवाही बरतने पर बहस करने हेतु)।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : २०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं आदि १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास संस्थाओं में राज्य सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप पर बहस करने हेतु)।

२१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास कार्यों के निमित प्रदन धनराशि का दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

२२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय सामुदायिक विकास परियोजना के क्रियान्वय में राज्य सरकार के असफल होने के कारण और उससे उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : २३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को अपने कृषि फार्मों के लिए जमीन देने पर बहस करने हेतु)।

२४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेड़ा पंचायत समिति में खरीदे गये २१ रेडियो सेट के बारे में विचार करने हेतु)।

२५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १०० रुपये की कटौती की जाय जाय (पंचायत समिति बनेड़ा के अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए अर्थ-व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

२६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७— सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों की जांच न करने पर बहस करने हेतु)।

२७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाऐं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पानी पीने के कुओं के लिए दी जाने वाली धनराशि के सदुपयोग पर बहस करने हेतु।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

२८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दी जाने वाली समाज शिक्षा के सम्बन्ध में रकम की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर बहस करने हेतु)।

२९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ी जिला भीलवाड़ा) पंचायत समिति के ट्रेक्टर व ट्रॉली पर खर्च की गई रकम के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

३०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा) पंचायत समितियों। वित्तीय अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

३१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि, में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों की बकाया रकमों की वसूली पर बहस करने हेतु)।

३२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को प्राथमिक पाठशालाओं के लिए दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के विकास कार्यों में शिक्षा, सहकारिता, पी० डब्लू० डी० विभागों के दोहरे अधिकारों के कारण प्रगति न होने पर बहस करने हेतु)।

३४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को सामाजिका शिक्षा के लिए दी जाने वाली रकम के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

३५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जगह (कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचायत समितियों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों पर बहस करने हेतु)।

३६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (इण्डियन एयर लाइन्स कॉरपोरेशन को दी जाने वाले आर्थिक सहायता पर बहस करने हेतु)।

३७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (वसूल न होने योग्य अपलिखित अस्थायी ऋण तथा अग्रिम पर बहस करने हेतु)।

३८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध १) रु० की कटौती की जाय (संवाद–दाताओं तथा लेखकों को सम्बन्धित मन्त्री द्वारा दिये जाने वाले विवेकाअनुदान पर बहस करने हेतु)।

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

३९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्राकृतिक आपत्तियों से अवरुद्ध व्यक्तियों को सहायता देने की प्रणाली पर बहस करने हेतु)।

४०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (बाढ़, अग्नि आदि से पीड़ितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को रकम देने में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

४१. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान की रकम के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

४२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण पर किए जा रहे व्यय पर बहस करने हेतु)।

४३. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (M-2 (i) भोजन, वस्त्र और चिकित्सा पर होने वाले व्यय के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

४४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्रदर्शन समिति द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

४५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (स्वर्ण नियन्त्रण कार्यालय पर किए जाने वाले खर्च के औचित्य पर बहस करने हेतु)।

४६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दी जाने वाले अनुदान में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

४७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान की कमी पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

४८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजना में अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों की अवहेलना पर बहस करने हेतु) :-

मांग संख्या ३५

४९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की असफलता पर बहस करने हेतु)।

५०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (सार्वजनिक सम्पर्क विभाग की अकुशलता पर बहस करने हेतु)।

Page No. 42

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

५१. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १) रु० की कटौती की जाय (धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये प्राप्त राशि के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री मानसिंह महार (आमेर):

52. Demand No. XXII, Major Head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Department Works be reduced by Re. one (to discuss the failure of Government in preventing corruption in Local Development Works).

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़):

५३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में असफलता पर बहस करने हेतु)।

५४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सज्जनगढ़ में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के विस्तार में पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा सु०):

५५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला बांसवाड़ा में पंचायत समितियों के विकास के कार्य सूचारु रूप से चलाने में असफल रहने पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

५६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७– सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास के कार्यों में असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

५७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान में पक्षपात करने पर बहस करने हेतु)।

५८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों में दिये जाने वाले अनुदानों की रकम का सही सदुपयोग नहीं करने तथा उसकी असफलताओं पर बहस करने हेतु)।

५९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (प्रकाशन विभाग पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर बहस करने हेतु)।

६०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम पंचायतें अधिनियम के सम्बन्ध में होने वाले अनावश्यक खर्च पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

६१. Demand No. 22, Major Head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works be reduced by Re. one (to discuss uniform grants-in-aid to Panchayat Samitis on population basis).

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) :

६२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा पंचायत समितियों के Administrative प्रशासनिक खर्च में अनावश्यक खर्चा कम न करने की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

६३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (भादरा पंचायत समिति के अव्यवस्थित और नीति विहीन कार्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

६४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (ब्लॉक्स पर किया गया व्यय निरर्थक जा रहा है, पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

६५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (Grant-in-aid to Municipalities दिये जाने में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

६६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० को कटौती की जाय (स्थानीय विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं उन पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

६७ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं में जन सहयोग प्राप्त करने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

६८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर धन के दुरुपयोग को रोकने में सरकार की असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

६९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० को कटौती की जाय (जन सम्पर्क विभाग में अनुचित नियुक्तियां व तबादलों पर बहस करने हेतु) ।

७०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (अलवर म्यूनिसिपल कौंसल में व्याप्त अनियमितता के कारण सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

७१. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों एवं पंचायत समितियों को उपयुक्त राशि उपलब्ध न करने पर बहस करने हेतु):

मांग संख्या २२

श्री फूलचन्द जैन, (सुजानगढ़) :

७२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में

(श्री फूलचन्द जैन)

१) रु० को कटौती की जाय (सुजानगढ़ तहसील में स्थानीय विकास निर्माण कार्यों को असंतोषजनक स्थिति पर बहस करने हेतु):

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़):

७३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास खंड में तनख्वाह एवं भत्तों पर होने वाले व्यय पर बहस करने हेतु)।

७४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास खंड से मिलने वाली तकावी पर बहस करने हेतु)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास):

७५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (स्थानीय विकास कार्य को न्यायोचित स्थान न देने के क्रम पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर):

७६. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति, सीतलवाड़ा में विकास निर्माण कार्य में पक्षपात होने पर बहस करने हेतु)।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा):

७७. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में राज्य सरकार को असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

७८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्राकृतिक आपत्तियों और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता समय पर न दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन):

७९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (ब्लॉक पर किया गया व्यय निरर्थक जा रहा है पर बहस करने हेतु)।

८०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००) रु० की कटौती को जाय (राष्ट्रीय विस्तार कार्यों में हुए घोटालों के सम्बन्ध पर बहस करने हेतु)।

श्री देवीलाल (सराड़ा): ८१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला उदयपुर, पंचायत समिति सराड़ा में आदिवासी खण्ड (ट्राईबल ब्लॉक) खुलवाने पर बहस करने हेतु।

८२. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जिला

(श्री देवीलाल)

उदयपुर, पंचायत समिति खेरवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं पूरा कराने में असमर्थता पर बहस करने हेतु) ।

८३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, आदि में १) रु० को कटौती की जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराने पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ८४. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कर्मचारियों द्वारा पंचायत समितियों के प्रति अपनाये जा रहे जन विरोधी रवैये पर बहस करने हेतु) ।

८५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास-खंडों द्वारा किये गये अपूर्ण कार्यों को पूर्ण, करवाने में असफलता पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

८६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १००) रु० की कटौती की जाय R. A S. Officers की शिक्षा Training में मूल-भूत परिवर्तन की आवश्यकता पर बहस करने हेतु) ।

८७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदानों में बरती जाने वाले पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : ८८. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के सिंचाई एवं संचार के अधूरे कार्यों को पूरा कराने बाबत पर बहस करने हेतु) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ८९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिला की पंचायत समितियों में स्थानीय विकास-निर्माण कार्यों की रकमों का दुरुपयोग पर बहस करने हेतु) ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ९०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विकास खंडो में प्रशासनिक खर्च में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। इस पर प्रकाश डालने हेतु) ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-मु०) : ९१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य से जनता का जीवन स्तर उठाने में राज्य सरकार की असफलता पर बहस करने हेतु) ।

Page No. 46

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

मांग संख्या ३५

६२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के प्रशिक्षण की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

६३. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय पंचायत समितियों के उचित सहायता न देने पर बहस करने हेतु)।

६४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण व ट्रेनिंग पर खर्चा बन्द किया जाने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाडिया) : ६५. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (स्थानीय विकास निर्माण कार्य में शिथलता एवं पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) -६६- मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० कटौती की जाच (गिरवा क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा तकाबी देने में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)

मांग संख्या ३५

६७. मांग संख्या ३५,-मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० को कटौती की जाय (राजस्थान स्पोर्ट्स और क्लब आदि में दी जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)

६८. मांग संख्या ३५,-मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका को दिये जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

६९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दिया जाने वाला अंशदान अपर्याप्त होने पर बहस करने हेतु)।

१००. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१- विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान अपर्याप्त होने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री जीवराजसिंह (गुड़ा) : १०१- मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति, उदयपुर वाटी द्वारा विकास कार्यों में पक्षपात किये जाने पर बहस करने हेतु)।

श्री केसरीसिंह (पाली) : १०२— Demand No. XXII, Major Head 37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Work be reduced by Re. 1 (to disscus the failure of Government to build the statute of Panchayati Raj Institutions so as to inspire faith in the people).

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : १०३ मांग सं० २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रू० की कटौती की जाय (नागौर जिले की परबतसर व मकराना पंचायत समितियों में विकास कार्यों के लिये दिये गये धन में अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : १०४—मांग संख्या २२। मुख्य शीर्षक ३७— सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

१०५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (अन्य अंशदान, भेंट, दान, सहायतार्थ अनुदान आदि में हो रहे गबन व धन के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

१०६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (ग्राम पंचायत अधिनियम के संबंध में किये जाने वाले धन के अपव्यय पर बहस करने हेतु)।

१०७. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १००) रु० की कटौती की जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई योजनाओं को क्रियान्वित करने में सरकारी उदासीनता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : १०८ मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिले में विकेन्द्रीकरण विभागीय ढिलाई के कारण नाकामयाब होने पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १०९—मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जलप्रदाय योजनाओं की असफलता पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ३५

११०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (अनियमितरूप से विज्ञापन दिये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री सम्पत्ति लाल बोहरा (मावली): १११. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा न करने पर बहस करने हेतु।

मांग संख्या ३५

११२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१—विविध में १) रु० की कटौती की जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई की अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या २२

श्री बालचंद डागा (किशनगढ़) : ११३० मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--, सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं होने पर बहस करने हेतु) ।

कंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद)

११४. मांग सं० २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १००)रु० की कटौती की जाय (सामुदायिक विकास परियोजनायें व विकास निर्माण कार्यो के अभाव पर बहस करने हेतु) ।

वैद्य श्रीगोविंदसहाय (गंगापुर) ११५: मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाओं में १) रु० की कटोती ली जाय (पंचायत समितियों में अनियमितता पर बहस करने हेतु) ।

श्री अमरसिंह (दूदू) : ११६

मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाओं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायती राज व्यवस्था ठीक न होने पर बहस करने हेतु)।

श्री लक्ष्मी चन्द : (पीपलदा) : ११७

मांग संख्ला २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (स्वास्थ्य व ग्राम स्वच्छता के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री रावतराम (सादूलपुर) :

११८. मांग संख्या, २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती को जाय (पंचायत समितियों में जो विकास विभाग हैं उनका प्रयोग उस क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य, भी विकास संबंधी कार्य देखने व उन्हे प्रोत्साहन देने हेतु प्रयोग करने के अधिकारी होने चाहिये पर बहस करने हेतु) ।

श्री भानु प्रसाद कराड़िया (चौमू) :

११९. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर जिले में सामुदायिक विकास परियोजनाएँ के अन्तर्गत पूर्णरूप से कार्य नहीं किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

१२०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती को जाए (स्थानीय विकास कार्यों के लिए दी जानेवाली राशि किस-किस पद में कितनी-कितनी रखी जाये और इस राशि की कमी पर बहस करने हेतु)।

१२१. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आदि में १) रु० की कटौती की जाए (आईटम A-2 (ii) में राशि बहुत ही कलील है पर बहस करने हेतु) ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मांग संख्या ३५

१२२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (प्रकाशन समिति के स्टाफ के साथ भी उसी शिक्षा के बराबर के दूसरे विभाग के अधिकारियों के समान वेतन श्रेणियां रखी जायं पर बहस करने हेतु) ।

१२३. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायतों को मिलने वाली सहायतार्थ अनुदान की कमी पर बहस करने हेतु) ।

१२४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को मिलने वाले सहायतार्थ अनुदान की कमी पर बहस करने हेतु) ।

१२५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों की आर्थिक हालत सुधारने को दी जाने वाले फ्री फण्ड को बन्द न किये जाने पर बहस करने हेतु)।

१२६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१ विविध में १) रु० की कटौती की जाय (मद M—2 (ii) में सहायतार्थ राशि की रकम कम कर दी जाने पर बहस करने हेतु) ।

१२७. मांग सख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द करने पर बहस करने हेतु) ।

१२८. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (व्यय के नवीन मदों में दी जाने वाली व्यय की राशि को कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

१२९. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (विस्थापितों की सम्पत्ति की अभिरक्षक में की जाने वाली राशि को बन्द करने पर बहस करने हेतु) ।

१३०. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (वसूल न होने योग्य अपलिखित अस्थायी ऋण और अग्रिम पर बहस करने हेतु) ।

१३१. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान वित्तीय निगम को दी जाने वाली सहायता बन्द की जाने पर बहस करने हेतु) ।

१३२. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम गृह योजना पर किये जाने वाले खर्च को कम किये जाने पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या २२

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :

१३३. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि में १) रु० की कटौती की जाय (हिन्डोली पंचायत समिति में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

मांग संख्या ३५

श्री हरिराम धारू (सिवाना सु):

१३४. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले सामान्य अनुदान क दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

१३५. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम गृह परियोजन स्कीम के मद में दी जाने वाली राशि के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

श्री बालूराम चौधरी (फतहपुर):

१३६. मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध में १) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिकाओं को सहायता देने में अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा)

१३७. Demand No. XXXV, Major Head 71-Miscellaneous be reduced by rupee one (to discuss amount of Grant-in-aid provided for rural sector i. e. Panchayats is much less compensation to the sum by huge provided for municipalities).

श्री गंगासिंह (जायल): अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो डिमाण्ड पेश की गई उस डिमाण्ड ३५ पर मेरा एक कट मोशन है उस सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने जहां डिसइन्टेग्रेशन ऑफ पावर्स के सिद्धान्त को मंजूर किया है उससे पंचायतें, पंचायत समितियें और जिला परिषदों को ग्रान्ट-इन-एड देने के सम्बन्ध में प्रोवीजन है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

भारत की स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये यह जरूरी था कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत अधिकार दिये जावें, इनके लिये कुछ पावर्स डिफाइन किये जावें। इनको कौन कौन से काम दिये जायेंगे इस सम्बन्ध के अन्दर केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें तय करें कि इन संस्थाओं के ढांचे को किस प्रकार चलाया जावे। मुझे इस बात के लिये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम इन संस्थाओं के लिये दूसरे कदम उठा रहे हैं सारे पावर्स को प्रोवीन्शियल लेवल पर सेन्ट्रल लेवल पर एकत्रित कर लेना और जनता को उन पावर्स की सुविधा न देना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। जहां हमने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मानकर पॉवर्स देने का तय किया है वह पॉवर्स दिये भी गये हैं यह उचित कदम है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अगर इन संस्थाओं को ठीक ढंग से चलाना है तो निश्चय तौर पर आप यह कदम उठायेंगे इन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने के इस बारे में सरकार के निश्चित आधार हैं पंचायत समितियां, जिला परिषदें और पंचायतें सुगमता से अपने अपने क्षेत्र में काम करें लेकिन मैं जहां तक देखता हूं इन पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सुचारु रूप

(श्री गंगासिंह)

से अपने अपने प्रोग्राम कार्यान्वित नहीं करने दे रहे हैं। सरकार की तरफ आदेश जरूर कर दिये जाते हैं कि पंचायतें पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो दैनिक कार्यक्रम हैं उनमें हस्तक्षेप करने की बाबत है। इससे पहले कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप स्पष्टतया यह दिमाग से हटा लें कि पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें अपने आप काम नहीं कर सकतीं, आपके आदेशों से ही काम कर सकती हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि पंचायतें, पंचायत समितियें और जिला परिषदों के लिये आर्डर्स इश्यू करते हैं वे इस प्रकार के आर्डर्स नहीं होने चाहिये जिससे उनके दैनिक कार्यक्रमों में रुकावट पैदा हो।

इसके पहले कि मैं उन इन्स्टीट्यूशनों के सम्बन्ध में अर्ज करूं, मैं जिला परिषद् पर कुछ कहना चाहूंगा। आज जिला परिषद् एक नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। इसको कोई पावर नहीं है। मैं कहूंगा कि यह एक पावरफुल बाडी होनी चाहिए। इसके प्रमुख का स्टेटस बढाया जाना चाहिये। इसके बिना पंचायत राज और आपका डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर्स को बात ढकोसला सी लगती है। इसलिये प्रमुख को स्टटस दिया जाना चाहिये और वह डिप्टीमिनिस्टर से किसी तरह कम नहीं होना चाहिये। आज वह आनरेरियम पर काम करता है, पर जिस तरह डिप्टी मिनिस्टर को तनखा और दूसरी सहूलियतें मिलती हैं, वैसी ही इनको मिलनी चाहिये ताकि वह दूसरा कोई काम न करके पूरा समय इसी में दे सके और इस जिला परिषद् को एक महत्वपूर्ण संस्था बना सके और लोगों का इस पर पूरा पूरा विश्वास जम सके और लोग जिला परिषद् के कामों को समझ सके। इसे बहुत दृढता के साथ पावरफुल बाडी बनाना अति आवश्यक है। इसका सैक्रेटरी आर. ए. एस. की केडर का न होकर, आई. ए. एस. के रेंक का होना चाहिये। कलक्टर को बनाया जाय अगर इसे नहीं बना सकते तो किसी दूसरे आई. ए. एस. व्यक्ति को बनाया जावे जिससे कि इसका स्टेटस बहुत ऊंचा दिखाई पड़े। जब तक ऐसा स्टेटस आप नहीं बनावेंगे तब तक, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर से शासन का नीचे जनता तक लिंक नहीं बैठ सकेगा।

ओटोनोमस बोडी भी होना जरूरी है इसका। स्टेट लेवल पर केबिनेट फंक्शन करे और जिला लेवल तक वही फंक्शन यह करे। तो जिले से जो आप सम्बन्ध, रखते हैं वे सारे अधिकार इस जिला परिषद् को आपको ट्रान्सफर करने पड़ेंगे। वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वे सुचारु रूप से चला सकें, इस तरह के स्वायत्त शासन संस्था के अधिकार उनको देने होंगे। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं वे भी इसके नीचे आना अति आवश्यक है, नहीं तो, जिला परिषद् का काम नहीं रहेगा कोई। इसके कान्स्टीट्यूशन में एम. एल. ए. और एम. पी. हैं ऐसे रेस्पोन्सिबल आदमियों के हाथ में अगर आप काफी हद तक पावर न देंगे तो फिर इनको वहां रखना व्यर्थ है। तो इनको न देने का कारण भी नहीं कोई हो सकता। इसलिये निःसंकोच भाव से, इसे आप पावरफुल बाडी बनायें वरना डिसेन्ट्रेलाइजेशन के तहत यह बॉडी सुचारुरूप से

Page No. 52

(श्री गंगासिंह)

काम नहीं कर सकेगी। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस दिशा में जल्दी कदम उठावें। अब डिसेन्ट्रेलाजेशन की स्कीम आपने ऐसी रख दी है कि इसे आप वापिस भी नहीं ले सकते, लेते है तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ती है और अगर अधिकार उसे नहीं देते तब भी मुश्किल है, तब भी डेमोक्रेसी ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पावेगी, वह कमजोर बनी रहेगी। तो डेमोक्रेसी का काम सुचारुरूप से चले इसके लिये यही जरूरी है कि इसे पावरफुल बाडी आप बनावें. और पावरफुल बनाना है तो उसको अधिकार देना आवश्यक है, उसका स्टेटस बढाना जरूरी है, उसे ओटोनोमस बाडी बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। प्रजातंत्र कायम रखने के लिये, केओस से बचने के लिये, काम्यूनिटी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिये देश, राजस्थान प्रान्त और सोसायटी को मजबूत बनाने के लिये यह जरूरी है।

तो इसके लिये नये एक्ट की जरूरत पड़े तो वह भी आप बनावें। उसका स्वयं का बजट हो, लैंड रेवेन्यू जरूर आप उसको न दें, सरकार जितना अंश देना चाहे उसे दे। इसके अलावा टैक्सेज से वह फण्ड अपना बनावे यह अधिकार दें, उसको पावर हो, उसका अपना फण्ड हो, उसका अपना बजट हो और इनमें स्टेट गवर्नमेन्ट का ज्यादा इन्टरफियरेन्स न हो। फिलहाल परिस्थिति यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बजट प्रोवाइड करती है हैडवाइज और वही सेंक्शन देती है पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को तब जाकर उनको पैसा मिलता है। यह स्थिति बदलनी चाहिये अभी तो हो सकता है परटीक्यूलर हैड में वे पूरा खर्च न कर सकें इससे फण्ड्स लेप्स होते हैं और उसके पैसा का उचित उपयोग नहीं होता।

मेरा अनुरोध है पंचायत समितियों को फण्ड और ग्रान्ट-इन-एड कहां तक देंगे, जिला परिषदों को कहां तक देगें, इनके क्या क्या काम होंगे, इनके क्या क्या बजट होंगे; तो ये सारे काम डिसेन्ट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त के आधार पर इन्हीं पर छोड़ देने चाहिये। वे अपने अपने बजट बनावें, वे ही उनको सैंक्शन दें और खर्च करें। सरकार उनको एड देती रहे, फण्ड्स जो उनके लिये उचित और जरूरी हों देती रहे। पंचायत समिति से, वाकी, बजट की सैंक्शन पंचायत समिति दे, बजट वही तैयार करे और सैंक्शन भी वही दे, जिला परिषद् अपना बजट अपने आप बनावें, वही सैंक्शन दे। इस सैंक्शन के लिये गवर्नमेंट का यहां मुंह वे ताकते रहें, यह अनावश्यक है। जब आपको पॉवर का डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना है, नीचे के प्रजातंत्र के अंगों को पुष्ट और प्रबल बनाना है, सशक्त करना है, वैसी स्थिति में ये अधिकार आप उनको दे दें। सम्भव है ये पंचायत समितियां या जिला परिषदें प्रारम्भ में कुछ ऐसे काम भी कर बैठें जो गलतियों में शुमार हों तो यह उनकी प्राइमरी स्टेज है, यह महसूस करते हुए उनको बर्दाश्त करें और आगे से उनको सही करने का उनको मौका दें, इस डिसेन्ट्रेलाइजेशन की पालिसी को सुगमतापूर्वक चलने देना होगा।

इसलिये जिला परिषद् के तहत जो जिले से सम्बन्धित छोटी मोटी सड़कें हैं, सिंचाई के छोटे मोटे काम हैं, बान्ध हैं, छोटे मोटे

(श्री गंगासिंह)

तालाब हैं, इन सबके लिये जिला परिषद् को पूरी ऑथोरिटी दी जावे और स्टेट गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि जितना फण्ड वह दे सकती है अपने हिसाब के माफिक वह उसे अलॉट कर दे और इसके बाद जिला परिषद् अपनी मीटिंग में उसका बजट तैयार करें और खुद ही खर्च करें, और खुद ही उसके लिये सैंक्शन दें। इसलिये इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करूंगा और वह यह है कि आपकी जो जिला परिषदें हैं उनमें जो बैठकें होती हैं उनमें कई रिकमेन्डेशन की जाती हैं। जहां तक जिला परिषदों का सम्बन्ध है उसके हाथ में कोई पावर्स नहीं है, न तो वह पंचायत को डिक्टेशन दे सकती हैं, न पंचायत समितियों के कार्यों में हेरफेर कर सकती है, न स्टेट लेवल पर वे अपनी वाइस रखती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है कि जिला परिषदों के पास पावर्स नहीं है लेकिन साथ ही साथ रूल्स के अन्दर ऐसे प्रावीजन्स हैं कि कलेक्टर को यह आदेश दिये गये हैं कि कलेक्टर जिला परिषदों के जो (रेज्योल्यूशन्स हों उनको कार्यान्वित कराने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और उनकी रिपोर्ट जिला परिषदों के सम्मुख रखेंगे। परन्तु खेद की बात है कि यह सब आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक कोई एक दो के बारे में तो मैं कह नहीं सकता वर्ना किसी भी कलेक्टर ने जिला परिषद् के सम्मुख कोई भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की कि जिला परिषद् के रेज्योल्यूशन्स कौन कौन से थे, कब कब पेश हुए और उसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर ने किस तरह से सहयोग दिया और कहां तक वह कार्य रूप में प्रकट हुए। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी यह डीसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम कभी फलीभूत नहीं हो सकती जब तक कि कलेक्टर्स को या अधिकारियों को यह चेतना न दे दें कि जिला परिषदें कोई मामूली बॉडी नहीं हैं जिसके तहत में कोई रेज्योल्यूशन्स पास हों और वे हवा में उड़ा दिये जायें इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि आप अब आदेश दे दें कि कलेक्टर महोदय जिला परिषदों के जितने रिज्योल्यूशन्स हों उनकी तरफ अपना ध्यान दें और उनको कार्यान्वित कराने में पूरा प्रयत्न करें और साथ ही साथ जो डिफिकल्टीज हों वे जिला परिषदों के सम्मुख वापिस पेश करें और प्रोग्रेस रिपोर्ट जिला परिषदों में वापिस दें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस ओर भी गवर्नमेंट अपना ध्यान दे।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं एक सर्कूलर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने यह सर्कूलर दिया है कि प्रोडक्शन कमेटी बनाई जायें और इनके चेयरमेन आपके कलेक्टर हों और उसके मेम्बर प्रमुख वगैरह हों। इसके पहले कि मैं इस तरह की कमेटियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिला परिषदों के तहत जो कमेटियां बनती हैं और एक रब कमेटी होती है कि जो प्रोडक्शन के सम्बन्ध में ध्यान रखती है।

मुझे यह अनुभव होता है कि एक ओर तो जिला परिषद् में एक कमेटी होती है जो प्रोडक्शन के सम्बन्ध में अपनी रिकमन्डेशन

(श्री गंगासिंह)

करती है तो दूसरी ओर स्टेट लेवल में ऐसी कौनसी नौबत आई कि प्रोडक्शन की कमेटी बनाई जाये और उसके चेयरमैन कलेक्टर रखे जायें। ऐसी ऐसी कमेटीज होती हैं अध्यक्ष महोदय, जिनमें एक अजीब सी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। एक ओर तो आप प्रमुख जिला परिषद् की जहां अपनी मीटिंग करता है कलेक्टर उसके सामने एक मेंबर की हैसियत से बैठता है। आपके मिनिस्टर और एम० एल० ए० और एम० पी० मेंबर की हैसियत से बैठते हैं और दूसरी ओर आप ऐसी कमेटी बनाते हैं जहां प्रमुख की कोई इम्पोर्टेन्स नहीं। वह एक तरफ बैठा रहता है और उसको प्रिसाइड करता है कलेक्टर। तो ये जो दुविधा की पावर्स हैं उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि कलेक्टर और प्रमुख के सम्बन्ध क्या हैं? यह निश्चित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, कि अगर आप डीसेन्ट्रेलाइजेशन स्कीम के तहत में जिला परिषदों में प्रमुख, प्रधानों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो जहां प्रमुख जिस कमेटी का मेंबर होगा उसके अन्दर वह ही चेयरमेन होगा न कि कलेक्टर या दूसरा कोई। अगर कलेक्टर को ही चेयरमेन बनायेंगे तो एक प्रमुख जो अपना स्टेट्स बनाता है वह नहीं बना पायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसी कमेटीज जहां प्रमुख किसी कमेटी का मेंबर हो उसका चेयरमेन प्रमुख ही होना चाहिए और उसमें प्रमुख को तरजीह देना अनिवार्य है।

इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां जिला परिषदों के सुझाव आते हैं जो रिकमन्डेशन्स आती हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाये और यह गवर्नमेंट की इच्छा भी है, फिर भी न जाने गवर्नमेंट क्यों इस इच्छा के खिलाफ अपना कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि पाली जिले के अन्दर भांवरी नामक एक गांव है। वहां प्राथमिक पाठशाला के सम्बन्ध में जिला परिषद् ने यह रिकमन्डेशन की कि यह पाठशाला मिडिल स्कूल में कनवर्ट की जाये, उसको अपग्रेड किया जाये। उसके साथ ही साथ में जिला परिषद् ने रिज्योल्यूशन पास किया परन्तु यहां पर इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने रिकमन्ड नहीं किया इसलिये वह स्कूल अपग्रेड नहीं हो सकी। इसलिए ये उदाहरण हैं अध्यक्ष महोदय। ऐसे ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हमारे सामने पेश होते हैं जिनमें जिला परिषद् और पंचायत समितियां अपने एरिया के हिसाब से अपने अच्छे से अच्छे सुझाव करते हैं, पंचायत समितियां जिला परिषदों को रिकमन्ड करती हैं और जिला परिषदें ऊपर रिकमन्ड करती है परन्तु स्टेट गवर्नमेंट जिला परिषद् की रिकमन्डेशन का कोई ध्यान नहीं देती और आपका एक इन्सपेक्टर रिपोर्ट करता है उसका ध्यान रखा जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि जहां तक हो सके जिला परिषदों के दिये हुए सुझावों का ध्यान रखा जाये। इस तरह से आपके इन्सपेक्टर का स्टेटस ज्यादा होगया जिला परिषद् के प्रमुख से।

मैं कहूंगा कि स्कूलें कहां खोली जायें, कहां नहीं इसका वास्तविक ध्यान जो जिला परिषद् और पंचायत समितियां ही रखती हैं और वही बता सकती हैं और उसकी रिकमन्डेशन है उस पर पूरा ध्यान देकर उन पर इम्पोर्टेन्स देना ज्यादा आवश्यक है, नहीं

Page No. 55

(श्रीगंगासिंह)

तो आपकी डीसेन्ट्रेलाइजेशन स्कीम एक ढकोसला बनकर रह जावेगी पंचायत समिति रिकमन्डेशन करती है, जिला परिषद् रिकमन्डेशन करती है परन्तु उनका ध्यान न देकर एक इन्सपेक्टर या असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर रिकमन्ड करता है वे कार्य हो जाते हैं जिससे पब्लिक में यह विश्वास होता है कि वे तो नाममात्र की संस्थायें हैं और उनसे हमारा कोई संबन्ध नहीं है। हमारा संबंध तो उन आफिसरों से है जिनसे बातचीत करके स्कूलें खुलवा सकते हैं।

जब कि अध्यक्ष महोदय, हमारी डीसेंट्रेलाइजेशन स्कीम बड़ी सुगमता से चलने की कोशिश कर रही है, एक ओर मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं वह यह है कि एक तरफ तो आपकी ये संस्थायें जो कि पब्लिक की नियुक्त की हुई हैं, एक ओर वह अपने पास पॉवर्स लेने की कोशिश कर रही हैं दूसरी ओर आपकी ब्यूरोकेसी का खतरा और पैदा हो रहा है। यह सत्य है कि मैं चाहूंगा कि मेरे हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर्स रहें, दूसरे चाहेंगे कि उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर्स रहें। उस समय क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक आपके जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं-हाई प्लेस्ड हैं वह चाहेंगे कि हमारे में पावर्स ज्यादा रहें दूसरी ओर यह डीसेन्ट्रेलाइजेशनस स्कीम के तहत जो आपके इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा पावर्स रहें इन दोनों के बीच में क्लैश होता हैं। क्लैश होना कोई बड़ी बात नहीं स्वाभाविक है क्योंकि यह पावर्स के डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न होता है। आपको और जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको निश्चित रूप से इस ओर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके इन्स्टीटयूशन्स सक्सेसफुल करने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक वे के अन्दर आपको खबरें मिलती हैं और रिकमन्डेशन्स आती हैं उनको ध्यान में जरूर रखें लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हम जो कुछ कहें उसकी ओर ध्यान ही न दिया जाये इसलिए मेरा अनुरोध है कि पंचायत समिति और जिला परिषदें सुचारूरूप से चलें और इस स्कीम के तहत हमारे भविष्य का जो राजस्थान है और भविष्य की जो सोसाइटी है और भविष्य का हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग हैं वह सारा का सारा इस पर बेस्ड रहे तो यह जरूरी है कि इन इन्स्टीटयूशन्स की जरूरत और इम्पोर्टेन्स पब्लिक के सामने फील कराई जाये और पब्लिक को यह फील हो कि यह इन्स्टीटयूशन्स है वह स्ट्रांग हैं और इसके जरिये हम अपना काम करवा सकते है। जब तक यह भावना पब्लिक में नहीं आयेगी तब तक आपके इन्स्टीटयूशन्स कोई सक्सेसफुल नहीं होंगे।.... ..

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ...

श्री अध्यक्ष : काफी समय ले लिया है आपने आपकी पार्टी का।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आज की मांग का प्रश्न है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करते हुए राजस्थान की ७३६५ पंचायतों का, २३२ पंचायत समितियों का, तथा २६ जिला परिषदों का व नगरपालिकाओं का एक नक्शा हमारे सामने आता है। उस नक्शे के साथ २ एक प्रश्न उठता है कि जिस आधार पर हमने राजस्थान

(श्री विजयसिंह झाला)

के अन्दर विकेन्द्रीकरण चालू किया उसमें क्या हमें सफलता मिली ? अध्यक्ष महोदय, तो इसका जो एक उत्तर मिलता है वह एक निराशा का उत्तर है, और उसके कई कारण हैं । उन सारे कारणों के अन्दर सबसे पहला कारण जो इन पंचायत समितियों के माध्यम से जितना व्यय हुआ है वह व्यय पैसे का दुरुपयोग हुआ है । इसका सरकारी आडिट के अनुसार; आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन पंचायत समितियों के माध्यम से विकास-कार्यों पर विभिन्न विभागों का चाहे समाज-कल्याण विभाग का हो, चाहे एनीमल हसबेन्ड्री का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे सहकारी समिति का हो, लेकिन यह निश्चित है कि जितना व्यय हुआ है उसमें से केवल २५ प्रतिशत का ही सदुपयोग हुआ है और ७५ प्रतिशत का दुरुपयोग हुआ है । इसका उदाहरण मैं केवल एक पंचायत समिति का देता हूं, एक पींसागन पंचायत समिति का और एक कुशलगढ़ पंचायत समिति का । सन् ५६ से लेकर ६१ में इन दोनों पंचायत समितियों को ११.७७ लाख रुपया मिला था । इन्होंने ९५६ कार्य प्रारम्भ किये । इन ९५६ कार्यों में दरअसल में २.१८ लाख रुपये का सदुपयोग हुआ और बाकी के सारे पैसे का दुरुपयोग हुआ है । यह आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार है जो कि ६३ में निकली है । उससे स्पष्ट होता है कि जहां ११.७७ लाख इन दो पंचायत समितियों के विकास कार्यों का खर्चा है उसमें से केवल २.१८ लाख का सदुपयोग हुआ है तो जितना खर्चा हुआ है उसमें से केवल १५% का सदुपयोग हुआ है बाकी सारा मिसयूज है । अध्यक्ष महोदय, जो ६३ का ऑडिट नोट है उसमें है कि मार्च ६१ से मई १९६२ तक कुल १ ,९९,४६२) रु० का गबन हुआ है या घोटाला हुआ है । और इसके अलग अलग आपके सामने सारे आंकड़े रखता हूं—११,११२ रु० का गबन, २२,४०६) रु० का ओवर-पेमेन्ट, ८५,०००) रु० का लॉस इसलिये हुवा है कि पंचायत समितियों ने हड्डियों का ठेका नहीं दिया था और १०,०००) रु० का आपका इसलिये लॉस हुआ है कि जो टेन्डर पंचायत समितियों को काल करने चाहिये थे वे टेन्डर उन्होंने काल नहीं किये । ३,७७४) रु० का आपका फाल्स क्लेम टी०ए०, डी० ए० का उठाया गया है, १७,७०६) रु० का अनआथोराइज्ड पेमेन्ट हुआ है, १,७८,०००) रु० जो विभागीय प्रोसीजर से खर्च होना चाहिये था उसके विरुद्ध खर्च किया गया है । इसी प्रकार १०,९९,४६२) रु० के व्यय का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार को कोई बात नहीं है । सारे के सारे घोटाले किये गए, अनआथोराइज्ड पेमेन्ट हुए, अवैधानिक खर्चा हुआ है उससे सारे का सारा सम्बन्ध आफिसर लोगों का है । मैं समझता हूं कि केवल उन आफिसर्स के उस तरह से काम नहीं करने की वजह से केवल १२ महीनों के अन्दर १०,९९,४६२) रु० का घोटाला जिन पंचायत समितियों में हो सकता है वे पंचायत समितियां किस प्रकार से कामयाब हो सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनता के सहयोग का प्रश्न है वह जनता का सहयोग बराबर बढ़ता जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजन में जनता का श्रमदान और सहयोग हुआ था वह १.१८ करोड़ रुपये का था,

(श्री विजयसिंह झाला)

और उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसका यह सहयोग बढ़ा है और केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सन् ६१-६२ में ११७.२४ लाख रुपये का आपको श्रमदान या जनता का सहयोग मिला। एक ओर जनता का सहयोग बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों की वजह से जो अपव्यय होता है घोटाले होते हैं, उसके गबन होते हैं, इसके लिये हमारी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। अध्यक्ष महोदय, वह इसलिए नहीं करती हैं कि बाहर की पंचायतों को तो जाने दें हमारे ज्वाइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर के अन्दर फर्जी बिल उठा लिये जाते हैं। सन् ६१ की प्रथम जनवरी को २७००) रु० का बिल डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों ने बनाया था। उनको तनख्वाह मिल गई उसके १० दिन बाद ही २७००) रु० का एक बिल और बनता है, और इसके आधार पर तनख्वाह उठाई जाती हैं मार्च तक यह रुपया किसने उठाया और इस रुपये का क्या हुआ? आफिसर साहब ने एकाउन्ट नहीं देखा। जहां तीन तीन जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जब आडिट होता है उसके दौरान में जब इस प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि जनवरी में २७०८)रु० डबल उठाया गया। बिल जिन्होने उठाया उस नाम का आदमी दफ्तर में नहीं है, वह कहां गया इसका आज तक पता नहीं चला। एक बड़े जुम्मेदार दफ्तर में जो कि जयपुर में होता है जो पंचायत समितियों के लिये रेस्पान्सिबल है उसमें इस प्रकार का घोटाला हो सकता है और अधिकारियों को मालूम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में पंचायत समितियों में अधिकारियों द्वारा जो घोटाले होते हैं, जो इर्रेग्युलेरिटीज होती हैं, वे मेरी समझ में स्वाभाविक हैं। आज तक पंचायत समितियों का राज्य हमारे राजस्थान के अन्दर सफल नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है।

हमारे लोकल ऑडिट फण्ड ने एक नोट दिया है अपने टेन्थ क्वार्टर्ली रिव्यू के अन्दर उसमें उसके दो प्रमुख कारण बताये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पहला कारण बताया है वह यह है:--

"One of the main causes for the State of affairs is lack of proper guidance and knowledge of accounts of Vikas Adhikari".

यह पहला कारण है कि जिन विकास अधिकारियों को आप नियुक्त करते हैं उनमें एफिशियेन्सी नहीं है, वे दरअसल में एकाउन्ट्स को ठीक तरह से मेन्टेन नहीं कर सकते हैं। यह आपका आडिट नोट टेन्थ-क्वार्टर्ली का डेवलपमेन्ट कमिश्नर को मिला हैं, उससे स्पष्ट होता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण जो इसमें बताया है कि पंचायत समिति का कार्य ठीक तरह से क्यों नहीं होता है? उसका मेन कारण है राजस्व विभाग का सही सहयोग पंचायत विभाग को नहीं मिलता है। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से करोड़ों रुपया जो समय पर वसूल हो जाना चाहिए था तकावी का वह समय पर वसूल नहीं होता है। पंचायत समितियों को तहसीलदार

(श्री विजयसिंह झाला)

का जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। वहां के कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलता है। तो दूसरा कारण है हमारा राजस्व विभाग।

इन सारे कारणों से चाहे ऑडिट में किसी तरह से बताये गये हों, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पंचायतों के सरपंच गैर-जिम्मेदार हैं या प्रधान गैरजिम्मेदार हैं जिसकी वजह से असफलता मिली है। यह सारी असफलता अधिकारियों की वजह से है। दो आदमी गबन करते हैं उनमें से एक के विरुद्ध कार्यवाही हो और एक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो। इस प्रकार के हमारे अधिकारी चल रहे हैं। इसका एक उदाहरण बताता हूं। पंचायत बड़ागांव जो उदयपुर जिले के अन्दर है उसके ऊपर देता हूं वहां पर, अध्यक्ष महोदय ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दो विकास अधिकारियों द्वारा रकम का मिसयूज हुआ है। एक विकास अधिकारी को निकाल दिया गया है जिसके विरुद्ध शिकायत होती है, उन विकास अधिकारी का नाम श्री जगन्नाथ शर्मा है। ऑडिट नोट आया है उसके खिलाफ तो किस प्रकार की इरेंग्युलेरिटीज उस नोट में थी, अध्यक्ष महोदय, मैं यहां माननीय मंत्री महोदय के सामने रखता हूं। केवल उसने ३१,४५५.७३ न० पै० तीन महीने तक अपने पास रखे थे जब कि एक विकास अधिकारी को ५०००) रु० से अधिक रकम अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। यह तीन महीने तक ३१,४५५.७३ रु० उन्होंने रखे, एक महीने तक १३,६०० रुपये रखे, और ६ महीने तक रोकड़ पर दस्तखत नहीं किये, ५०००) रु० उनके नाम पर उस रोकड़ के अंदर दर्ज है कि ५००१) रु० उठाया जिसकी रसीद उसके पास है और ४३९६.७६ नये पैसे की रसीद नहीं है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, और भी कई प्रकार की गड़बड़ी की कार्यवाहियां हुई हैं उसको आप सस्पेन्ड नहीं करते हैं। इसलिए सस्पेन्ड नहीं करते हैं कि वह कांग्रेस पार्टी को सहयोग देता है। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जिन्दा रह सकती है उसके लिए यह प्रयत्न करता रहता है इसलिए उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया और उसकी जांच कराने के लिये शाहपुरा के बी० डी० ओ० को लगाया गया। जिस जे० के० बिन्दु ने शाहपुरा में हजारों रुपयों का गबन किया और जिसके लिए ऑडिट पार्टी ने नोट दिया है कि जो रेकार्ड उपलब्ध करना चाहिए था जांच के लिए वह उपलब्ध नहीं किया गया और उसको दबा दिया। इस प्रकार का नोट १५ दिनों से डेवलपमेन्ट कमिश्नर के पास पड़ा है जिसमें लिखा है कि रेकार्ड बताया जाय लेकिन इसलिए नहीं बताया जाता है कि जे०के० बिन्दु उसमें फंसता है। आज उदयपुर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। इसकी इन्क्वायरी को दबाया जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि ३५,०००) का गबन शाहबाद में किया है। वह रिपोर्ट सदन के सामने रखनी चाहिए। जिसने इसको दबाया है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। मैं अपने दल की ओर से मांग करता हूं कि श्री जे० के० बिन्दु को सस्पेन्ड किया जाय। इसके लिए प्रावधान है, सब के साथ के समान व्यवहार होना चाहिए। एक को तो आप सस्पेन्ड करें और दूसरे को नहीं करें

(श्री विजयसिंह झाला)

जगन्नाथ शर्मा को क्यों नहीं सस्पेन्ड किया गया जे० के० बिन्दू को क्यों नहीं सस्पेन्ड किया गया। मैं बता सकता हूं कि वहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है. सरकारी अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग हुआ है, पक्षपात किया जाता है इसलिए जितना धन विकास कार्यों के लिए रखा जाता है उसका केवल २५ परसेन्ट ही वास्तविक कार्यों पर खर्च होता है और बाकी धन का दुरुपयोग होता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरा जो प्रमुख कारण है वह कारण है पंचायतों में राजनीति का प्रवेश । यह राजनीति का प्रवेश पंचों या सरपंचों के माध्यम से होता हो ऐसी बात नहीं है, या प्रधानों के माध्यम से होता है ऐसी बात भी नहीं है । इस पवित्र संस्था में राजनीति का प्रवेश मंत्री लोग करते हैं। इस पवित्र संस्था में राजनीति का प्रवेश मुख्य मंत्री राजस्थान करते हैं यह शर्म की बात है। इस पवित्र संस्था में राजनीति का प्रवेश सरकारी कर्मचारी करते हैं। मैं समझता हूं यहां हम दावा करते हैं कि इस पवित्र संस्था में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए उसके पहले मंत्रियों को अपने आपको सुधारना चाहिए, अधिकारियों को सुधारना होगा।

बड़गांव में इन्क्वायरी चल रही है। वहां के लोगों ने कई बार पत्र लिखा, तार दिये मुख्य मंत्रीजो को और सम्बन्धित मंत्री जी को कि जो जांच हो रही है वह पक्षपातपूर्ण हो रही है। जो जांच कर रहा है वह व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है, जांच नहीं कर रहा है। जो जांच करवाई जा रही है उसकी सूचना पंचायत समिति को नहीं दी जाती और अगर कोई सूचना दी भी जाती है तो जे० के० बिन्दु उसको दबा देता है। जो जांच की जाती है उसमें पंचायत समिति का सहयोग आवश्यक होता है इसके लिए यह प्रस्ताव पास हो रहा है लेकिन पंचायत समिति को जानकारी तक नहीं दी जाती है और जे० के० बिन्दू जैसे अधिकारियों की मार्फत हमारे मंत्री विरोधी पार्टी के सरपंच को और प्रधानों को दबाने की कोशिश करते हैं और एन्टीकरप्शन में झूठी रिपोर्ट करवा कर उनकी जांच करवाते हैं। तीन तीन बार एन्टीकरप्शन वाले रिपोर्ट देते हैं कि इन सरपंचों और प्रधानों के अपराध नहीं किया लेकिन फिर भी उनको परेशान किया जाता है लेकिन दरअसल में जो गडबड़ियां करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। राजनैतिक प्रवेश के कारण मुख्य मंत्री और मंत्री उनको दबाना चाहते है। असली रूप में इन पवित्र संस्थाओं में राजनीति का प्रवेश मुख्य मंत्री करवाते हैं, मंत्री करवाते हैं या सेक्रेटेरियट में बैठने वाले अधिकारियों द्वारा राजनीति का प्रवेश हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसके लिए शीघ्र कार्यवाही होना मैं उपयुक्त समझता हूं।

और तीसरा कारण है वह है पंचायतों की आर्थिक स्थिति का ठीक रूप से नहीं होना। मैं समझता हूं हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमदान की राशि नियुक्त की है बहुत ज्यादा है और इतनी अधिक राशि ग्रामीण कई दफा इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिये जो पैसा मिलता है सरकार की तरफ से वह पैसा लग दिया जाता है और श्रमदान से

(श्री विजयसिंह झाला)

इकट्ठा नहीं होता है इसलिये मैं समझता हूं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जो राशि ग्रामीण जनता के लिये तय की है वह कम होनी चाहिये ताकि जो काम अधूरे है वे पूरे हो सकें।

इसके साथ ही मैं अपने दल की तरफ से पंचायतों के लिये सरकार से यह मांग करूंगा कि जो रेवेन्यू का अंश दान पंचायतों को दिया जाता है वह कम से कम ३८ परसेन्ट अंश दान पंचायतों को देना चाहिये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और उनको पंचायत समितियों या किसी अधिकारी का मुंह नहीं देखना पड़े।

इसी तरह से मैं देखता हूं कि राजस्व विभाग का सहयोग पंचायतों को नहीं होता है। इस सहयोग के लिये आवश्यक है कि पटवारी सारे के सारे पंचायतों के सुपुर्द करने चाहिये क्योंकि बहुत सी पंचायतों को आबादी की भूमि की आवश्यकता होती है उनको बेचने से उनको जो धन प्राप्त हो सकता है उससे उनकी आर्थिक दशा सुधर सकती है लेकिन कई बार कागजात तहसीलदारों के पास पेन्डिंग होते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। पंचायत समितियों को सरकारी भूमि दी जाती है लेकिन तहसीलदार उसके बारे में कार्यवाही नहीं करते है इसलिये बीच का रास्ता तय करने के लिये, पंचायतों की आवाज तहसील तक पहुंचाने के लिये पंचायतों के अंडर में पटवारियों को देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि ग्राम सेवक पंचायतों के सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे लेकिन कितने जिलों में इसे कार्यान्वित किया गया ? एक या दो जिलों में हुआ होगा। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ग्राम सेवकों को जल्दी से जल्दी पंचायत के सेक्रेटरी का काम करना चाहिये। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आर्थिक रूप से यह फायदा होगा कि तनख्वा देकर पंचायतें आदमी नहीं रख सकती उनको आदमी मिल जायगा और दूसरा फायदा यह होगा कि पंचों को कई बातों का नोलेज नहीं होने से जो अवैधानिक खर्चा सरकारी रकम का होता है वह बंद हो जायगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं जनसंघ पार्टी की तरफ से पंचायतों के चुनाव के बारे में एक फिक्स्ड डेट जानना चाहूंगा आप किस तारीख को पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं। छोटे मोटे खर्च बता कर आप तारीख आगे बढ़ा देते हैं। कभी कहते हैं सादिकअली कमेटी बैठाई थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। यह रिपोर्ट क्यों नहीं आई ? कब तक आनी चाहिये थी। शुरू शुरू में सदन में आपका स्टेटमेन्ट इस बारे में हो चुका है अप्रेल या मई में चुनाव कराने के लिये उस पर भी आप कभी तो वर्षा नहीं होने का बहाना लेते हैं और कभी कुछ बहाना लेते हैं। मैं समझता हूं यह प्रजातंत्र की हत्या होगी यदि आप चुनाव जल्दी से जल्दी नहीं करायेंगे। हम महीना नहीं जानना चाहते हैं। हम फिक्स तारीख जानना चाहते हैं जिस तारीख को आप चुनाव करा देंगे……

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): नवम्बर के महीने में पंचायतों के चुनाव करवा दंगा यह मैं सदन में कह चुका हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पहले आप अप्रेल महीने का कह चुके हैं। आपके कहने का क्या विश्वास ?

श्री मथुरादास माथुर : पहले मैंने मई महीने का कहा था। आप लोगों को अकाल पीड़ितों की हालत का क्या पता ? आप लोग कोटा या ऐसी जगहों से आते हैं जहां पानी की कमी नहीं है। वेस्टर्न राजस्थान वालों की क्या हालत है यह कोटा वालों को क्या मालूम ?

(कुछ मा० सदस्यों के एक साथ बोलने से शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : मैं जो कहता हूं वह ठीक है।

श्री विजयसिंह झाला : हम उस मन्त्री का विश्वास कर सकते हैं जिसके पीछे वाकई आधार हो या जो एक बार वायदा करके निभाता हो। मगर अफसोस की बात है कि राजस्थान में एक भी मन्त्री ऐसा नहीं है जो वायदा निभाता हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह चार्ज लगाते हैं मैं इसको रिजेन्ट करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं चैलेन्ज करता हूं एक भी वायदा जो आपने सदन में किया वह निभाया हो तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस तरह से स्वीपिंग चार्जेज नहीं लगाने चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मन्त्रीजी यह बताने की कोशिश करेंगे कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करायेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट से चुनाव का सम्बन्ध नहीं है सादिकअली कमेटी की वजह से चुनाव स्थगित नहीं किये थे। मैंने कहा था कि १० लाख रुपये इस पर खर्च किये गये हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनाये जा चुके हैं। हमारी मशीनरी पूरी तैयारी चुनाव कराने की कर चुकी थी। यदि अकाल नहीं होता तो चुनाव करा देते। सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। रिपोर्ट आवे, न आवे, नवम्बर में चुनाव कराये जायेंगे।

(१०.०० म० पू०)

श्री विजयसिंह झाला : यदि नवम्बर के महीने में कोई सप्ताह बता दें, आधा महीने, १५ तारीख पहले चालू कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें हम विश्वास कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : वह डेट मुकर्रर होने पर बता दी जायगी। नवम्बर के महीने में १५ तारीख ३० तारीख के बीच चुनाव हो जायेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : इसके लिए धन्यवाद। आप अफसोस न करें।

श्री मथुरादास माथुर : अफसोस नहीं। यह एक बार डिस्कस हो चुका है। आप बार बार कहते हैं कि हमारी बात मानते हैं। हम सदन के कार्यक्रम और मेम्बरों की इज्जत करते हैं। आपकी इज्जत में हमारी इज्जत है। फिर आप कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानते, यह मत कहिये।

Page No. 62

श्री विजयसिंह झाला : हम भी आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कार्य न करें कि हम इज्जत करने के बजाय भविष्य में इज्जत नहीं करें। एक बार वायदा किया तो पीछे न मुकर जायं, जिस प्रकार पहले एक बार वायदा करके मुकर गये······

श्री मथुरादास माथुर : फिर वही बात की जाती है। मैं कभी नहीं मुकरा हूं।

श्री विजयसिंह झाला : अब मैं नगर पालिका की बात रखता हूं। आप जयपुर नगरपालिका को नगर निगम क्यों नहीं बनाते, इसमें क्या कमी है। यह प्रश्न कई बार उठा है, यह पोपुलेशन के लिहाज से और सारी कन्डीशन्स से उपयुक्त है। उसके बाद भी जयपुर नगरपालिका को नगर निगम का रूप नहीं देने के क्या कारण हैं।

इसके साथ साथ मैं कुछ सुझाव ·····

श्री अध्यक्ष : नगरपालिका इस मद में नहीं आती।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 'विविध' भी साथ है।

श्री विजयसिंह झाला : 'विविध' साथ है। मेरी पार्टी का सारा समय मैं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समय इतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। अपने कट मोशन पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : कट मोशन पेश किया है······

श्री अध्यक्ष : कट मोशन विज्ञापन के बारे में है। कट मोशन में जो बातें उठाई है उन पर आधारित करते हुए कहें।

श्री विजयसिंह झाला : हमारी पार्टी की तरफ से कट मोशन विज्ञापन के बारे में है, नगरपालिका के बारे में है। मैं एक दो मिनट में······

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नगरपालिका का सवाल है, नगरपालिका की वित्तीय हालत के बारे में तीन चार कट मोशन हैं। इसके बारे में सजेशन करूंगा कि जितना मनोरंजन कर, यातायात का पच्चीस प्रतिशत और दूसरे प्रकार के टैक्स हैं उनका सारा का सारा हिस्सा नगरपालिका को देना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्री-आडिट है उसको खत्म करें देना चाहिए। एक प्रकार से प्री-आडिट से नगरपालिका के कार्य में हस्तक्षेप होता है। नगरपालिका चुनी हुई बॉडी है, मैं समझता हूं कि जब उसका बजट पहले से सेंक्शन होता है तो प्री-आडिट कायम रखने में क्या सेंस है। हम इसके बारे में डेफीनेट जवाब चाहते हैं कि कब तक इसको आप समाप्त करने वाले हैं।

इसके साथ साथ जो प्रशासनिक स्वीकृतियां होती हैं, उनका प्रश्न पैदा नहीं होता। जब आपके सामने उनका बजट पेश होता है और सारी की सारी बातें स्वीकार हो जाती हैं तो उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(श्री विजयसिंह झाला)

इसके अलावा, मैं समझता हूं कि किसी भी समय आप नगरपालिका के किसी सदस्य को निकाल देते हैं। किसी भी समय आप प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी समय कोई कार्यवाही आप नगरपालिका के विरुद्ध कर सकते हैं। तो मैं मांग करूंगा कि इसके लिए एक न्याय आयोग कायम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक न्याय आयोग के सामने इस प्रकार का मसला पेश नहीं हो तब तक नगरपालिका के अन्दर प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, उसकी अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिए, कर्मचारियों के फिक्सेशन के बारे में जो मसले हों उनका निर्णय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो एड दी जाती है, उसके बारे में किसी नगरपालिका की कोई शिकायत हो तो वह न्याय आयोग के सामने आनी चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि जो एड दी जाती है उसके बारे में कोई फिक्स आधार हो और वह आधार बनाने के लिए हाउस के सामने मसला रखना चाहिए, किसी नगरपालिका को ज्यादा राशि दे देते हैं, किसी को कम देते हैं, इसलिए जनसंख्या के आधार पर कोई न कोई फिक्स आधार रखना चाहिए।

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आदर्श बस्ती के बारे में एक मिनट में सारे मसले रखना चाहता हूं। जहां तक उदयपुर नगरपालिका की आदर्श बस्तियों का, कच्ची बस्तियों का प्रश्न है उसके बारे में कई बार आवाज उठाई गई है, उसके सम्बन्ध में कई बार प्रदर्शन किये गये हैं लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने कोई कदम नहीं उठाये हैं। यह बड़े शर्म की बात है। आपने क्या प्रावधान रखा है इस बजट में। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि जहां तक कच्ची बस्तियों का, उदयपुर और जयपुर की कच्ची बस्तियों का प्रश्न है उनके लिए कोई न कोई प्रावधान रख कर निश्चित कदम उठाना चाहिए। अब मैं एक मुख्य मंत्री जी का प्रश्न रखते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा। आदर्श बस्ती के लिए पैसा मिलता है आठ लाख रुपया, उसका सौदा होता है और सौदा इसलिए होता है कि नगरपालिका के चुनाव के अन्दर कांग्रेस को वोट मिले। वह सौदा किस प्रकार से हुआ वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आठ लाख रुपया मिला केन्द्रीय सरकार से। उदयपुर में केवल तीन मोहल्ले थे, नाहरखंडा भट्टा और एक और, वहां के निवासी कच्ची बस्तियों में रहते हैं। किशनपोल के पास लाखों रुपये क्वार्टर बनाने में खर्च किये, १२२ क्वार्टर बने। ये क्वार्टर तीन साल तक खाली पड़े रहे। ये तीन साल तक इसलिए खाली पड़े रहे कि किसी प्रकार चुनाव के दिनों में सौदा कर सकें। यह मसला एक बार उठा और उन कच्ची बस्ती के लोगों ने कहा कि हमें मकान अलाट करो। उनसे कहा गया कि सहकारी समिति बनाओ। उन लोगों ने सहकारी समिति भी बना ली लेकिन उसके बाद भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। वहां के सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक बार अलाटमेंट कर दिया, सहकारी समिति के सदस्यों को अलाट कर दिया लेकिन उसको हमारे मुख्य मंत्री ने कैंसल कर दिया। इस सम्बन्ध में मैं एक डॉक्यूमेंट मुख्य मंत्री का सदन के सामने……

Page No. 64

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि जिस डॉक्यूमेंट को पेश करना चाहते हैं उसके बारे में पहले बता दें तो यथेष्ट……

श्री विजयसिंह भाला : आपकी आज्ञा को लेकर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जिस डॉक्यूमेंट को कोट करें उसके बारे में, पहले सूचित कर दें तो उसके बारे में जांच की जा सकती है।

श्री विजयसिंह भाला : आयन्दा के लिए ध्यान रखेंगे। इस गल्ती के लिए माफी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्ती के मामले को लेकर कहा था कि कच्ची बस्ती के लोग वहां बसना नहीं चाहते इसलिए क्वार्टर दूसरे लोगों को दिये गये। यह वक्तव्य मुख्य मंत्री जी ने दिया था। उस वक्तव्य को चैलेंज करते हुए मैंने कहा था कि उदयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के लोगों ने पांच दस बार इस मसले को रखा है कि यह मकान हमें देने चाहिए। इस सम्बन्ध में एक कागज है, जो वहां की सहकारी समिति बनी थी उस सहकारी समिति ने लिखा था:

सेवा में–

श्री मुख्य मन्त्री महोदय, राजस्थान,
जयपुर

महोदय जी,

निवेदन है कि हम नाड़ा खाड़ा के निवासी हैं और हमको यह जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र का अब निर्माण हो रहा है। इसी कारण हमने समिति से प्रार्थना की थी कि हमें दूसरी जगह बनाने के लिये स्थान दिया जावे।

इसी कारण समिति ने इस स्लम एरिया के निवासियों के लिये भारत सरकार की योजनानुसार छोटे छोटे मकानों का निर्माण किशनपोल के अन्दर किया है, इस मकान का हमें एलोट करने के पूर्व यह कहा गया था कि आप अपनी एक सहकारी समिति बना लाओ, हमने समिति का निर्माण किया और उसके लिये अधिशासी अभियन्ता जी ने यह लिखकर दिया था कि इनको मकान दे दिये जावेंगे क्योंकि इस समिति के निवासी स्लम एरिया के हैं, इसी कारण मकान इनको एलॉट किये जायेंगे।

मगर हमें यह जानकारी मिली है कि हमारे लिये मकान बनाये गये जो दूसरों को एलॉट कर दिये जा रहे हैं। कृपया जिन व्यक्तियों को मकान एलॉट किये जा रहे हैं वो स्थगित कराया जावे, क्योंकि ये मकान केवल स्लम एरिया के निवासी हैं व हम गरीब और पिछड़ी जाति के शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उनके लिए थे।

कृपया आपसे अनुरोध है कि हमको बिना जानकारी दिये कुछ मकान जो गैर स्लम एरिया के निवासियों को जानबूझ कर हमें परेशान करने के लिये एलॉट किये जा रहे हैं वो नहीं करावें और हमें उचित राहत दिलाने का कष्ट करें।

तारीख १५-७-६३"

इसके ऊपर मुख्य मन्त्री ने लिखा है····

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): यह एप्लीकेशन है इस···

श्री विजयसिंह भाला : इसी पर लिखा हुआ है। असली चाहते हैं तो वह मैं दे दूंगा।

श्री निरंजनाथ आचार्य : असली चाहते हैं। आप रेफर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर का नोट है, स्लम क्लीयरेन्स स्कीम में क्वार्टर इन लोगों को अलाट नहीं किये जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इस एप्लीकेशन पर एन्डोर्समेंट है मुख्यमंत्री का।

श्री विजयसिंह झाला : Collector Udaipur-Please stay allotment of 39 Houses till the matter is discussed with me.

Sd/ M. L. Sukhadia.

(Seal of Chief Minister.

Govt. of Raj. Jaipur)

उसके बाद में मैटर डिस्कस हुआ, उस वक्त बरकतुल्लाजी भी मौजूद थे। वे दो बार वहां गये। हनुमान जी के मन्दिर में गये, वहां निर्णय लिया मुख्य मंत्री ने कि इसका सौदा होना चाहिये और सौदा करने का निश्चय किया उसमें मुख्य मन्त्री के साले साहब मौजूद थे। यह सौदा किया गया कि अगर चुनाव में जीतना चाहते हैं तो ये सारे के सारे क्वार्टर मुसलमानों को अलाट करने चाहिये।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) उस समय आप भी मौजूद थे।

श्री विजयसिंह झाला : मुसलमान जाति को अलाट किये जाने चाहिये, यह फैसला किया गया। मैं भी वहां था, इस लिये मैंने कहा था।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य जिस समय वह सौदा हुआ वहां पर उपस्थित थे ?

श्री विजयसिंह झाला : अभी भी मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि यह सौदा हुआ है। यदि मैं इसको साबित नहीं कर सकूं तो सदन की तरफ से जो भी मुझे दंड दिया जाएगा मैं उसको सहन करने को तैयार हूं। केवल इसलिये सौदा हुआ और वहां की कच्ची बस्तियों में रहने वाले मुसलमानों को वे क्वार्टर मिलने चाहिये थे वे उनको नहीं दिये गये और दूसरों को दिये गये। उन लोगों को केवल १३ क्वार्टर एलॉट किये गये बाकी सब दूसरे लोगों को ही दिये गये और ऐसे आदमियों को दिये गये जिनके मकान थे और जिनकी हालत पहले ही अच्छी थी।

इसके बाद सदन में इस प्रकार से कहें कि लोग लेने को तैयार नहीं हैं। अगर आप डॉक्युमेन्ट को गलत साबित करें तो मैं कम से कम १० हजार आदमियों को जो स्लम एरिया के रहने वाले हैं और दूसरे लोग हैं उनको लाकर कहलवाने को तैयार हूं। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, सौदे होते हैं और कच्ची बस्तियों को बसाने के लिये सरकार को जो पैसे मिलते हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं विज्ञापन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के बारे में हमारे जनसंघ के नेता, श्री भैरोंसिंह ने जो कटमोशन रखा उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

(श्री विजयसिंह झाला)

अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी विज्ञापन दिये जाते हैं वे पक्षपात के आधार पर दिये जाते हैं। हमेशा जिस समय विज्ञापन समाचार पत्रों को दिये जाते है उसमें यह बात देखी जाती है कि वे समाचार पत्र राजस्थान सरकार को किस तरह फीड कर सकें। आपने इसके लिये एक कमेटी भी बनाई लेकिन मैं समझता हूं कि सदन को इस कमेटी की कार्यवाही से कोई संतोष नहीं है। आप छोटे छोटे पेपरों को इस प्रकार का एडवर्टाइज्मेंट देते हैं और दूसरे समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का पक्षपात होता है वह स्पष्ट जाहिर होता है कि जो सरकार का गुणगान करते हैं और मिनिस्टरों के फोटो छापते हैं या फ्रन्ट पेज पर सरकार का गुणगान या मिनिस्टरों का गुणगान करते हैं उनको आप विज्ञापन देंगे। जब तक आप इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाचार पत्रों का आधार ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां नगरपालिकाओं के चुनाव अभी तक नहीं हुए है उसके लिये समय भी फिक्स कर दिया जाए। यह हम चाहते हैं कि जिन नगरपालिकाओं के अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं उनके चुनावों की कोई तारीख निश्चित कर दी जाए कि फलां तारीख तक उनके चुनाव हो जावेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री): दिसम्बर तक करवा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जिनके चुनाव नहीं हुए उनके तो आप चुनाव करा रहे हैं लेकिन जिन म्युनिसिपेलिटीज की मियाद समाप्त हो रही है उनके लिये क्या आप उनकी मियाद बढ़ावेंगे?

श्री विजयसिंह झाला: उनके लिये जिन की मियाद समाप्त हो जाती है उन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं करेंगे और उनकी टर्म को बढावेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मोहनराज (बाली) अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें पाली के अभाव ग्रस्त एरिया है उसको सहायता कार्य हेतु जो धन राशि निर्धारित की गई है वह बहुत ही कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले को दो तहसीलें देसूरी और बाली इन दोनों को छोड़ कर सारे एरिया को राज्य सरकार ने अकाल ग्रस्त धोषित कर दिया है। इन दोनों तहसीलों को छोड़ दिया। इनके लिए मैं यह कहूंगा कि इन दोनों तहसीलों के साथ न्याय नहीं किया गया है। इनके साथ अन्याय हुआ है। अगर इनकी बर्षा की वार्षिक औसत निकाल कर देखें तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों तहसीलों की वार्षिक वर्षा के आंकड़े ३० इंच के हैं। लेकिन गत दो वर्षो से ६ इंच से १२ इंच तक वर्षा होती रही है। जहां ३० इंच वर्षा की औसत हो वहां पर अगर ६ इन्च या १२ इंच तक पानी मिले और फिर भी उसको अकाल ग्रस्त एरिया धोषित नहीं करें तो क्या उसके साथ न्याय हुआ समझा जाए। इसका सबूत यह है कि जवाई बांध जिससे कि जो कमान्डेड एरिया सिंचाई का था उससे अब पांचवां हिस्सा को भी पानी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सिंचित एरिया है वह ११५ हो

(श्री मोहनराज)

गया है। जहां पर फसलें १०० मन होती थीं वहां आज दस या १५ मन अनाज मिल पाता है और अगर ऐसी स्थिति में यह समझा जावे कि वे लोग अपने बच्चों का भली प्रकार से पालन पोषण कर लेंगे यह संभव नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि बाली और देसूरी के जो गांव हैं जिनकी संख्या २५० है उनको भी अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिये और जो सुविधाएं दूसरे अकालग्रस्त क्षेत्रों को मिलती है वही सुविधाएं इनको भी मिलनी चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ है कि वहां पर हजारों लोग बेकार बैठे हैं। आज स्थिति यह है कि मामूली से मामूली मजदूरी उनको दी जाती है तो उस पर वे काम करने को तैयार है। जहां पर खेतों में फसलें नहीं है तो वे लोग बेकार बैठे हैं। इसलिए पहली मेरी मांग है वह यह है कि इनको अकाल ग्रस्त एरिया घोषित किया जावे।

इसके अलावा। जो अभी पाला पड़ा और ठंडी हवा चली उससे फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ और खास तौर से यह जो पिछड़ा हुआ इलाका है और जहां ग्रासिये और आदिवासी लोग रहते हैं वहां जवाली आदि गांवों की फसलें बिल्कुल बरबाद हो गई हैं उनकी फसलों की बरबादी को ध्यान में रखते हुए घासमारी और लगान की वसूली तत्काल बन्द नहीं की गई तो सचमुच उन लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

जहां अकाल ग्रस्त एरिया है वहां पीने के पानी की स्थिति है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कई ऐसे गांव है जहां पर पानी की बहुत कमी है और लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। इस ओर जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया और वे लोग धनाभाव के कारण उन गांवों में पानी पीने की समस्या को हल नहीं कर रहे हैं और मैं मुख्य तौर से चानोद, नाडोल, जवाई आदि गांव हैं जिनकी आबादी पांच पांच हजार थी वहां पर पीने के पानी की कमी के कारण हाय तोबा मची हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी का समय आ रहा है महीने दो महीनेमें क्या स्थिति होगी जब कि अभी भी उनको पानी की इतनी तकलीफ है। वे लोग किस ओर रवाना होंगे यह सोचने की बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पीने के पानी का तत्काल प्रबन्ध किया जावे और इन गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जावे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अकाल ग्रस्त एरिया को सहायता दी जा रही है वह पाली के लिए ३ लाख रुपयों की धनराशि रखी गई है वह बहुत कम है। वहां की जन संख्या ६ लाख के करीब है। अगर सारी की सारी काम करनेवाली आबादी हो और ५० परसेन्ट आबादी गांव वालों की हो तो आप इनको दो दिन की मजदूरी भी नहीं दे पाते। और यह जो धनराशि रखी गई है वह वर्ष भर के लिए नहीं दी जा सकती। यह बहुत कम है। राजस्थान में राहत कार्यों के नाम पर जो धनराशि दी जाती है वह बहुत कम है।

मैं उम्मीद करता हूं कि उस राशि को बढ़ा कर, तत्काल बढ़ाकर जो लोग फसल नहीं होने के कारण बेकार और बेरोजगार

(श्री मोहनराज)

बैठे हैं. उनको काम दिया जायगा । आज जो धनराशि आपने दी है, उससे कई गुना ज्यादा राशि देनी पड़ेगी और तभी इस मुश्किल के वर्ष में इन अकालग्रस्त लोगों का गुजारा चल सकेगा । इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सहायता दी गई है, सहायता के लिये जो धनराशि दी गई है उससे नहीं के बराबर काम हुआ है । जो क्षेत्र दो दो साल से अकालग्रस्त है जहां दो साल से निरन्तर अकाल पड़ रहा है, वहां पर भी सरकार इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और राज्य सरकार सोचती रहेगी कि मुश्किल से दो तीन महीने का गर्मी का अवसर है, वह किसी तरह निकल जायगा और बाद में बारिश आ जायगी । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो तीन महीने गर्मी के बड़े खराब हैं, इनमें यदि किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वह कभी भी नहीं सम्भल सकेगा, उसके मवेशी मर जायेंगे, उसके बैल मर जायेंगे, उसके साधन नष्ट हो जायेंगे, यदि उसे पूर्ण सहायता नहीं दी गई । और उसके पास जब साधन ही नहीं रहेंगे तो वह अगले साल अपने कार्य पर किस तरह से लग सकेगा । अतः मेरा निवेदन है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में इन लोगों को अधिक से अधिक सहायता देने की आवश्यकता है । अभी जो धनराशि इनकी सहायता के लिये दी गई है उसे कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है ।

एक और मैं बात अकाल के मामले को लेकर कहना चाहूंगा, वह यह है कि हमारे यहां जो अकाल के वर्षों के लिये फेमीन कोड बना हुआ है जिसके अन्तर्गत कि सहायता दी जाती है, वह बहुत पुराने समय का बना हुआ है । उस समय का बना हुआ है जिस समय खेती की आमदनी से राज्य का कार्य चलता था । यह पुराने जमाने के ख्यालों के आधार पर बना हुआ फेमीन कोड है उसको तत्काल बदलना चाहिये । हमने राजस्थान में इस नीति पर लगान रखा है कि पहले लगान जब इन काइन्ड लगाया जाता था तो लगान १/६ लगान के रूप में लिया जाता था । बाद में इसे केश में बदल कर बीघोड़ी कायम की गई । अगर इस हिसाब से भी देखा जाय कि जो किसान के पास बेसिकली मौजूद होता है उसके आधार पर सरप्लस रेंट को लगान के रूप में लेते हैं तो यह आवश्यक है कि जहां सूखा पड़ता है, जो क्षेत्र अकालग्रस्त हैं वहां अगर २० प्रतिशत भी नुक्सान हो तो किसानों को लगान में पूरी छूट दी जानी चाहिये । आज यह है कि जिस वर्ष में अकाल हो, उस वर्ष लगान वसूली स्थगित कर दी जाती है और फिर दो तीन साल बाद उस छूट को वसूल कर लिया जाता है । दो तीन साल में तो सूखे की साइकिल फिर आ जाती है, मारवाड़ में खासतौर से दो साल बाद सूखा पड़ जाता है, तो उस अकाल की हालत में वह कैसे लगान दे सकता है । ऐसी स्थिति में यह निवेदन करूंगा कि जहां २० प्रतिशत नुक्सान हो जाय फसल में, वहां बिल्कुल छूट करने की घोषणा होनी चाहिये । आज यह होता है कि पहले वसूली स्थगित करा देते हैं बाद में पटवारियों द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा इस तरह की कार्यवाहियां की जाती हैं कि हम छूट के लिये कुछ कार्यवाहियां करेंगे और फिर खतौनी वगैरह में कष्ट कार्य-

(श्री मोहनराज)

वाहियां की जाती हैं । समाजवादी व्यवस्था लाने के बाद, कल्याणकारी राज्य लाने के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि किसानों की हालत को एक स्तर से नीचे नहीं गिरने दी जाय, किसानों से उस अकाल के वर्ष का लगान कतई नहीं लिया जाय। यदि उस अकाल के वर्ष का लगान स्थगित कर के बाद में लिया जाता है तो किसान की हालत एक स्तर से नीचे गिर जाती है।

तो मेरा निवेदन है कि फेमीन कोड़ पुराने समय का बना हुआ है, उसमें आज के समय में सुधार करने की आवश्यकता है अतः इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहायता की राशि राज्य–सरकार द्वारा दी गई है और जो मजदूरी की रेट निर्धारित की गई है वह नगण्य है। मान लीजिये एक किसान के घर में एक किसान है, उसकी औरत है, तीन बच्चे हैं, और एक वृद्ध मां है तो आपके द्वारा निर्धारित की गई इस मजदूरी की दर से स्त्री और पुरुष दोनों की मजदूरी मिला कर दो रुपया भी नहीं होती तो वह किसान क्या तो खुद खायगा, क्या अपने बच्चों को खिलायेगा और क्या अपनी वृद्ध मां को खिलायेगा। इसलिये इस मजदूरी की दर में आवश्यक संशोधन करना निहायत जरूरी है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था वह पंचायत समितियों और पंचायतों के मुतल्लिक है। इनके मुतल्लिक मैं संक्षेप में इतना ही अर्ज करूंगा कि इस समय पंचायत समितियां और पंचायते हमारे समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी हैं, बावजूद अनेकों मुश्किलों के, रो रो कर भी वे आगे बढी हैं, गांवों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और गांवों के लोगों को महसूस कराया है उसको देखते हुए आवश्यक है कि राजस्व की वसूली का अधिकार इनको दिलाया जाना चाहिये। इसके मुतल्लिक मूलभूत बात मैं जो अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि रेंट की वसूली आज राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है वह तत्काल पंचायतों को दे देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह शंकाएं की जा सकती हैं कि इससे बड़े गबन हो सकते हैं, बड़े गोल-माल हो सकते हैं पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम पंचायतों के हाथ में सत्ता देना चाहते है, करोड़ों रुपया विकास के कार्यों के लिए इनके हाथ में दे रहे हैं तो यह सोचना कि राजस्व की वसूली का अधिकार पंचायतों के हाथ में देंगे तो बड़ा गोलमाल होजायगा, बड़े गबन हो जायेंगे, तो इस तरह की शंका करना उचित नहीं होगा। आज लाखों रुपयों की वसूली ऐसे लोगों में रुकी हुई है जो देने की हालत में हैं। गांवों के पटवारी बड़े बड़े जागीरदारों से और दूसरे बड़े बड़े लोगों से वसूली नहीं कर पा रहे हैं। पंचायतों को रेवेन्यू की वसूली का अधिकार देकर यह कह दिया जाय कि जिस पंचायत की वसूली शतप्रतिशत होगी उस पंचायत को लैंड रेवेन्यू की कितनी वसूली होती है, उसका ५० प्रतिशत विकास कार्यों के लिए पंचायतों को दे दिया जायगा। जिन पंचायतों में ७५ प्रतिशत वसूली हो वहां पर ३५ या चालीस प्रतिशत देने का कह दिया जाय और जहां ५० प्रतिशत वसूली हो वहां के लिए ३० प्रतिशत तक देने का

(श्री मोहनराज)

कह सकते हैं। इससे गांव वालों के अंदर भी एक भावना पैदा होगी कि जितनी अधिक हम लैंड रेवेन्यू की वसूली करेंगे उतना ही अधिक अनुदान के रूप में सरकार से हमारी पंचायत को हमारे विकास कार्यों के लिए मिलेगा। जहां शतप्रतिशत वसूली हो जाय वहां जिस प्रकार पहले सरकार लम्बरदारों और चौधरियों को देती थी उसी प्रकार ५० प्रतिशत इनाम के रूप में पंचायतों को दे दिया जाय तो हमें इस काम में ज्यादा सहूलियत होगी। इससे वसूली भी हो जायगी और गांव को विकास के लिए पैसा भी मिल जायगा। मेरा यह ख्याल है कि वसूली के बारे में, रकम के बारे में जितने गड़बड़ और गबन के मामले सरपंचों के खिलाफ बताये जाते हैं उनसे अधिक पटवारियों के खिलाफ हैं। इसलिए इस शंका से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है कि गोलमाल ज्यादा होगा, गबन ज्यादा होंगे और यह अब बहुत जरूरी है कि लैंड रेवेन्यू की वसूली का जिम्मा पंचायतों को दे दें। इससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी और विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा था वह यह है कि गांवों के आस-पास में जो भूमि है वह लोगों को अलॉट की जा रही है जिससे कि गांवों का विकास रुक रहा है। बड़े बड़े शहरों में ट्रस्ट बने हुए हैं वे ट्रस्ट शहरों के विकास के सम्बन्ध में सब बातों को देखते रहते हैं पर गावों में उन गांवों के सरपंच और पंच कहते हैं कि गांव के आसपास की भूमि गांवों की उन्नति के लिए, आबादी के लिए रिजर्व रखी जाय पर इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर उसकी जमीन का अलोटमेंट कर दिया जाता है, इससे गांवों में जमीन पर प्रेसर बढ़ता है और आगे के लिए गांवों की प्रगति रुक जाती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि गांवों के आसपास की भूमि को सुरक्षित रखा जाय और रेवेन्यू विभाग को आदेश दिये जायं कि वहां किसी प्रकार के अलॉटमेंट नहीं करें। इसी तरह नगरों और कस्बों के बारे में सोचा जा सकता है। इससे गांवों की हालत सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जहां तक पंचायती राज का सम्बन्ध है, गांवों की तरक्की करने के लिये और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये जिस इंसेंटिव की जरूरत थी उसको देने में इस सदन में कई बार दोहराने पर भी राज्य सरकार असफल रही है औरउसकी असफलता का सबसे मुख्य कारण है कि उन्होंने हमारी पंचायत की जो इकाई है, जो हमारी आधारशिला है, उसको बिल्कुल ही पंगु बना दिया है। उसके पास न साधन है, न उनके कार्यों को एग्जीक्यूट करने की शक्तियां हैं। डीसेंट्रलाइजेशन के नाम पर पंचायती इकाइयों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मन्त्री महोदय कहेंगे कि हमने इसके लिये सादिक अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जब वह

(श्री नत्थीसिंह)

रिपोर्ट देगी तब हम निर्णय ले सकेंगे। लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर भी इतनी कंजूस है कि जो इतने विभागों का संगठन किया है वह पूर्णतया अनसाइंटीफिक है। ब्लाक में इंस्पेक्टर की पोस्ट तोड़ो जाती है, एल०एस०ओ० की पोस्ट तोड़ी जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि आज हमारा आधार यह है कि हम सामुदायिक विकास योजना के जरिये यह चाहते हैं कि गांव तरक्की करें। हमारे पास कृषि के कर्मचारी हैं पंचायत समिति में, सहकारिता के जरिये हम तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिये सिंचाई के साधन देना चाहते हैं। इन सब के लिये कर्मचारी अलग हैं। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि कम्यूनिटी डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़ी धनराशि कर्मचारियों पर खर्च की जानी चाहिये। कृषि, सिंचाई और सहकारिता के बाद कौनसी कम्यूनिटी और रह जाती है जिसके डेवलपमेंट के लिये एक नया समानान्तर सचिवालय बना रहे हैं जिस पर पांच लाख रुपये सालाना से ऊपर खर्च आता है। आप किसी गांव में जाकर देखें ग्राम स्वच्छता पर कितना ज्यादा रुपया रखा है लेकिन वे विकास खंड जिनकी आप बात कहते हैं, सारे समाप्त हो चुके हैं। अगर शौच के लिये जायेंगे तो गांव के आस पास में। अगर और कोई जगह नहीं तो सड़क पर हो जो कुछ आपको दृश्य मिलेगा वह एक सर्टीफिकेट देता है कि कॉम्यूनिटी डेवलपमेंट कैसा अच्छा हो रहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब का कारण यह है कि जो ऊपर हमने ढांचा बनाया हुआ है वह पूर्णतया बिल्कुल गलत है। कृषि का महकमा है, सहकारिता का महकमा है लेकिन सबसे बड़ा एक बना हुआ है जिसका नाम हमने रखा विकास विभाग। जो विकास विभाग का रूप है उसकी जरूरत नहीं। इस विकास विभाग के जो कार्य कायम किए हैं वे तीन श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहले का काम है कि जो डेवलपमेंट्स डिपार्टमेन्टस हैं उनमें कोआर्डिनेशन का काम करना। दूसरा है पंचायतों और पंचायत समितियों पर नियंत्रण और तीसरा एक तरह के जो नये विलेज लीडर्स हैं उनको प्रशिक्षित करना। मैं पहले काम को लेता हूं कोआर्डिनेशन को। यह ठीक है कि पंचायत समिति लेविल पर कोआर्डिनेशन विकास अधिकारी करे। लेकिन यहां राज्य लेबिल पर हमने डेवलपमेन्ट कमिश्नर के अलावा जाइंट डेवलपमेन्ट कमिश्नर, एक-दो डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स, दो असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर रखे हैं। और आगे देखें तो २८ नम्बर ग्रेड में दो अधिकारी और रखे हैं। आखिर कौनसा कोआर्डिनेशन होता है? सिवाय इसके कि जो मुख्य डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वह अपने कागज भेजकर अड़चनें पैदा करते हैं। इसके सिवाय और कोई काम नहीं रहता इस बात को सरकार स्वयं मान चुकी और निर्णय लिया है कि डेवलपमेंट कमिश्नर के जो मुख्य मुख्य डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनकी कमेटियां बना कर इनको चेयरमैन बनाया जाय। इसका मतलब है कि सरकार इस बात से खुद असंतुष्ट है। हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो वह किसी प्रकार से भी कोआर्डिनेशन का काम नहीं करता। इसके अतिरिक्त दूसरा काम है नियंत्रण का। इस काम के लिये इस विभाग को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक

(श्री नत्थीसिंह)

उपमंत्री रख दिया है, वह सारा नियंत्रण बड़ी अच्छी तरह से करता है। मेरा अनुभव है कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसर कितने ही निष्पक्ष हों लेकिन हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो सकता। अक्सर कहा जाता है कि जो पंचायत समितियां गलत काम करती हैं उनको रेक्टीफाई करने का भार डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट पर है। उदाहरण के लिये एक ग्राम सेवक कुम्हेर पंचायत समिति में तीन साल पहले हटा दिया गया। अपील मन्जूर हो गई और ८-११-६३ को उसी पंचायत समिति को जो स्थाई समिति है, उसने तय किया कि इसका पूर्णरूप से विरोध किया जाय। उसके बाद वहां के प्रधान जी आए और उन्होंने उन प्रोसीडिंग्स को बदलवाया और बदलवाने के बाद जहां पहले १६ प्रस्ताव थे वहां १७ से लेकर ५२ प्रस्ताव और बढ़ा दिये और उसकी रिपोर्ट थी कि कन्सर्न्ड आदमी को छोड़ दिया जाय। वहां के जो डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कहलाते हैं, उसने वहां के विकास अधिकारी से कान्फीडेन्शियल बात की और आर्डर हुआ कि जो १७ से ५२ प्रोसीडिंग्स हैं वे गलत हैं, इनको निरस्त किया जाय और ७ नंबर का रिजोल्यूशन है उसको क्रियान्वित किया जाय। आर्डर जाने के बाद प्रधानजी ने कहा कि क्रियान्वित नहीं होगा और जब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आर्डर कर दिया।

दूसरी बात यह है कि उनको दो साल से लगातार बरखास्त किया जाता है पंचायत समिति के जरिए। उसी पंचायत समिति की एक और अपील आती है यहां पर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट राज्य सरकार के पास ये क्या करते हैं? ये नहीं पूछते हैं स्थाई समिति से या प्रधान से कि आपको पावर्स नहीं हैं तो आप क्यों करते हैं, डी. सी. की एप्रूवल के बिना। जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। जो डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं उनके पास आएंगे रिमांड के लिए। अब फिर रिमांड किया गया है और जब तक नवम्बर में चुनाव होगा रिमांड होता रहेगा। स्कूल का प्रधान अध्यापक।

दूसरी तरफ यह होता है कि मैंने पिछले बजट के समय भी कहा था और उससे पहले सवाल भी पूछा था कि हमारे गांव के सरपंच को सस्पेन्ड इसलिये किया गया है क्योंकि पंच लोग नोटिस दे रहे हैं अविश्वास का। इसके नोमीनेशन पेपर्स सहवरण के रद्द कर दिये। आज तक फैसला नहीं कर सकते जब तक वहां से इशारा नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं प्रधानजी के खिलाफ पिछली बार की हुई शिकायत का आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आपके जरिए किसी की जमीन लेने के लिए कभी कोई कार्यवाही की जाती है तो आप कहते हैं कि एक्वायर की जाय, किसी तरह से डिस्पजेस किया जाय। कुम्हेर में कोलोनी बनाई जाती है और उसमें यहां के गरीब लोगों के घरों को उखाड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं ऐसे केसेज सामने आए हैं कि घरों में रहने वाली महिलाओं को जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनको

(श्री नत्थीसिंह)

जबरदस्ती निकाला जा रहा है। उनसे कहते हैं कि प्रधानजी का हुक्म है। इस तरह की जो धांधली होती है उसको रोकने के लिए डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट है लेकिन उसके पास इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जो भृकुटी ऊपर को होगी उनको उसी प्रकार काम करना होगा।

एक अजीबोगरीब किस्सा बताता हूं। हमारा दुर्भाग्य है कि पिछली ९ तारीख को कांग्रेस महुआ में चुनाव हार गई और स्वतन्त्र पार्टी वहां जीत गई। १३ तारीख को डीग में प्रधान के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का फैसला होना था। कलेक्टर ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। उससे कह दिया गया कि यह विवादास्पद प्रश्न है और इसको आप तय करें। जहां पंचायत समिति के हर सदस्य के द्वारा हाथ उठा कर निर्णय किया जाना था वहां कलेक्टर साहब ने प्रधानजी के कहने पर कह दिया कि हर एक चिट पर लिख दें। तो उस पर एक बार ऊपर लिखाया कि हटाया जाना चाहिए और दुबारा लिखाया नीचे कि नहीं हटाना चाहिये। उन्होंने कह दिया कि जो उस पर लिखा है उसकी मंशा यह है कि इनको नहीं हटाया जाना चाहिये। वे एक वोट को खारिज करते हैं। आज तक जो गलती की उसको रेक्टीफाई नहीं किया गया।

डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट का नाम मात्र का कोई सुपरविजन नहीं है, न ही कोई नियन्त्रण है। पंचायत समितियों के जो बजट आते हैं वे एक पेटर्न पर होते हैं। तो जिला परिषद् में डिस्कस किये जाते हैं न ही कुछ और, केवल टेक्नीकल तौर पर उनको पास किया जाता है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिला परिषद् में किस प्रकार से काम किये जाते हैं। ये कभी उस को देखते नहीं हैं। प्रोसिडिंग्ज से अवगत नहीं कराया जाता। डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट इस कार्य को करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसको अक्षम बना दिया गया है, मैं इस प्रकार का ही शब्द काम में ला सकता हूं। इसलिए इस प्रकार का जो विभाग है उसको हटा देना चाहिये।

आप प्रशिक्षण देते हैं। आप कहते हैं कि हम प्रशिक्षण देते हैं। उनके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। सहकारिता वालों को प्रशिक्षण मिलता है उसके लिये कुछ नहीं कहना है। लेकिन पंचायत समिति और पंचायतों के मेम्बरों को प्रशिक्षण देते हैं। तीन दफा यदि यह कह दिया जाय कि पंचायत समिति के सदस्य ट्रेनिंग में नहीं गये तो उनको सस्पेन्ड कर देंगे। यह है आपका जनतन्त्रवाद। आपने एक्ट के विपरीत रूल में प्रावधान किया है। आप इसमें कोओर्डिनेशन लाइये। कलेक्टर की अध्यक्षता में आप डेवलपमेन्ट के लिए कमेटी नियुक्त कर दीजिये। इसके द्वारा डेवलपमेन्ट का सारा काम हो सकेगा। आप इस पूरे विभाग को ही एबोलिश कर दीजिये। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। २३२ बी. डी. ओज हैं, विकास अधिकारी हैं उनके मामलों की देखभाल आप जरूर कर सकते हैं। सरपंच और पंचायतों पर आरोप लगाये जाते हैं उनकी जांच कौन करेगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यदि इसको राज्य सरकार अपने पास रखती है तो हमारे नंदवानाजी

Page No. 74

(श्री नत्थीसिंह)

इसको अच्छी तरह कर देंगे। एक और सेक्रेटरी बढा लेंगे। किसी को बरखास्त करना होगा तो कर देंगे। लेकिन यदि आप यह दिलचस्पी रखते हैं कि पंचायत राज की संस्थाओं का विकास हो, आप अपना जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं तो चाहे पंचायतें हों, चाहे पंचायत समितियां हों, चाहे सहकारी समितियां हों, चाहे नगरपालिकायें हों, आप इन सबके लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्युडिशियल अधिकारियों को अधिकार दे दीजिये कि इनके मामलों को देखें, उनकी जांच करें और दंड दे सकें। यदि उनके आर्डर से कोई प्रिजुडिस हो और एग्रीव्ड हो तो वह आगे हाईकोर्ट में जायं। यह तो कोई बात होगी। आप सच्चे माने में यदि विकास करना चाहते हैं तो यह कीजिये। अन्यथा आप इसको डुबो देंगे। आप इस प्रकार के पावर्स अपने पास मत रखिये। प्रशिक्षण देने का जहां तक सवाल है आप अच्छे प्रकार से प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स मत रखिये। आपको अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स रखने की जरूरत नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि वास्तव में सही माने में आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो इस तरह की पंचायतों के लिये स्कूल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप पन्द्रह बीस दिन के केम्प्स रखिये जहां उनको आप ट्रेन्ड कर सकते हैं। उनको इससे अधिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज ही इसीलिए बनाया कि अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार और गांव की जानकारी के आधार पर समस्याओं का निदान करें। जिस प्रकार आपने विभाग बना रखा है इससे तो हमारे गांवों का विकास संभव नहीं है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि विकास विभाग बड़ी गलत नीयत से चल रहा है। वह कहता है कि कोओपरेटिव विभाग की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर ही इसको कर सकते हैं। आप अपना पेट भरना चाहते हैं। जो स्थिति आपने अपने विभाग में पैदा कर रखी है आप वैसी ही सहकारी विभाग में भी करना चाहते हैं। इसलिए जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास सही माने में राजस्थान के गांवों का करना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से सोचना होगा। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते।

पंचायत समितियों के स्तर पर आपने केन्द्रीयकरण कर रखा है इसके लिए आप एक निर्णय ले सकते हैं। बजट की स्क्रूटिनी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वे यह कह सकते हैं, कौल साहब ने भी कहा है, राज्यपाल महोदय के भाषण में भी आया है कि पंचायत स्तर पर योजना बनाने का काम शुरु करने वाले हैं। यह पहले भी आपने शुरु किया। रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि कुछ जगह ठीक पाया और कुछ जगह ठीक नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या अधिकार है। जब तक उनको

(श्री नत्थीसिंह)

यह नहीं मालूम होगा कि उनके क्या अधिकार हैं तब तक आपकी क्या योजनायें बनेंगी। पहले आप अपने दिमाग को साफ कर लीजिये। प्रत्येक पंचायत को चाहे खेती हो, सिंचाई हों, या दूसरी चीज हो, उनके लिए इतनी सम्मानित रकम आप रख दीजिये कि अपने आप वे योजना बना लेंगे और आपको अपना सिर खपाने की आवश्यकता नहीं होगी वे सही रूप से अपना विकास भी कर सकेंगे। आपने इतना बड़ा महकमा बना रखा है और फाइनेन्स मिनिस्टर का सिर दर्द बना रखा है उसको एबोलिश कर सकते हैं और विकास करना चाहते हैं वास्तव में तो सही रूप में कर सकते हैं।

मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त करता हूं। अन्य माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा।

एक बात मैं मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं। यह पंचायत और सहकारिता के विभाग घूमते रहते हैं। कभी उनके पास और कभी इनके पास। मुख्य मंत्री ने एक इन्तजाम जरूर कर दिया है कि ये विभाग किसी के भी पास जाय उनके लिए जिम्मेदार मंत्री ही हो उन्होंने दो डिप्टी मिनिस्टर ऐसे लगा दिये हैं कि मिनिस्टर साहब को हवा ही नहीं लगती। यदि आप किसी तरह से इनको सुधारना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा नजर आप डिप्टी मिनिस्टर्स पर रखें। यदि आपने उन पर नजर रखली, उन पर आपने अंकुश लगा दिया तो पंचायत विभाग और सहकारी विभाग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पूरा पूरा अन्देशा है कि पंचायती राज भी गड्ढे में जायगा और सहकारिता भी असहकारिता में परिणित हो जायगी। वह जो प्रवृत्ति हमारे यहां चल गयी है कि राज्य सरकार पंचायत समिति स्तर पर केन्द्रीय-करण करती है, कन्ट्रोल करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई है तो यह जनतन्त्र और पंचायती राज की मूल भावना का हनन करती है। मैं बातें इस सम्बन्ध में अधिक रखना चाहता था लेकिन दूसरे मित्र भी इस सम्बन्ध में कहना चाहेंगे इसलिए मैं यहीं इसको समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(विराम)

आगे श्री गोयल बोलेंगे।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास और उसके सम्बन्ध में दो एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं सामुदायिक विकास की तमाम नीति पर नये ढ़ंग से सोचने का समय आ गया है। हम अब तक एक परीक्षण से चल रहे थे। सरकार ने अच्छे इरादे से या बुरे इरादे से सामुदायिक कार्य-क्रम आरम्भ किया। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि सारे गांवो में विकास किया जाय और गांवों में जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हैं, उनका उत्थान किया जाय। यही उसका मुख्य उद्देश्य था।

अगर हम लक्ष्यों की प्राप्ति के इतिहास को देखें तो १२ सालों में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८० करोड़

Page No. 76

(श्री रामकिशन)

के आस पास खर्च करने के बावजूद भी हम लक्ष्यों के नजदीक ही नहीं पहुंचे हैं। कुछ लक्ष्यो में तो हमारा पतन हुआ है और चरित्र सम्बन्धित सामुदायिक विकास कार्य-क्रम से गहरा पतन हुआ है। इसके लिए यह सामुदायिक विकास विभाग दोषी है या छोटे मोटे मंत्री दोषी हैं मैं इस विवाद में भी यहां नहीं पड़ना चाहता। एक बात निश्चित है कि चाहे विकास हुआ हो या नहीं लेकिन इस कार्य-क्रम के द्वारा गांवों में चरित्र में घोर पतन जरूर आया है। इस पर सदन को अवश्य सोचना चाहिये।

सदन के किसी भी माननीय सदस्य को इस बात में प्रसन्नता नहीं होगी कि वह किसी मंत्री पर या उप-मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये। लगातार भ्रष्टाचार कहते कहते सारे देश में एक बात फैलती जा रही है कि जो सरकार में आते हैं वे स्वार्थी और भ्रष्ट हैं, इससे लोकतन्त्र को खतरा हो रहा है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास विभाग में बहुत कमजोरियां है उन पर दुबारा विचार किया जाय और नये ढंग का कार्य-क्रम अपनाया जाय। यह जो खराबी है उसका मूल कारण है, वह मनुष्य की प्रवृत्ति है।

आज हम देख रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्य-क्रम की प्रेरणा हमने रूस से ली है लेकिन अमेरिका की नकल पर उसको डेवलप किया गया है। यह देखने की बात है कि अमेरिका में यह किस स्टेज पर शुरू की गई है टेनिसिनविले प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जहां कुछ गांवों की बरबादी हुई वहां दूसरे गांवों को सुविधा पहुंचाने के लिये कार्य-क्रम बनाया था। उसकी नकल करने में हम होशियार हैं और उसी के आधार पर हमने हमारे यहां भी सामुदायिक विकास का कार्य-क्रम शुरू किया है। नकल में असल को टालने की कोशिश की जा रही है आज हमारे मुल्क की जो हालत है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये सारा कार्य-क्रम अव्यवहारिक और गलत है जो यहां की जनता के नजदीक पहुंचने वाला नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश की क्या हालत है? हमें उसी के अनुसार कार्य-क्रम बनाना चाहिये इसमें तीन चीजें शामिल हैं गन्दगी, गरीबी और गैर बराबरी। ये बहुत बड़े सवाल हैं दूसरी तरफ बहुत बड़ी आबादी कम पूंजी और लोगों को इनीसियेटिव की कमी की समस्या है, ये तीन चीजें हैं। सारा कार्य-क्रम इस तरह से बनना चाहिये। गरीबी कैसे दूर हो गैर बराबरी किस प्रकार से दूर हो लोगों में इसके लिये इनीसियेटिव पैदा करने की बात है। इसको विकास विभाग नहीं सोच पाया है इसलिये इस विभाग को रखना न रखना केवल प्रचार के लिये रखना कि इतने कुए बनवाये, इतने मकानात बनवाये, इससे समाज का और देश का विकास नहीं हो पायेगा। इस सम्बन्ध में अभी एक रिपोर्ट निकली है विश्वविद्यालय पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन की तरफ से वह रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिये उसके अंशों को तो नहीं पढूंगा, लेकिन रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसका दो बातें महत्वपूर्ण हैं वे मैं आपके सामने रखूंगा उससे मालूम हो जायगा कि इस विभाग द्वारा सामुदायिक विकास कार्य के लिये जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह व्यर्थ खर्च किया जा रहा है।

(श्री रामकिशन)

हमारे सामुदायिक विकास का लक्ष्य था जो पिछड़े वर्ग है दलित वर्ग हैं उनको अधिक मौका दिया जाय लेकिन जो इसके पहले पैरे में बात लिखी गई है उसमें दोनों बातें साफ हो गई हैं पैरा नम्बर तीन में लिखा हुआ है कि औरत जो समाज का महत्वपूर्ण भाग है उसको इससे अलग थलग रखा गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : दूसरी चीज लिखी हुई है, वह पढ़कर बताइये ?

श्री रामकिशन : आपकी समझ में नहीं आयगा यह अंग्रेजी का मामला है।

इसमें लिखा है कि औरत समाज से अलग है तब तक हमारे देश का निर्माण सही रूप में नहीं हो पायगा उसकी पूर्ति यह विभाग नहीं कर पाया है। दूसरा समाज का जो पिछड़ा हुआ हरिजन वर्ग है दलित वर्ग है, उसकी स्थिति में भी सुधार नहीं है ब्राह्मण, वैश्य, जाट, राजपूत ये ही किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इसलिये अब यह सवाल रह जाता है कि जिसके लिये काम शुरू किया गया वे दलित और पिछड़े वर्ग उसी जगह पर हैं तो फिर इस विभाग के रखने से क्या फायदा है, इसका उद्देश्य ही फेल हो गया है। क्या आप इसको नये ढंग से सोचने को तैयार हैं ? २० करोड़ रुपया खर्च करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ।

जैसा कि मैंने आरम्भ में निवेदन किया जो कार्यक्रम इस विभाग द्वारा बनता है वह केवल ऊपरी दिखावा मात्र है। आम जनता को क्या तकलीफ है उनको दूर करने का प्रयत्न न होता है और न प्रेरणा ही होती है। इस संबन्ध में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके द्वारा इनके आर्थिक कार्यक्रम को प्रभावित क्यों नहीं कर सके। जहां तक हिन्दुस्तान की औरतों का प्रश्न है, इनको रोटी करते वक्त धुंआं लगता है ऐसा मानते हैं कि वे आंसुओं से आटा गूंदती हैं। विभाग को पता नहीं है कि इनके लिये चिमनीदार चूल्हे का प्रवन्ध किया जाय ताकि औरतें इस विभाग के कार्य से प्रभावित हो सकें, उनको भी पता चलता कि नई सरकार आई है, नया कार्यक्रम दे रही है। यह भी विकास का बहुत आवश्यक अंग है। इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चिमनीदार रसोई घर बनाना इस विभाग का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिये इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत।

दूसरा इस बारे में मेरा यह कहना है कि हिन्दुस्तान में जो सब से कमी है औरतों के लिये शौचालय अलग नहीं हैं। इन बेचारियों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को दस बजे के बाद शौच जाना पड़ता है, क्योंकि खुले मैदान में आबादी के पास वे शौच नहीं जा सकतीं अतएव रात को दूर जंगलों में जाना पड़ता है। इसलिये औरतों के लिये इन दो चीजों की बहुत अवश्यकता है अगर ये आवश्यकताएँ इनकी पूरी होती हैं तो देश के निर्माण कार्य के लिये वे प्रोत्साहित होंगी और वे आगे बढ़ेंगी।

इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है पंचायत समिति की मीटिंग होती है.......

(श्री रामकिशन)

(१०.५५ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह,उपाध्यक्ष,पदासीन)

जिला परिषदों की मिटिंग्ज होती हैं उस में औरतों और हरिजनों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आदिवासी और हरिजन मेम्बर जरूर हैं वे केवल मूक दर्शक हैं वे केवल देखते रहते हैं ? इसका कारण क्या है औरतों को दस हजार साल की गुलामी, और आदिवासी और हरिजनों के पांच हजार साल के संस्कार जो है उनको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है इसलिये वे तो केवल मूक दर्शक ही रहेंगे। यह होना चाहिये कि विकास विभाग द्वारा पेम्फलेट परिपत्र निकले कि पंचायत समिति की मिटिंग है तो वह मिटिंग तब तक पूरी नहीं मानी जायगी जब तक कि उसमें महिला सदस्य और हरिजन सदस्य कुछ न कुछ कह न दें। होता क्या है कि औरतें संकोच की वजह से पीछे बैठ जाती हैं और हरिजन सदस्य जब बोलने लगते हैं तो दूसरे सदस्य बोलना शुरू कर देते हैं। औरत तो संकोच की वजह से कुछ नहीं बोल पाती। अगर इनको पंचायत समिति की मिटिंग में अगली सीट पर बिठाया जाय और इनको बोलने के लिये कहा जाय तो चाहे वे गलत ही क्यों न बोलें उनकी जबान तो खुलेगी ही उनके संस्कार बदलेंगे। इस तरह से इनको विशेष अवसर दिया जाना चाहिये। हम भी देखते हैं महिला सदस्यों को बहुत कम बोलने का मौका मिलता है। मेरा निवेदन है कि इनको आगे की बेंचों पर लाया जाना चाहिये ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : हमारे इधर तो आगे की बेंचों पर हैं, आपके उधर दिखाई नहीं देतीं।

श्री रामकिशन : ट्रेजरी बैन्चेज में भी पीछे बैठती हैं, आगे आप कहां आने का मौका देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपकी तरफ तो एक भी महिला सदस्या नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत) : आप ही लोन पर दे दीजिये।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिन बातों को कह रहा था, माननीय मंत्री महोदय उन बातों की गंभीरता को लें और यह समझें कि ये जो लोग हैं, इनको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट में कहा गया है इस सारे कार्यक्रम का इफेक्ट नहीं हुआ। हो नहीं सकता क्योंकि मुल्क नासमझ है, नासमझ लोग इस कार्यक्रम को किस तरह से पूरा करवा सकेंगे। इसलिये इस सारे कार्यक्रम का सामाजिक इफेक्ट नहीं हुआ। तो फिर आखिर यह विभाग किस लिये है ? सरकार को इस बारे में दुबारा सोचना चाहिये इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि जो विभाग की वास्तविक हालत है उस पर गौर किया जाय तो यह विभाग थोड़ा बहुत सुधरेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के कार्य में बड़ा दोष है सरकार के लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मंत्री लोग घर पर जाय तब विचार करें। इसमें मंत्रीजी का दोष है या उप-मंत्री जी का यह मैं नहीं कहता जो

Page No. 79

(श्री रामकिशन)

गलत बातें जरूर हुई हैं उनकी वे जांच करें। इस विभाग द्वारा एक हजार पंचों को नोटिस दिया गया है बरखास्त करने का जिसमें १५ आदमी मुश्किल से कांग्रेसी होंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह मानते हैं कि गलत काम, पाप भ्रष्टाचार और पापाचार केवल विरोधी लोग ही करते हैं कांग्रेस के लोग और सरकार के लोग केवल सत्कार्य करते हैं। अगर आप इस तरह की मान्यता रखते हैं तो यह आप की बुद्धि की बलिहारी है तब तो आपसे श्रेष्ठ लोग शायद इतिहास में नहीं होंगे।

(११-२० म० पू०)

आप केवल अपने आदमियों को बनाने के लिये भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। अब नाम लेने की मेरी आदत नहीं। भरतपुर जिले की मैं सौ पंच, सरपंचों की लिस्ट दे सकता हूं जिन्होंने गबन किया है, जमीनें बेच दी हैं, पैसा खा गये हैं, किसानों के लिये पैसा दिया वह स्वयं खा गये, दिया किसी काम के लिये, खरीद लिया घोड़ा और घोड़े को बारात में भेज दिया ऐसे केस विकास विभाग के पास पड़े हैं, पर वह उनका फैसला नहीं करता। नन्दवानाजी टेलीफोन कर देते हैं और वे केस दबे रह जाते हैं। मैं कहता हूं वे बनिये बामन हैं जो ऐसे काम करते हैं, और जिनकी शिकायतें हैं। भीखाभाई की शिकायत नहीं आई। टेलीफोन से आप समझते हैं कि ये दोष नष्ट हो जावेंगे, इनको आप दबायेंगे तो लोगों में आपकी रही सही साख भी चली जावेगी। लोग समझ रहे हैं कि ये अपने लोगों को इस तरह भ्रष्ट कर रहे हैं। तो भरतपुर जिले में जितने मामले हैं मैं उनमें नन्दवाना साहब पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, न भीखाभाई पर। विकास विभाग इनको देखें कि इनमें किस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, या होती हैं। जो उनके पक्ष के नहीं हैं, उनको मुअत्तिल कर दिया जाता है छोटे छोटे बहाने बनाकर और जो पक्ष के हैं उनकी कितनी ही संगीन से संगीन गलतियां क्यों न हों, वे उसका कुछ नहीं करते, उनके मामलों को दबा देते हैं। आप समझते हैं कि आप इस तरह से बच जावेंगे। यह समझना आपका गलत साबित हो रहा है, यही कारण है कि आपको महुवा में हार का मुंह देखना पड़ा, अमरोहा, और राजकोट के चुनावों में हार खानी पड़ी। ये सब इन्हीं बातों का नतीजा है। जनता आपसे नाराज है। आपकी पालिसियों से नाराज नहीं हैं, आपके इस तरह के निकृष्ट तरीकों से नाराज हैं। इसलिये नाराज हैं कि आपके ये पटवारी तहसीलदार और सरपंच बड़ी धांधलीबाजियां करते हैं और भ्रष्टाचार करते है और आप उनको रोकते नहीं, उनको शह देते हैं वे यह नहीं देखते कि आप दिल्ली और जयपुर में क्या करते हैं। असली सरकार के प्रतिनिधि तो ये लोग हैं। आप इनको ठीक नहीं करेंगे तब तक आप कितनी ही भले की योजना शुरू कर लें, कितने ही भले के काम कर लें, कानून बना लें आप हारे बगैर रह नहीं सकते। इसलिये अपने भले के लिये मैं नहीं कहता, आपके स्वयं के भले के लिये, आपके कल्याण के लिये मैं सुझाव देता हूं आपको कि आप इन भ्रष्टाचार के मामलों को दबाएं नहीं. भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी पक्ष के हों, आपके हों या विरोधी पक्ष

Page No. 80

(श्री रामकिशन)

के हों सबको सख्त सजाएं देनी चाहिये । पर आप इतनी सीधी स्पष्ट बात नहीं समझते । जहां भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, केवल आपके तौर तरीकों से अनभिज्ञता का मामला है वहां आप तुरन्त एक्शन ले लेते हैं। एक सरपंच को केवल आपने इसलिये मोअत्तिल कर दिया कि कोरम होता था तीन का हाजिर हुए दो । हरिजन सरपंच था उसको नोटिस दे दिया मुअत्तिली का । अब उच्च वर्ण के प्रभावशाली लोग होते हैं वे तो वकीलों से और इधर उधर से मिल मिला कर इनसे बच जाते हैं, ये बिचारे भोले हरिजन लोग ऐसा कर नहीं सकते । तो आपको मूल रूप में सोचने की जरूरत है । तो एक सुझाव तो इस रूप में इस सम्बन्ध में देना था कि आप ऐसे मामलों में गौर करें और ठीक नीति अपनाएं ।

इस बारे में और भी कई सुझाव हैं । इस रिपोर्ट में जगह जगह कहा गया है कि नीचे से इनीशियेटिव नहीं आ पाता । आएगा कहां से आपकी तो नीति ही ऐसी है, आपके कारनामे ही ऐसे हैं । ग्राम सभाएं फंक्शन ही नहीं कर पा रही हैं । ग्राम सेवक के पास काम की भरमार है । आप उसी से काम लेना चाहते हैं । इसकी धुरी है पंचायत की इकाई, अध्यापक और सहकारिता जिन पर विकास का आपका काम ठीक चल सकता है इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यापकों के लिये जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें विकास सम्बन्धी एक चेप्टर और जोड़ा जावे । जो जो इस सम्बन्ध में नये नये कानून या योजनाएं आदि बनें उनके बारे में अध्यापक कहीं अधिक कारगर रूप से गांव के लोगों को जानकारी दे सकता है । दूसरा नहीं दे सकता उसकी जितनी । आपके सेक्रेटरी और ग्राम सेवक को पूरी जानकारी है नहीं । मैं चाहूंगा कि अध्यापक का इसमें सहयोग लिया जावे तब विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ सकेगा और नीचे के स्तर पर ग्राम इकाई में इनीशियेटिव मिल पावेगा ।

दूसरी बात, आपकी योजनाएं ग्राम की जरूरत के अनुसार बननी चाहिए । जयपुर से मन्त्रीजी की चिट्ठी चली जावेगी और नीचे से यह लिखा हुआ आ जावेगा कि इतने पढ़े, लिखे लोग हो गये हैं, इतने खाद के गड्ढे खुद गये हैं, इतने कुएं बन गये हैं, इन सबके फरजी आंकड़े बना बनाकर वहां से आ जावेंगे, खुद जाकर देखने की तकलीफ कभी गवारा नहीं करेंगे अब जो भी आंकड़े वहां से आ गये इन्हीं पर से समझ लेते हैं कि हमारी योजनाएं तो बड़ी सफल हो रही हैं, बड़ा विकास का काम हो रहा है और उन आंकड़ों पर रिपोर्ट तैयार होती है और बड़ी प्रगतिशील मालूम पड़ती है पढ़ने पर कि पांच हजार कुए खुद गये, चार हजार खाद के गड्ढे खुद गये छः लाख मन बीज और ८ लाख मन खाद बंट गया । लिस्ट देखेंगे तो भ्रम में पड़ जावेंगे और देखेंगे कि कितना विकास होरहा है। आप इन आंकड़ों के जाल में न पड़ें, ज्यादा न पड़े, नहीं पड़ने से भी काम नहीं चलेगा पर ज्यादा मत पड़िये भ्रमात्मक होते हैं । आप ऊंचे बैठ कर जानकारी लेते हैं, नीचे से दे दी जाती है, ऊपर से आप योजनाएं थोपते हैं पंचायत के पास फंड की आवश्यकता है बाग की जरूरत है तो वहां यह न होकर उदयपुर में उस पैसे से पत्थर की खान चल जायेगी । यह आपका पेटर्न ही गलत है । आपका काम ऊपर से

(श्री रामकिशन)

चलता है, वहां से ग्राप अपनी योजनाएं उन पर थोपते हैं, उनकी ग्रावश्यकताग्रों को देख-कर योजनाएं उसके मुताबिक ग्राप नहीं बनाते। बजट ऊपर से बन जाता है, ग्रौर फिर उसका पूरा लाभ नहीं हो पाता। इसलिये मेरा सुझाव है कि सारी योजनाग्रों का ढांचा नीचे से बनाकर उसे मजबूत कराया जावे।

राजस्व का २५ प्रतिशत रुपया ग्राप ग्राम पंचायतों के लिये छोड़ दें। टैक्स ग्राप बात बात में लगाने की ग्रादत छोड़ दें। टैक्स लगाने के बारे में एक किताब लिखी है भीखा-भाई ने। उसमें बड़ी प्रसन्नता जाहिर की है कि ४२ लाख के नये टैक्स इन पंचायतों ने वसूल कर लिये। अगर ग्राप इस तरह से हर संस्था को टैक्स लगाने का साधन बना लेंगे ग्रौर उस पर खुशी जाहिर करने लगेंगे तो लोकतंत्र में से लोगों का विश्वास उठ जावेगा लोकतंत्र लोक-व्यवहार ग्रौर लोक-सुविधा का तन्त्र होना चाहिये। यह लोक-व्यवहार की चीज है। ग्रब दिल्ली की सरकार भी टैक्स लगावे, राज्य सरकार भी लगावे ग्रौर जिला परिषद्, पंचायत समितियां ग्रौर ग्राम पंचायतें सभी टैक्स लगाने लग जावेंगी तो नतीजा क्या होगा इसका? इसका नतीजा यही होगा जो ग्राज ग्राप देख रहे हैं। जनता में ग्रापके प्रति रोष ग्रौर ग्रसन्तोष हैं जो समय समय पर इन ग्राम चुनाग्रों में ग्राप देख रहे हैं इसलिये इस तरह के टैक्सों की बात नहीं करनी चाहिये। हमेशा टैक्स एक जगह इकट्ठे करने चाहिये ग्रौर वितरण उनका ग्राप फिर कर दें इससे जनता पर बुरा ग्रसर नहीं पडता है तो मैं यह सब ग्रापके हित के लिये कह रहा हूं। ताकि ग्राप जमे रहें। ग्राज ग्रापकी इस टैक्स की इस तरह की नीति का ही यह परिणाम है कि जिन लोगों में दो साल पहले बड़ा उत्साह था, उमंग थी वह ग्राज जाता रहा। यह ग्राप इस रूप में देख सकते हैं कि जहां १९६१-६२ में एक करोड़ ग्रौर १७ लाख का श्रम दान लोगों ने दिया, जैसा कि आपके ग्रांकड़े कहते हैं, वहां १९६२ में ६० लाख ही रह गया। हालांकि ये ग्रांकड़े भी ग्रापके गलत हैं। २५० दिया ग्रौर १०० लिख दिया इस तरह के हैं। फिर भी मान लें थोड़ी देर के लिये कि ग्रापके ये ग्रांकड़े सही हैं तो भी विश्वास ग्राज लोगों का ग्राप के इस श्रमदान में से उठता जा रहा है ग्रौर यह सारा पैसा भ्रष्टाचार में ग्रौर गलत कामों में जाता है।

मैं ग्रब ट्रान्सफरों की बात नहीं करूंगा। चारों तरफ धांधलीबाजी चल रही है। सर-कार निष्क्रिय है। सरकार से यह मामला सुलझ नहीं सकता। इतने से कड़े शब्द ही मेरे काफी हैं। ग्रधिक कड़े नहीं कहना चाहता कि जिससे किसी मन्त्री या उप-मन्त्री की तबियत खराब हो जावेगी ग्रौर ग्रस्पताल जाना पड़ेगा। यह ग्रापका या मेरा ग्रकेले का सवाल नहीं है, राज्य के करोड़ों लोगों के कल्याण का सवाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप तबियत खराब होने पर क्यों रहम खाते हैं? खामोशी से क्या मतलब है? स्पष्ट बातें कहनी चाहियें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ग्राप कुछ उप-मन्त्रियों, मन्त्रियो को ग्रस्पताल भिजवाना चाहते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आपसी बातें न करें।

श्री रामकिशन : आपकी तो यह तीस साल की आदत है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपकी कितनी है ?

श्री रामकिशन : पहले दो साल और इसके बाद तीन साल और, ज्यादा नहीं है। तो मजाक और हँसी की बात आप छोड़ें।

डेवलपमेंन्ट और विकास की अंग्रेजी में यह रिपोर्ट सरकार निकालती है। आखिर सरकार यह किसके लिये निकालती है ? राज्य के उन करोड़ों देहाती लोगों के लिये जिनका आप विकास करना चाहते हैं या सुखाड़िया साहब और नन्दवाना साहब के लिये निकालते हैं। आपके यहां सेक्रेटरी लिखकर कमिश्नर को भेज देता है और वह उसकी रिपोर्ट निकाल देता है। अगर इसके लिये रिपोर्ट निकाली है तो ठीक है. आप पैसा बरबाद करलें। बहुत करते हैं थोड़ा और करलें। पर अगर राजस्थान के दो करोड़ लोगों से आप यह कहने जा रहे हैं कि हमने उनको यहां तक प्रगति के रास्ते पर ले आए हैं तो अंग्रेजी में यह निकाल कर उनका क्या कल्याण करना चाहते हैं ? हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिले हैं। उनकी भीली बोली है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, अजमेरी है, बीकानेरी है, हाड़ोती है, इन प्रान्तों की सारी बोलियों में छोटी २ पुस्तकें निकालते, हिन्दी की नहीं कहता मैं, और उसको साक्षर बना दिया जावे अगर उनको इस सारी योजना की इसकी प्रगति की जानकारी उनकी भाषा में दी जावेगी तो वे प्रोत्साहित होंगे आपकी इन योजनाओं की तरफ। बाकी अंग्रेजी में आपकी यह रिपोर्ट छप गई तो आपके सेक्रेटरियों कमिश्नरों के ही काम आ जावेगी, और यहां बहस हो जावेगी और पास हो जावेगी। एक रिपोर्ट निकली है आपकी अंग्रेजी में। उसमें अंग्रेजी में नन्दवाना साहब का संदेश था। मुझे पता नहीं वे अंग्रेजी कितनी जानते हैं पर एक बात कह सकता हूं उसमें चार शब्द सेक्रेटरियों ने लिखवा दिये ऐसे।

ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपसे ज्यादा जानते हैं।

श्री रामकिशन : मेरी तो मातृभाषा वह नहीं है। मुझे मेरी मातृभाषा जानने का गौरव है। मैं तो उससे निकृष्ठ आदमी किसी को नहीं मानता जिसे अपनी मातृभाषा जानने में गौरव का अनुभव न होता हो और विदेशी भाषा जानने में गौरव समझता हो।

मैं तो यह कह रहा था कि अधिक नहीं पर चार शब्दों के बारे में मैं कह सकता हूं कि नन्दवाना साहब उनके अर्थ नहीं जानते। सेक्रेटरी साहब ने उनसे लिखवा दिया है। तो मैं कहता हूं इसके नतीजे उल्टे उनके लिये गलत होंगे। सेक्रेटरी लोग इनका मजाक उड़वाने के लिये ये सारे काम करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनको पूछें कि इसका क्या मतलब है और वे नहीं बता सकें तो उनकी हँसी उड़ जावे। तो हमारे मन्त्रियों की तो यही हालत है। ये सेक्रेटरी लोग उनकी हँसी उड़ाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह मानते हैं कि अंग्रेजी में बोलने वालों की प्रतिष्ठा बढ़ती है ?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता कतई नहीं है। बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा गिरती है। पर जो बात हमारे सचिवों और अफसरों के मन में है वह मैं कह रहा हूं वे इनको कम अकल और मूर्ख और न जाने क्या-क्या समझते हैं। उनकी मजाक करवाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको प्रचार करवाना है इन योजनाओं का और इसकी प्रगति का तो लोकल बोलियों में बोलिये उनके माध्यम से जनता के पास जाइये, छोटी-छोटी पुस्तिकाएं उनमें निकालिये। इससे लोग ज्यादा जानकार बनेंगे और प्रभावित होंगे।

इस सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव था। उसके बारे में तो अधिक क्या निवेदन करूं।

एक बात मुझे और कहनी है पब्लिक रिलेशन्स विभाग के बारे में। जब से यह राजस्थान सरकार बनी, यह विधान सभा बनी, और जब से इस विभाग के ये डाइरेक्टर बने लगातार विवाद चल रहा है। अब यह विवाद तभी खत्म होता नजर आता है मुझे तो जब कि या तो यह सरकार खतम होगी, या यह विधान मण्डल खतम होगा या ये डाइरेक्टर साहब। ये सब साथ-साथ जावेंगे। लगातार विवाद इनके बारे में हर साल उठता है। मैं क्या निवेदन करूं। उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है १९६१ से। सौ से अधिक गवाह हैं। तीन सालों में चार-पांच गवाह ही भुगते हैं। यह रफ्तार है। इस रफ्तार से तो कई बरस इस में लग जावेंगे। यह सरकार कहती है कि वह भ्रष्ट नहीं है। मैं कहता हूं आप साबित कर दीजिये कि आप भ्रष्ट कैसे नहीं हैं। आपकी तो नीयत और आपकी प्रवृत्तियां ही ऐसी हैं कि आप बच नहीं सकते। आपकी नीयत और आपकी ये प्रवृत्तियां साबित करती हैं कि आप भ्रष्ट हैं। चार सालों में आप जांच पूरी नहीं कर सके और फिर कहते हैं कि आप भ्रष्ट नहीं हैं। आप गलत काम को गलत मानने से घबराते क्यों हैं ? किसी भूतपूर्व गृह सचिव ने तो यहां तक लिख दिया है इनके बारे में कि आई०पी०सी० की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसका उल्लंघन इनके द्वारा न किया गया हो। पर एक आप हैं कि इन सब के बावजूद आप उनको बचाने की कोशिश किये चले जा रहे हैं, सारे मामले को दबाये जा रहे हैं लगातार। मैं साफ-साफ आपको कहना चाहता हूं कि आपके इन कारनामों का स्पष्ट परिणाम स्पष्ट नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने वाले को कलेक्टर और कमिश्नर बना दिया। यह तो और भी गड़बड़ हो गई। अब चीफ-सेक्रेटरी के रिश्तेदार जांच करेंगे। तो यह जांच न कभी होगी न पांच साल में होगी, न दस साल में होगी। पर इसका एक फायदा जरूर हो जावेगा जिसमें पब्लिक-रिलेशन्स विभाग होगा वे वहां से हटेंगे, हारेंगे, पहले वालों का भी यही हाल हुआ, नयों का भी यही हुआ। मैं तो अपने लिये नहीं, आपको जिताने के लिये आपको जनता में ऊंचा उठाने के लिये कहता हूं कि यह आपके हित में हैं कि आप इस तरह के

(श्री रामकिशन)

भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना, छिपाना छोड़ दें। एक एक बात बतलाऊं इस विभाग के बारे में तो इतना समय मेरे पास नहीं है।

जब नाथद्वारा का स्केण्डल हुआ तो ब्लिट्ज में इसकी बड़ी खराब खबरें छपीं। लिखा कि हरिदास मूंदड़ा तो पकड़ा गया, पर दूसरा जो आदमी जिसने गबन किया वह राजस्थान में राज्य कर रहा है। मुख्य मन्त्री जी की तरफ उसका इशारा था। इस खबर के छपने के बाद कुछ लोग दौड़ दौड़े बम्बई गये और उसके बाद का जो ब्लिट्ज अखबार देखा तो उसमें सरकार के एडवरटाइज-मेंट छप रहे हैं, 'राजस्थान प्रगति के पथ पर' नाम से ब्लिट्ज की तरफ से विशेषांक निकाल दिया। तो इन कलाबाजियों के लिये अगर इस विभाग में इनको रख रखा है तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर सरकार भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है तो ....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह ब्लिट्ज के करप्शन की बात कह रहे हैं क्या ?

श्री रामकिशन : आप अगर यह कहलवाना चाहते हैं तो मुझे यह कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, न कोई शर्म ही है कि हिन्दुस्तान में ऐसी पत्रकारिता भी है। एक दिन खराब खबर देंगे तो दूसरे दिन सौदा हो जावेगा तो ठीक हो जावेंगे। यह बहुत बुरी बात है। पर इनको भी भ्रष्ट करते हैं ये लोग, आप लोग। पत्रकार भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन आपकी संगत का असर यही होता है कि आज कोई खबर निकाल देते हैं और दूसरे दिन उनको भ्रष्ट कर दिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह मैंने कुछ सुझाव दिये हैं और मैं चाहूंगा कि सरकार इन पर गंभीरता से विचार करे। अगर सरकार ने इन पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो हमारे जितने भी अब तक के सारे कार्यक्रम हैं इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर, वैर, नगर, कामा की पंचायत समितियों के बारे में शिकायतें आई लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वह कांग्रेस की हैं। दूसरी जगह से शिकायतें आती हैं तो फौरन एक्शन लिया जाता है। अभी बयाना नगरपालिका है वहां के चेयरमैन को मोअत्तिल कर दिया और मंत्रीजी ने कहा है कि फाइल देख लें। पार्टीबाजी के आधार पर काम होता है, इससे न लोकतंत्र का लाभ होगा, न आपका लाभ होगा। इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको प्रस्तुत करने के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन मांगों पर बहस चल रही है उसमें विविध में भी मैं अपना कुछ सुझाव और बातें रखना चाहता हूं। इस बजट में जो विविध का बजट देखा और उसमें पंचायत समितियों के अनुदान में २१ लाख रुपये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और इस बात से दुख भी हुआ कि एक तरफ सरकार म्युनिसिपेलिटीज को ८ आना

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

पर हैड अनुदान में देती है दूसरी तरफ जो गांवों के अन्दर लोग रहते हैं जिनकी संख्या करीब १ करोड़, ७० लाख है उन्हें भी ८ आना पर हैड दिया जाये तो ८५ लाख रुपया इस हैड के अन्दर जाना चाहिए था लेकिन २१ लाख रुपये देखने को मिले इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ जिधर हम विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं, जिधर हम देश के अन्दर प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की नींव को मजबूत करना चाहते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे अधिकारी और उच्च अधिकारी जो इस प्रणाली का सराहते नहीं हैं, आज जो इस प्रणाली को सहन नहीं कर सकते, जो इसको चाहते नहीं पर क्योंकि राजस्थान का ढांचा, राजस्थान की प्रजातंत्र की हकूमत इस बात को चाहती है। अब प्रजातंत्र की हकूमत के अन्दर पंचायतों को अधिकार मिले परन्तु कोई न कोई इस प्रकार का ढांचा यह अधिकारीगण तैयार करते हैं जिससे प्रजातंत्र के ढांचे में कमजोरी महसूस हो। उच्च अधिकारियों के १९५९ के बाद से जब से डिसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम राजस्थान में लागू हुई है यदि एक सर्कूलर के बाद दूसरा सर्कूलर को उठाकर राज्य सरकार देखें, यदि हमारे पंचायत के मिनिस्टर साहब देखें, यदि हमारे पंचायत के उपमंत्री देखें तो उन सर्कुलर्स से साफ जाहिर हो जायेगा कि हमारे उच्च अधिकारियों की मन्शा क्या है? वे चाहते हैं कि जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गए हैं, जो अधिकार जिला परिषदों को दिये गये हैं वे अधिकार ज्यों के त्यों पंचायत के जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनमें आ जायें, पंचायत के जॉइन्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर हैं उनके पास आ जायें और पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं सबके पास वे अधिकार आ जायें। इस प्रकार की प्रवृत्ति आज इस विभाग में काम कर रही है। तो इस सब से यह जाहिर होता है कि प्रजातंत्र की जो स्कीम है उसके पीछे अधिकारी और उच्च अधिकारी लोग पड़ गये हैं। इससे यदि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को नहीं बचाया तो मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को असफल करने में पूरा पूरा अपना योगदान देंगे। यदि इन्हें कहीं जाना होता है तो पंचायत समिति का टूर रख लेते हैं। यदि कहीं ब्याह और शादी में जाना होता है तो पंचायत समिति का टूर रख लेते हैं। यह इस बात के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं परन्तु समय पर बजट को पहुंचाना इनका कर्त्तव्य नहीं है? पंचायत समितियों को समझाना इनका कर्त्तव्य नहीं है? इन सब को देखने के बाद इस बात पर यदि आप आयें कि पंचायत समितियों को १५ लाख रुपया दिया है जब कि २० न० पै० परहैड हमारा प्रावधान है मैं आपके बजट में आंकड़ों को बताऊं कि फ्री फण्ड में १९६१-६२ में ८ लाख रुपया रखा, १९६२-६३ में ५ लाख और १९६३-६४ में ८ लाख और १९६४-६५ में कोई प्रावधान नहीं है। यह फ्री फण्ड इसलिए दिया जाता था कि उनकी आर्थिक हालत सुधरे। क्या यह माना जाये कि इनकी आर्थिक हालत १९६४-६५ में सुधर चुकी है?

दूसरी तरफ म्युनिसिपेलिटीज को ३-४ करोड़ रुपया इस प्रकार का दिया गया होगा जिससे वह अपनी आर्थिक हालत सुधारे

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लेकिन पंचायत समितियों को ऐसी रकम नहीं दी गयी है जिससे कि पंचायत समितियां अपनी हालत सुधार सकें। जब मैंने बजट की ओर देखा तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि यह प्रेस की गलती है या किसी की, मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि गणित में मैं कमजोर हो सकता हूं। मैंने एम-२-॥ नक्द दान के कालम में देखा ४ बिन्दियां हैं। तो जब मैंने देखा नीचे उसमें देखा कि भोजन और वस्त्र के लिए ५०,००० रुपया और देखा कि ४ बिन्दियां। और जब नीचे टोटल देखा तो १ लाख ३० हजार रुपया मिला। मैं समझ नहीं पाया कि पहली साल बजट के अन्दर इतनी अशुद्धियां हुई हैं और इस साल भी विविध के अन्दर एम--२-॥ के अन्दर भोजन, वस्त्र व चिकित्सा व्यय और फिर नीचे आ गया है भोजन और वस्त्र की व्यवस्था के लिए ५० हजार रुपया और टोटल १ लाख ३० हजार रुपया है। इस तरह से बजट की जो सेंक्टिटी होनी चाहिए उसमें इस तरह की गलती होना या इस तरह की बात होना मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से बजट के अन्दर इस खाने को रखा गया। इसी प्रकार से विविध खण्ड में मैंने इन्डियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन को देखा तो १९६२-६३ में ८ लाख ८६ हजार १७७ रुपया दिया गया और १९६३-६४ में ९ लाख ५१ हजार ४०० रुपया दिया, और १९६४-६५ में ४ लाख रुपया दिया गया। यह इन्डियन ऐयरलाइन्स कॉरपोरेशन क्या बला है? जबकि एक तरफ हमारा बजट घाटे का बजट है और दूसरी तरफ हम एक-एक पैसे के लिए दुखी हैं हम कहते हैं कि हमारे राज्य का बजट घाटे का है और दूसरी तरफ ४-४ लाख रुपये इन्डियन एयरलाइन्स को दिया जाता है। ये चलते होंगे केवल एक दो जगह। तो जो हमारे खून और पसीने की कमाई है उसको इस तरह से देना गलत तरीका है। ये ४ लाख तो रखे गये हैं लेकिन जिस तरह पहली साल ९ लाख ५१ हजार ४०० रुपये थे उसी तरह से इस साल भी घाटा जायेगा। इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ रिहेबीलीटेशन प्रापर्टीज की रक्षा का खजाना है उसमें १५००) रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि क्या यह स्कीम खतम हो गयी है या क्या हो गया है? १५०० रुपया और राजस्थान इतना बड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है और मैं बताऊं कि मेरे एक साथी हैं उनसे मेरी बात हो रही थी उस समय उन्होंने बताया कि सराड़ा तहसील भीलवाड़ा की है उसमें एक रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हैं रफीउद्दीन। उनके भाई बहुत पहले से पाकिस्तान चले गये। उनकी ५०,००० रुपये की जायदाद वह आज भी अपने कब्जे में लिये हुए बैठे हैं। क्योंकि जब कोई कार्यवाही करने वाला नहीं होगा। वह ५० हजार रुपये की जायदाद को इस तरह से हजम कर रहा है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि नम्बरदार वगैरह ने उसको इत्तला कर दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरीके से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहूंगा कि इसमें राइट आफ करने के लिए लिखा हुआ है। यह पैसा जो बड़ी कठिनाइयों और मेहनत से कमाया गया है उसमें से

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

९ लाख १७ हजार ४९ रुपया १९६२-६३ में राइट ऑफ किया गया और १९६३-६४ का बजट देखें तो उसमें २० हजार रुपये के राइट ऑफ करने का प्रावधान रखा और राइट ऑफ किया गया ६ लाख रुपया। इसी तरीके से १९६४-६५ में १ लाख रुपये का फिर प्रावधान है और मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि यदि दुबरा बजट में आया तो १ लाख नहीं होगा १० लाख होगा। क्या यह राइट ऑफ का प्रावधान आपने गरीबों के लिए किया है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने यह किया होगा बड़े-बड़े जागीरदारों का, बड़े-बड़े पैसे वालों का राइट ऑफ किया गया और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इतना पैसा बिना जमानत के दिया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? यह मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे।

इसी तरह से फाइनेन्स कॉर्पोरेशन...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पार्टी का टाइम है। ३-४ मिनट और दें।

श्री उपाध्यक्ष : १० मिनिट हो चुके हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो मिनट तो और दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : फाइनेन्स कार्पोरेशन है जिसको कि काफी रुपया दिया गया है। वह मालदारों की संस्था है। उसको कितनी सब्सिडी दी जाती है? ६२-६३, ६३-६४ में दी गई है और ६४-६५ में उसको एक लाख रुपया दे दिया गया है। रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए कोई पैसा नहीं है और जबकि शहरी, अरबन हाउसिंग में काफी रुपया है। इसी तरह से दूसरी स्कीमों को देखने से पता लगता है कि वित्त मंत्री ने बहुत ही सफाई के साथ में अजमेर के अन्दर ६० लाख रुपये अजमेर के वाटर वर्क्स के लिए खर्च करने के लिए रखा है जबकि कहीं इतना बड़ा प्रावधान नहीं है। उसके साथ ही साथ और भी पढ़ने को मिला है कि अजमेर के अन्दर २२,०००) रु० सिलाई केन्द्र के लिए जयपुर की तरह दिया गया है जबकि राजस्थान इतना बड़ा है और गांवों में भी महिलाएं रहती हैं। अभी वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि गांव की महिलाओं को सहायता देने के लिए सिलाई सिखानी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ तो सही मायने में बड़ी प्रगति हुई, और उस प्रगति को हम करना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं और प्रजातन्त्र की जो नींव है वह इसी प्रकार से मजबूत हो सकती है, तो मैं उपमंत्री महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मजबूत करना चाहते हैं, यदि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण ···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के द्वारा प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो अधिकारियों के रवैये को चेन्ज किया जाय और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मजबूत किया जाय। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस चल रही है पंचायतों के संबंध में, म्युनिसिपेलिटीज के संबंध में इसके अन्दर यह जो पंचायतों का चुनाव नहीं कराने के बारे में जो ऑर्डिनेन्स निकला है वह तो मैं समझता हूं कि सरकार ने अपनी पूरी तरह से स्थिति को सोच लिया और उसने कुछ चुनावों के रिजल्ट देखे तो हालात बहुत खराब थे, इसलिये उसने इस तरह का फैसला करने की इस सरकार से उम्मीद थी कि इन सब पंचायतों का चुनाव नहीं करायेगी, क्योंकि यदि पंचायतों का चुनाव कराती है, तो पंचायतों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर, जिला परिषदों के अन्दर उनको बहुत बड़ी तादाद में हारने की उम्मीद थी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी खास तैयारी है क्या ?

श्री हरिराम चौहान : वह तो नतीजे बता रहे हैं, महुआ का चुनाव बता रहा है। लोगों की समझ यह बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस के अलावा चाहे काला चोर आ जाए। लोगों की समझ यह बनती जा रही है कि कांग्रेस ने देश का सबसे बड़ा नुकसान किया है तो वह यही किया है कि इस राज्य को हटाना है चाहे कोई आये।

यह जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि तो इसी तरह की उम्मीद इस सरकार से की जा सकती थी और उसने उसको पूरा किया है। अब सवाल यह है कि ६ महीने के अन्दर चुनाव करायेंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि न तो इनके पास समस्याओं का हल जो कि काफी बढ़ चुकी हैं उनका इस सरकार के पास में कोई इलाज नहीं है। अनाज की कीमतें जब किसान पैदा करता है तो गिर जाती हैं, भाव घट जाते हैं और जब उसको जरूरत होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। उसका इस सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। गुड़, चीनी की समस्या, कपड़े की समस्या, बगैर टैक्स के भी सरकार कुछ कारोबार चला सकती है, इन तमाम चीजों के बारे में इस सरकार का दिमाग साफ नहीं है। इसलिए इन ६ महीनों में, निकट भविष्य में इस सरकार से यह उम्मीद करना मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा कि इनके ऊपर यकीन किया जाय। खैर, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि पंचायतों के चुनाव में ईमानदारी से यदि प्रजातांत्रिक तरीकों में विश्वास करते हैं तो कोई बहाना इस किस्म का नहीं हो सकता कि भई, पंचायतों के चुनाव हम इसलिये नहीं करा रहे हैं कि सारे राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है। और इसलिए नहीं करा रहे हैं तो बाकी के

(श्री हरिराम चौहान)

उपचुनाव हुए हैं और भी तरह के चुनाव हुए हैं। उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो यह चुनाव भी कराते तो किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं थी, बल्कि सरकार की ईमानदारी नजर आती कि बेचारी टाइम पर चुनाव कराती है। खैर, यह उनका काम है, वे उसके बारे में सोचें।

लेकिन जहां तक पंचायतों के अन्दर आज जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, उसका जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि आज पंचायतों के बहुत बड़ी तादाद में नौकरशाही का बोलबाला है। वे सीधे-सादे सरपंच जो बेचारे चुनकर आते हैं आम भोले-भाले लोगों के वोट से वे आते हैं, खुद वे इतने पढ़े-लिखे लोग होते नहीं हैं उनके ऊपर एक बी०डी०ग्रो० की पोस्ट जो एक तरफ तो कहने के लिये इसलिये क्रियेट की गई है कि हम इन तमाम लोगों को शिक्षा देंगे, हम इन तमाम लोगों का स्तर ऊंचा करेंगे, और इनको हर तरह से मदद करेंगे, इनकी आर्थिक, सामाजिक शिक्षा वगैरह के अन्दर सुधार करने के लिये यह है। लेकिन दरअसल हकीकत के अन्दर क्या होता है कि कोई भी बी० डी० ग्रो० है वह ज्यादा बढ़िया बी०डी०ग्रो० ज्यादा समझदार बी० डी०ग्रो० उस वक्त में कहला सकता है जब कि बी०डी०ग्रो० का मुख्य काम यह है कि सबसे पहले वह अपने जितने भी पंच, सरपंच आये हुए हैं या कोआपरेशन के अंदर आमे हुए हैं, उनको किसी न किसी तरीके से करप्ट कर दें। उनको भृष्ट करने के लिये बड़ी कोशिश करता रहता है। अनुदान के नाम पर, श्रमदान के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, खर्च किया जाता है तमाम लोगों को खुद कहकर कि श्रमदान गांवों के अन्दर होता नहीं है, आमतौर पर श्रमदान नहीं होता है और यह सरकार का जो दावा था कि हम लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे वह लोगों का सहयोग प्राप्त इस सिस्टम में नहीं कर सके और बहुत कम तादाद के अन्दर श्रमदान होता है, लेकिन क्योंकि कानून, नियम इस तरह के बना रखे हैं कि श्रमदान के बगैर आपको पैसा नहीं मिल सकता तो जब पैसा नहीं मिल सकता है तो खुद बी०डी०ग्रो० सको गली बताता है कि आप बिल ले आइये श्रमदान कोई करता है कि नहीं। इस तरह की बात करता है। झूठे बिल और झूठा हिसाब पेश करता है फिर उसके हाथ में उसकी नब्ज आ जाती है तो फिर वह सरपंच कभी भी बी० डी.ग्रो.के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वह उनकी कमजोरी को जानता है, इसलिये वह उसके बारे कुछ नहीं कर सकता है।

फिर पंचायतों का जो इस्तेमाल है यह कांग्रेस अपने पक्ष के अन्दर, अपनी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये करती है।

उसी तरह से दूसरे इसने कई महकमें और खोल रखें हैं जैसा कि खादी बोर्ड का महकमा है, समाज सेवा संघ है, समाज कल्याण है, भारत सेवक समाज है, इस तरह के जो महकमें हैं उनके अन्दर यह अपने लोगों को पूरी तरह से प्रोत्साहन देती है, पूरी तरह से उनको फायदा पहुंचाती है। यह उसी तरह से पंचायत समितियों में भी करना चाहते हैं और यह जिस तरह से बाकी महकमों में जैसे लूली-लंगड़ी गायों के लिये गौशाला होती है।

Page No. 90

(श्री हरिराम चौहान)

इसी तरह से यह भी इसको लूली-लंगड़ी गायों की तरह अपने आदमियों को किसी तरह से फायदा पहुंचाना है उस काम के लिये देते हैं। आप लिस्ट उठा कर देखें। मैं नहीं कह सकता पूरे राजस्थान के लिये मुझे जानकारी नहीं हैं लेकिन साबुन फैक्ट्री के नाम से जो पैसा दिया गया उससे मैं जानता हूं कि ५ पर्सेन्ट भी साबुन फैक्ट्री यहां नहीं लगाई गई। जितना पैसा डेरीफार्म लगाने के लिये दिया गया था उससे डेरीफार्म नहीं लगाये गये। जितना पैसा मुर्गीफार्म के लिये दिया गया था उस तमाम से मुर्गीफार्म नहीं चल रहे हैं और वापिस वसूली भी नहीं हो रही है।

पंचायत समिति, तिजारा में १६०० मन बीज का गबन हो गया। आज तक उस बीज का पता नहीं लगा। वह बीज किसके पास चला गया? ....

एक माननीय सदस्य : आप पता लगाना ही नहीं चाहते।

श्री हरिराम (चौहान) : इसी तरह से आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की बात करते हैं, दरअसल में इस सरकार ने जो भी नारा अपने हाथ में लिया उसके बारे में सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई कि वह नारा ही बदनाम हो जाय। चाहे वह समाजवाद का नारा हो, चाहे वह राजकीय क्षेत्र में व्यापार करने का नारा हो, चाहे और तरह का नारा हो। जो भी नारा लाइट में आता है उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आम जनता के दबाव से इस सरकार को कुछ नारे देने पड़ते हैं और जब यह सरकार कुछ नारे देती है तो उस सिस्टम को ही, इस पंचायत राज्य को ही बदनाम करने के लिये, पूरी तरह से सहकारी समितियों को बदनाम करने के लिये, पूरी तरह समाजवाद को बदनाम करने के लिये यह सरकार काम कर रही है, इस सरकार की नौकरशाही काम कर रही है और इसका मंत्री-मंडल काम कर रहा है। बहुत सी पंचायतें इस तरह की हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट करने वाले जब जाते है तो उनको वहां संबंधित आदमी मिलते नहीं है। पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये पंचायतों की तरफ बकाया हैं लेकिन बकाया की वसूली के लिये कार्यवाही नहीं होती, बी० डी० ओ० कोशिश नहीं करते दूसरे साहब कोशिश नहीं करते। और यदि पीछे पड़ने से नोटिस निकाल दें तो उसके बाद दावत दे देते हैं। पंचायत समिति तिजारा की तरफ १५ हजार रुपये बकाया हैं, उसके लिये कुछ नोटिस दिये गये, कुछ रुपये वसूल हुए। फिर ज्यादा जोर करते है तो उसके लिये दावत दे दी जिसमें कॉंग्रेस के नेता गये। उसमें एस० डी० ओ० पहुंच गये। उस दावत के अन्दर सभी चले गये तो नोटिस कहीं चला गया.......

एक माननीय सदस्य : दुःख इस बात का है कि आपको नहीं बुलाया दावत में।

श्री हरिराम चौहान : मुझे जरूरत नहीं है आपकी दावतों की ये दावतें आपको ही मुबारक हो।

इसी तरह से बहुत सी पंचायतों की पूरी लिस्ट दे सकता हूं। वैसे तो, आम–

(श्री हरिराम चौहान)

तौर से यह धंधा है। किसी की तरफ १५ हजार हैं किसी की तरफ कुछ हैं। कई पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने कागज पर बिल्कुल कलम नहीं चलाई, कोई हिसाब नहीं, आप तलाश कर लें, कोई दफ्तर नहीं है, कागज नहीं है, स्याही नहीं हैं। चूरूकला जहां के प्रधान हैं पंचायत समिति तिजारा के। बी० डी० ओ० साहब वहां आदमी भेजते हैं, झूठा सच्चा रेकार्ड तैयार होता है फिर भी काफी रुपये बकाया निकलते हैं।

जितने बी० डी० ओ० हैं मैं नहीं समझता उनमें कितने पर्सेन्ट ईमानदार हैं, लेकिन वे अपने आपको हर तरह से विशेषज्ञ समझते हैं। वे चाहें तो किसी टेक्निकल आदमी की रिपोर्ट मांगे, वे चाहें तो सहयोग प्राप्त करें, चाहें तो न करें। तमाम लोगों को उनके हुक्म में रहना पड़ता हैं। नतीजा यह होता है कि मनमर्जी से गलत तरीके से टेन्डर कॉल करते है, कभी टेन्डर कॉल भी नहीं करते हैं और काफी पैसा अपने मिलने वाले लोगों को या उसमें कुछ हिस्सा अपना रख कर इस तरह से कर देते हैं। तिजारा में साढ़े तीन हजार रुपये एक कूए में बिजली फिट करने के लिये और एक मोटर स्टेण्ड पर साढ़े तीन चार हजार रुपये खर्च कर दिये जो निश्चित रूप से, हम दावे से कह सकते हैं कि कुल काम १५००) रु० में हो सकता था। इस तरह से पैंसे का दुरुपयोग कदम कदम पर होता जा रहा है पर किसी के खिलाफ एक्शन लेने को बात नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तिजारा पंचायत के खिलाफ है, गबन का केस है। लेकिन यह सरकार कहीं कुछ नहीं करती। इस सरकार के अधिकारी सभी सो रहे हैं। पचासों शिकायतें लिखित रूप में हैं, ऑडिट ने खिलाफ में रिपोर्ट लिखी जो सही हैं। मानकचन्द नाम का आदमी वहां नाके पर था उसने गबन किया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया लेकिन सरपंच साहब खादी के कपड़े पहनते हैं, मंत्रीजी के मुंह लगे हुए हैं......

एक माननीय सदस्य : खादी के कपड़े तो आप भी पहिनते हैं।

श्री हरिराम चौहान : उन्होंने क्या काम किया कि उसको थोड़े दिनों के लिये सस्पेन्ड कर दिया और उसके बाद आज भी वह नौकरी कर रहा है। उसके खिलाफ केस बना है। जमानत पर छूटा है। ४०६ का केस उसके खिलाफ है गबन का फिर भी वह आज सर्विस में है। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता।......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : डिस्मिस नहीं होगा तब तक सर्विस में रहेगा।

श्री हरिराम चौहान : ये लोग क्या करते हैं कि पंचायत के खिलाफ किसी को कुछ कहने क हिम्मत नहीं होती।

इसी तरह से भीलवाड़ा का एक अजीब किस्सा है। वहां पर एक पंचायत समिति है आसिन्द....

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसिन्द): आसिन्दा नहीं आसिंद है।

श्री हरिराम चौहान : आसिन्द पंचायत समिति है उसके बी०डी०ओ० साहब ५ साल से वहीं पर विराजमान हैं।.....

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत बात है। वे वहां पर तीन साल से हैं।

एक माननीय सदस्य : अच्छा काम कर रहे हैं इसलिये बैठे हैं।

श्री हरिराम चौहान : मैं नाम नहीं गिनाता हूं। इसलिये मैं कहता हूं कि पांच साल से विराजमान हैं, किसी में उनको तब्दील करने की हिम्मत नहीं है। और तब्दील करो, न करो, लेकिन सवाल यह है कि उनके खिलाफ काफी शिकायतें हैं और उन्होंने काफी गलत काम किये हैं। गलत तरीके से टेन्डर कॉल किये और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह के काम किये जो ऑडिट रिपोर्ट में भी आये हैं। उन्होने भवन-निर्माण कराया, अपना बंगला बनाया, दूसरे कर्मचारियों के लिये भी बंगले बनाये। वे सारे के सारे अलग २ रेकार्ड में हैं मैं। उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन बी० डी० ओ० ने क्वार्टर्स बनवाये ८०००) बिल्डिंग के और १८,०००)......

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको यह जानकारी है क्या कि मंजूरशुदा रकम में से ही बनाये या ज्यादा से ?

श्री हरिराम चौहान : यह सब उतनी रकम में काम किया, उसका ऑडिट हुआ फरवरी, १९६२ में और ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा गया कि १४,०००) रु० विकास-अधिकारी से वसूल किये जायं; लेकिन ये १४,०००) आज तक वसूल नहीं हुए।...

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम है या नहीं ? बाद में और जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है उसमें यह ऑब्जेक्शन खत्म हो गया है ?

श्री हरिराम चौहान : जो बात सरकार की है वह आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह २१००) रु० साठ कोऑपरेटिव सोसायटी को अनुदान देने के लिये मांगे गये। पंचायत समिति को वह पैसा मिल गया। उस पंचायत समिति में एक साहब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से कोऑप्ट किये गये हैं। उन्होंने यह कह कर वह रुपया अपने काम में ले लिया कि यह मेरा मेहनताना है। इसमें से कुछ भी सहकारी समितियों को नहीं दिया गया।

इसी तरह से १५,०००) रु० बहु-धंधी सहकारी समिति, पाटन से और दो सोसाइटीज से पिछले दो सालों से बैंक में जमा कराने के लिये कहा गया था लेकिन वह बक में जमा नहीं हुआ। वह भी उन्होंने अपनी मोटर वगैरह में काम में ले लिया। जब इस तरह का मसला आपके सामने है, और इन चन्द मिसालों से ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस तरफ जब तक ध्यान नहीं करेगी, गांव के लोगों को पूरी तरह ईमानदारी से खुद की ईमानदारी से, काम करते हुए, खुद त्याग से काम करते हुए इस तरह काम नहीं करेगी तब तक इन पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के अन्दर हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या पूरा नहीं कर सकेंगे ?

श्री हरिराम चौहान : जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, यह तो इन पंचायत समितियों की रग-रग में समाया हुआ है और उसको, मैं समझता हूं, यह सरकार दूर नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं निवेदन करूं . . .

एक माननीय सदस्य : सरकार दूर नहीं कर सकी, लेकिन आपके भाषणों से स्वतन्त्र पार्टी का सफाया हो गया है।

श्री हरिराम चौहान : हम पंचायती राज्य के विरोधी नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का जो सिस्टम है, पंचायती राज्य का, वह खत्म हो। मैं कहता हूं कि इसी तरह का पंचायती राज्य रहे, हम उसके हामी हैं। लेकिन उसके सम्बन्ध में हमारा पक्का विश्वास है और हम चाहते हैं कि उसे ठीक तरह से चलायें, उसे बदनाम करने के लिए यह काम नहीं करें

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं अकेला हूं . . .

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री हरिराम चौहान : पांच मिनट।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): एक मिनट और दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हरिराम चौहान : मैं समझता हूं कि इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा खराबी बहुत बताई है, इधर से भी बताई हैं और उधर से भी बताई हैं, और खराबी बता कर हम अपने अपने घरों को वापिस चले जाते हैं। इससे समस्या हल होती नहीं है क्योंकि फिर आते हैं तो देखते हैं कि असेम्बली में बोलने का उपयोग अच्छी तरह नहीं हो सका है। इससे नौकरशाही भी समझती है कि इनको केवल बोलना है ताकि कुछ अखबारों में आ जाय, कुछ चर्चा हो जाय और कुछ अपने इलाकों में जाकर कह दें। लेकिन सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ता है। इस वक्त जब हमने प्रतिज्ञा की हैं कि हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, हमारी सरकार ने प्रतिज्ञा की है, केन्द्रीय मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कमेटी बैठाई है और घोषणा की है कि दो साल में या तो भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा या इस गद्दी से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने तीन महीने का सारे कर्मचारियों को नोटिस दे दिया है। ऐसी हालत में सरकार को एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिए, जिसके पास पूरी शक्ति और साधन हों। साथ ही अगर कोई बी. डी. ओ. कोई गड़बड़ी करे और वह साबित हो जाय तो उसको सजा देने का भी अधिकार हो। कोई प्रधान गड़बड़ी करे, कोई सरपंच गड़बड़ी करे तो उसको भी सजा देने का अधिकार हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार हो। इस तरह की सरकार कोई कमेटी मुकर्रर करे।

श्री उपाध्यक्ष : Now Shri Radha Krishan Goyal, please ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण आया, जनता ने उसका हार्दिक स्वागत किया। यह एक साहसिक कदम था। इससे जनता को विश्वास हुआ कि उसकी भुखमरी उसकी गरीबी और उसका अज्ञान आदि आदि दूर होगा। राजस्थान में सात हजार से अधिक पंचायतें बनीं, ३३२ पंचायत समितियां बनीं और २६ जिला परिषदें बनीं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): २३२ पंचायत समितियां ?

श्री राधाकृष्ण गोयल: इनके द्वारा हमने विकास के कार्यों में करोड़ों रुपया खर्च किया। लेकिन धीरे-धीरे इन संस्थाओं का जो उपयोग हो सकता था उसमें कमी आई और जो आशा हम इन जन-प्रतिनिधियों के प्रति लगाये हुए थे वह आशा धूमिल होती गई। क्यों हुई ? इसके दो ही मुख्य कारण थे—एक तो यह कि जो समितियां बनाई गई, इनके संचालन की राज्य सरकार की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। कुछ लोग इनमें ऐसे आते गये जो पंचायत समितियों को दिये हुए पैसे का दुरुपयोग करने लगे। अपने स्वार्थों को जनहित से अधिक महत्व देने लगे। और जब इन लोगों की अधिक रोक-टोक नहीं होने लगी तो इनकी देखा-देखी और पंचायत समितियां भी अनुकरण करने लगीं। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की अधिकतर पंचायत या पंचायत समितियों के जो जन-प्रतिनिधि थे वह इनको एकमात्र कमाई का साधन समझने लगे। यह स्थिति भयानक होने लगी और इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सी शक्तियां ली हैं और कानून भी बनाया है लेकिन उनका राज्य सरकार ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाई है और न उनका उपयोग करने की स्थिति में है। इसका कारण यह है कि ये समितियां राज्य-कार्य संचालन में योग देने और विकास कार्य के लिए एजेंसी बनाई गई हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में बनाई गई ये एजेंसी राजनीति की दलबन्दी के लिए एजेंसी बन गई हैं और कुछ नेता इन्श्योर के रूप में, जो बुराइयां हैं उनको ढांपने के लिये तैयार हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दलगत राजनीति के आधार पर जो सतारूढ़ दल से संबन्ध रखने वाले सरपंच हैं, प्रधान है, वे खुले रूप से मनमानी करते है, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसका उदाहरण चाहते हैं तो टोंक जिले की प्रत्येक पंचायत और पंचायत समिति का मैं विश्लेषण कर सकता हूं। अभी मैं साधारणतया.......

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपकी नीति क्या है ? आप दलगत नीति में विश्वास नहीं करते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल: मैं अभी बता देता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): नीतियां आपकी समझ में नहीं आयेंगी। इनके भी नहीं आ रही हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: पंचायतों के मामलों के अन्दर से, जो राज्य सरकार के सामने भी मामले होंगे, एक कलमंडा की पंचायत, तहसील मालपुरा में है, उसको जितनी धनराशि दी गई है स्कूल खोलने के लिए, पटवार बनाने के लिए और तालाब खोदने के लिए, उनके लिए जो धनराशि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

खर्च की गई है उसमें से २० हजार का गबन वहां के सरपंच ने किया है। उसकी शिकायतें होती हैं तो वह भूतपूर्व राजस्व मंत्री के पास पंचायत समिति के प्रधान के पास दौड़ता है। उसने झूठे बिल एक दफा बनवाये और झूठी सील लगवाई और उनको पेश किया और उस पर झूठे बिल बनाने का मुकद्दमा बना और पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी तो अन्डर हैंड पुलिस को यह इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये कि इसको हथकड़ियां न लगाई जायं, इसको बिना हथकड़ियां लगाये गिरफ्तार कर लिया जाय और उस मामले को दबाने की कोशिश की गई।

बनवाड़ा पंचायत के नॉमीनेशन पेपर दाखिल हुए तो दो आदमियों के नॉमीनेशन पेपर खुले आम फाड़ कर फेंक दिये और अपने आदमियों के रख लिये। जब कलेक्टर ने इसकी जांच की तो उस मामले को दबा दिया गया। उस सरपंच के खिलाफ यह भी आरोप है ऑडिट रिपोर्ट में कि २० हजार रुपये का, सार्वजनिक कामों में खर्च की जाने वाली रकम का दुरुपयोग किया है। वह मामला एक बार राज्य सरकार के पास आया, लेकिन टेलीफोन श्री नंदवाना के पास आया और कागज वहां वापिस भेज दिया गया।

इसी प्रकार पिपलु ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध गबन के आरोप साबित हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में उनका उल्लेख हुआ है। अदालत में उस पर मुकद्दमा चला तो उसको दंडित किया। कलेक्टर ने उसकी रिपोर्ट की कि इसने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गबन किया है इसलिए इसको बरख्वास्त किया जाय। यह कागज यहां आये और डेढ़ साल से पड़े हुए हैं। इस बीच में दो बार वापिस भेजे हैं। इस मामले को भी दबा रखा है और राजनैतिक कारणों से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है।

जिराणा के सरपंच के खिलाफ बी. डी. ओ. की रिपोर्ट है कि सार्वजनिक धन में से १५ हजार का इसने गबन किया है। इसका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में भी है कि १५ हज़ार का गबन किया है, राज्य की रकम का गबन किया है। उसको अदालत से सजा हुई। सरपंच की हैसियत से सजा हुई है। वह कागजात कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार के पास आये हैं लेकिन डेढ़ साल से पड़े हुए हैं और उन पर एक्शन नहीं लिया है।...

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बा हेड़ा) : वह सरपंच मौजूद है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरपंच मौजूद है, चारों मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : कौनसी पार्टी के हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : चारों कांग्रेस पार्टी के हैं और भूतपूर्व राजस्व मंत्री के मर्जीदान हैं, उनके एजेंट हैं। जिस तरह एजेंटों को इन्श्योरेन्स किया जाता है, इसी तरह भूतपूर्व राजस्व मंत्री की तरफ से वे राजनैतिक गड़बड़ी करते हैं और उनके हितों की उन्होंने इन्श्योरेन्स कर रखा है कि तुम कुछ भी करो, हम ऊपर संभाल लेंगे।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

डिग्गी के सरपंच के पद के चुनाव दस बारह वर्ष से नहीं हो पाये। पिछली बार कोशिश की गई और नॉमीनेशन पेपर दाखिल किये गये। जो विरोधियों के नॉमीनेशन पेपर थे उनको खारिज कर दिया गया और उनको निर्विरोध चुन लिया गया। वह दोनों हाथों से रिश्वत लेता है और जो शिकायतें होती हैं उनको कलेक्टरी में दबा दिया जाता है।

एक दूसरा केस है, आर० जे० टी० आर० ७५ जो टूरिस्ट कार है, इन महाशय ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए ली हुई है। ऐसी भी सूचना है कि वह टैक्सी बूंदी और कोटा से अफीम के स्मग्लिग में काम में ली जाती है। वह टैक्सी कभी टैक्सी स्टैन्ड पर खड़ी आपको नहीं मिलेगी। वह गाड़ी आपको भूतपूर्व रेवेन्यू मंत्रीजी के बंगले पर ही मालूम होगी। अगर आप इसकी जांच कराना चाहें तो जांच करा सकते हैं।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राजस्व मंत्री के प्रति इस प्रकार के चार्जेज लगा रहे हैं, यह अनुचित है क्योंकि वे यहां पर अपना उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं उनके खिलाफ चार्ज नहीं लगाता हूं। मैं तो सरपंच के खिलाफ चार्ज लगा रहा हूं। मैं तो यह कहता हूं कि उस गाड़ी का सदुपयोग नहीं होता है और स्मग्लिग के लिये उसका उपयोग होता है।........

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतया माननीय सदस्य को जनरल तौर पर ही बातें कहनी चाहिये, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप यहां नहीं हों।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं इस मामले को खत्म करता हूं। ऐसे बहुत से केसेज हैं जिनमें आपके लोगों ने बहुत सी जगह गबन किये हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ जो आपकी पार्टी के हैं कोई कसूर होता है तो उसको छुपाने और उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है और विरोधी पक्ष के सरपंच, या प्रधान कोई गलती नहीं भी करता है तो भी उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहोली के सरपंच को दबाया गया कि वे प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव में सहयोग दें। मगर उसने सहयोग देने से इनकार कर दिया तो आपने उसके खिलाफ कॉन्सपीरेसी की और २४) रुपये और कुछ आनों के मामले को लेकर आपने उस पर गबन का मामला बनाकर उसको गिरफ्तार किया और हवालात में बन्द रखा और हथकड़ियें पहिना कर उसका प्रदर्शन किया। जबकि उसने कोई गबन नहीं किया था केवल रसीद नहीं ली। जिसका उसने खर्च किया था। जब राज्य सरकार को सूचना दी तो उसने कोई कार्यवाही नहीं की और अब लॉ डिपार्टमेंट में गया है और देख रहे हैं कि कहां लूप होल मिल सकता है।

इसी तरह बनेड़ा के सरपंच की फाइल जगह-जगह मिनिस्टरों के बंगलों पर घूमती रही। उनको इसलिये सस्पेन्ड रखा कि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उनको पंचायत समिति के चुनाव कराने थे। बनेड़ा के सरपंच को भी गिरफ्तार किया और दो रुपये और कुछ आने की बात को लेकर और उनको मालपुरा और बनेना में घुमाया गया। यह क्यों किया गया? यह इस लिये किया गया कि उन्होंने लोकवाणी में यह निकलवाया था कि अधिकारी लोग लोकतन्त्र में प्रजातान्त्रिक संस्थाओं में अनुचित हस्त-क्षेप करके जनतन्त्र का गला घोटना चाहते हैं। और इससे ठीक तरह से काम नहीं होता है। कई बार छोटी-छोटी बात को लेकर उन पर मुकदमा चलाया जाता है और इसी तरह बासू पंचायत के सरपंच को भी कई महीनों तक सस्पेन्ड रखा और जब वह हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट से रिट में फैसला हुआ कि यह सत्ता का दुरुपयोग हुआ है इसका वैधकरण नहीं हो सकता। यह ऑर्डर दिया कि सरपंच को तुरन्त वापिस लिया जाय। वह सरपंच आज चार महिनों से हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर घूम रहा है। वह कलेक्टर के पास जाता है तो कलेक्टर कहता है कि तहसीलदार के पास जाओ और तहसीलदार कुछ नहीं करता....

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : वह सरपंच कॉन्टेम्प्ट ओफ कोर्ट की कार्यवाही क्यों नहीं करता है?

श्री राधाकृष्ण गोयल : राजस्थान सरकार की ओर से आदेश होते हैं। कलेक्टर पर और कलेक्टर तहसीलदार के पास उसको एन्डोर्स कर देते हैं। मगर उस सर-पंच को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। अभी तक उसको ४॥ महीने होगये हैं, यों ही हाई कोर्ट के हुक्म को लिये लिये फिरता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन संस्थाओं से जनता के हित में काम कराना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की कार्यवाहियों को बन्द करना होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir. मैं यह माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि सदन में कौन भैंस है जिसके लिये आपने यह कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? आप बतावें, यहां कौन भैंस है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने तो यह एक मुहावरा है उसको कहा है भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? इस सदन में कोई भैंस नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री महोदय ने यह विश्वास दिलाया है कि जो गलतियें हुई है वे आयन्दा ठीक करने की कोशिश करेंगे तो मैं आशा लेकर चलता हूं कि जहां तक होगा वे निष्पक्ष कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बाते पंचायतों के साथ होती है उसका असर जनता पर होता है। इससे जनता में कुछ रोष और घृणा की भावना इन संस्थाओं के प्रति पैदा होती है। वे यह समझते हैं कि जब लोकतन्त्र विकेंद्रीकरण हमारे सामने आया तो इसका परिणाम इस तरह के अभि-शाप के रूप में नजर आता है। इसको कैसे रोका जावे? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

सब से पहले राजनीति से इन सारी संस्थाओं को दूर रखा जावे। और दूसरी बात यह कि मंत्री महोदय और जो दूसरे नेता लोग हैं वे अपने आप में अपने स्वार्थों के लिये जो इन संस्थाओं में हस्तक्षेप करते हैं उस भावना को छोड़ें।

दूसरी बात यह कि यदि सम्भव हो सके तो पंचायत अधिनियम में जहां पंचों आदि के डिसएबिलिटी और रीमूवल का नियम है वहां पर एक नियम यह भी रख दें कि कोई भी सदस्य जो राजनीतिक पार्टी का होगा तो वह सरपंच नहीं हो सकेगा इसी तरह अगर वह राजनीतिक पार्टी का सदस्य होगा तो वह न्याय पंचायतों का चेयरमैन या प्रधान नहीं हो सकेगा। यदि इस प्रकार का प्रावधान रख दिया जाता है तो वे लोग निरविघ्नता से काम करेंगे और ईमानदारी से अपना काम कर सकेंगे। उन पर राजनैतिक दबाव कम आवेगा। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि जो न्याय करने वाली संस्थाएं हैं या एग्जिक्युटिव संस्थाएं हैं, अगर उनमें सरपंच और प्रधान आदि दलगत नीति से काम करेंगे तो जिस सिद्धान्त को लेकर ये संस्थाएं बनाई गई हैं उनका सदुपयोग नहीं होगा और जनतन्त्र सफल नहीं हो पाएगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह स्वतन्त्र पार्टी की नीति है कि अपनी पार्टी के सरपंच खड़े नहीं किये जावें ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि न्याय पंचायतों के चेयरमैन और सरपंच जो हों वे राजनीति से दूर रहें और कोई भी राजनैतिक पार्टी का सदस्य न रहें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मानसिंहजी कहते हैं कि यह हमारी पार्टी की नीति नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह आपने कहां सुना ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप कांग्रेस पार्टी के चक्कर में आ गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं सही कह रहा हूं। हमारी पार्टी की यही नीति है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था वह यह था कि यदि हम चाहते हैं कि लोकतन्त्रीय-विकेन्द्रीकरण की संस्थाएं सुचारु रूप से काम करें तो हमें यह करना होगा तभी वे सजग हो कर अपना काम कर सकेंगी। और जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगी। यदि ऐसा नहीं किया तो वे लोग निष्पक्षता से ……

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

काम नहीं कर सकेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि जनता में बगावत होगी और इसका परिणाम यह निकलेगा कि विकास के कार्यों में जहां हमें आगे बढ़ना चाहिये, हम पीछे रह जावेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि हम इस प्रकार का अपने नियमों में संशोधन कर दें तो अति उत्तम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और यह जो एजेन्सीज और इन्श्योरेन्सेज हैं जो इन संस्थाओं पर अनुचित दबाव डालते हैं उनके प्रति कदम उठाने चाहिये ताकि उन पर किसी भी मंत्री महोदय या और किसी दूसरे समान नेता लोग हैं जो ज्यादातर

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

पंचायतों और पंचायत समितियों में अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं इस प्रकार का हस्तक्षेप न करें और यदि करेंगे और आप उनके कुकर्मों को छुपाने या ढकने में सहयोग देंगे तो यह प्रजातन्त्र समाप्त हो जावेगा। इसलिये इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष - श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पंचायत समितियों और पंचायतों के सम्बन्ध में जो विचार विमर्श हुआ और जिन माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिये, उस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों, न्याय पंचायतों और पंचायत समितियों का निर्माण जैसा कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद में हमारे राजस्थान में हुआ है उससे हमारे प्रान्त में जो प्रगति हुई है वह वास्तव में सराहनीय चीज है। पंचायतों, न्याय पंचायतों और पंचायत समितियों के द्वारा आज राजस्थान के लोगों के अन्दर जिस प्रकार की प्रवृति आई है वह एक बहुत अच्छी और उदाहरणीय चीज है। पर इसके साथ ही साथ पंचायती राज में जो खामियां हैं, उनके सम्बन्म में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत समितियों को फ्री फंड दिलाया जाता है, ६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ और ६४-६५ में जो व्यवस्था की गई है इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार जो फ्री फंड पंचायत समितियों को दिया जाता है उस फ्री फंड का उपयोग पंचायत समितियां करना चाहती हैं पर फ्री फंड में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो कार्य, पंचायत समितियों के लिये लाभप्रद है, जिनसे पंचायत समितियों की आमदनी बढ़ती है, ४० प्रतिशत पंचायत समितियों की ओर से स्वयं का पैसा नहीं लगाया जाता तब तक पंचायत समितियां फ्री फंड को उपयोग में नहीं ला सकतीं। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं पंचायत समितियां फ्री फंड का उपयोग करना चाहती हैं उनके लिये अपने पास ४० प्रतिशत लगाने की जो शर्त लगा रखी है उसके बजाय यह कर दिया जाय कि पंचायत समितियों को जो आमदनी होती है या सरकार से ऋण के रूप में जो मिलता है उसका ४० प्रतिशत पंचायत समिति किसी कार्य में लगाये तो वह फ्री फंड का उपयोग कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय तो इससे पंचायत समितियों को लाभ हो सकता है।

एक माननीय सदस्य ने पंचायत समिति आसींद के विकास अधिकारी के सम्बन्ध में कहा कि पंचायत समिति ने बिल्डिंग और बी. डी. ओ. के क्वार्टर के लिये १८ हजार स्वीकृति से ज्यादा खर्च कर दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ७ हजार में बी. डी. ओ. का क्वार्टर और १८ हजार में पंचायत समिति भवन बनाने के लिये निर्धारित रकम थी। पंचायत समिति ने २१ प्रतिशत ज्यादा पर बनाने का टेन्डर दिया तो फिर विकास अधिकारी ने पूरी लगन के साथ काम किया और २५

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हजार के स्थान पर १४ हजार में सारा काम किया, स्वीकृत राशि में से १००० रुपया बचा लिया तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार ज्यादा भुगतान हुआ। किसी ने भूल से गलत आंकड़े माननीय सदस्य को दे दिये होंगे। उनको इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है इसलिये उन्होंने यह बात कही।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सरकार की रिपोर्ट फरवरी ६२ की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट और प्रकाशित हुई है उसमें १४ हजार अधिक का जो ऑब्जेक्शन था उसको ड्राप कर दिया है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि सरकारी रिपोर्ट गलत है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत ऑब्जेक्शन किया गया था, उसको ठीक कर दिया गया।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इस रिपोर्ट को किस प्रकार कलेक्टर साहब ने मांगी ? वह आज तक कलेक्टर को कापी नहीं दी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्थान सरकार के पास, कलेक्टर के पास दूसरी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी है, इसलिये नहीं देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इसी तरह कोऑपरेटिव के सम्बन्ध में कहा कि ८ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अनुदान दिया गया और वह और व्यक्ति ही उठा कर ले गये, काम में नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अनुदान दिये जाते हैं सहकारी समितियों के मंत्रियों को अनुदान की रकम दी जाती है और उसकी रसीद होती है।

जहां तक पंचायतों, न्याय पंचायतों और पंचायत समितियों की आर्थिक नीति का सवाल है जब तक राज्य सरकार की तरफ से इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक पंचायतों और न्याय पंचायतों का काम ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके लिये सुझाव दिया है, उन्होंने तो २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू का अंशदान देना चाहिये, पर मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान को विकसित करने के लिये लैंड रेवेन्यू का ७५ प्रतिशत पंचायतों को देना चाहिये ताकि वे अपने क्षेत्र को विकसित कर सकें। आज गांवों में पंचायतों की हालत इस प्रकार की है कि हमारे गांवों में जितने तालाब हैं, वे फूटे हुए पड़े हैं, राज्य सरकार की तरफ से पूरा पैसा नहीं मिलने के कारण वे तैयार नहीं हो पाये हैं। ७५ प्रतिशत अनुदान दिया जायगा तो टूटे हुए तालाबों को तैयार किया जा सकेगा और जो सड़कें अधूरी हैं, टूटी हुई हैं उनको ठीक कराया जा सकेगा। टूटी सड़कें, उनके पुलिये और फूटे तालाब आदि को पूरा करने के लिये ज्यादा से ज्यादा अनुदान पंचायतों को मिलने चाहिये। पंचायतों के लिये आमदनी का जरिया चरागाह गांवों में मौजूद हैं पर उनकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं होती है, इसका कारण यह है कि पटवारी वगैरह पंचायतों को इस

Page No. 101

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सम्बन्ध में सहयोग नहीं देते हैं, पटवारी चरागाह की जमीनों पर दूसरे लोगों का अनधिकृतरूप से कब्जा करवा देते हैं। और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर पंचायतों की आमदनी को बढ़ाना है तो चरागाहों के सम्बन्ध में रेवेन्यू विभाग का पंचायतों के साथ उचित सहयोग होना चाहिए।

श्री हरिराम चौहान : चरागाहों में मवेशी चरेंगे उनसे चराई लेंगे क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : चराई के सम्बन्ध में मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, और दूसरी बात है। चरागाह में वृक्ष हैं उनसे पंचायत को अच्छी आमदनी हो सकती है, पर इसमें गड़बड़ियां होती हैं। हमारे यहां एक पंचायत में खाखरे के वृक्षों को नीलाम किया जाता है, उससे नुकसान होता है। छोटी-छोटी टहनियों को काट कर आमदनी की जाती है पर रेवेन्यू विभाग द्वारा इसको गैर-कानूनी करार दिया और पैसा वसूल कर लिया गया।

ग्राम सेवक और ए. ई. ओ. के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने ग्राम सेवक हैं, ए. इ. ओज. हैं वे कृषि के काम में ठीक तरह से व्यवस्थितरूप में सफल नहीं हो सके हैं। उनमें कहीं न कहीं डिफेक्ट हैं। इस सम्बन्ध में विचार कर के जो भी डिफेक्ट हो उसे दूर करना चाहिये।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जिला परिषदों को इफेक्टिव नहीं बनाया जाता, जिला अधिकारी वगैरह जितने भी अधिकारी जिलास्तर पर हैं उनको जिला परिषद् के अधिकार में दे कर कार्य नहीं करें तब तक हमारे यहां शीघ्रता से प्रगति नहीं हो सकती।

इस तरह ग्राम गृह योजना बनाई जाती है, उसमें सरकार का योगदान काफी नहीं है। जिस प्रकार सरकार शहरों में लो इन्कम हाउसिंग ग्रुप, मिडल इन्कम हाउसिंग ग्रुप स्कीम के अन्दर लोगों को जो पैसे दिये जाते हैं, मकान बनाने की व्यवस्था है, वह हमारे यहाँ नहीं होने से मकान नहीं बन पाते हैं। इस योजना में गांवों को भी उचित पैसा मिलना चाहिये।

एक्स्टेंशन ऑफिसर्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोहरी व्यवस्था लगा रखी है। डिपार्टमेंट की अलग हुकूमत हैं, डेवेलपमेंट विभाग की अलग हुकुमत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पास जितने अफसर हैं उनके सम्बन्ध में जब तक जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार नहीं होंगे तब तक प्रगति नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अकाल के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि मांडल और आसींद इन दो तहसीलों में हमारे यहां अकाल है। उसमें व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा काम हो रहे हैं। उसके लिये जो स्टाफ मुकर्रर होना चाहिये वह नहीं होने से लोगों को समय पर पेमेंट नहीं मिलता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्टाफ का अपॉइन्टमेंट जल्दी से जल्दी हो ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आज सामुदायिक विकास और विविध डिमान्ड्स पर बहस हो रही है। इसका दूसरा नाम पंचायती राज हो सकता है। इसके बारे में अलग २ लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं, परन्तु जहाँ तक इस राजस्थान के १,७६,००,००० आदमियों का सम्बन्ध है, जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, जिनका सीधा संबंध इस योजना से है, हम पूर्णतया इस बात को मानते ही नहीं, बल्कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस योजना से हमारी चेतना में वृद्धि हुई है, राजनैतिक चेतना आई है। इस तरह की नीति की तरफ बढ़ने का एक रास्ता मिला है। परन्तु इस चीज के अन्दर जो मूल में खराबी आ रही है उसकी तरफ हम बहुत गहराई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ सोचने की जरूरत है कि क्या राजस्थान की सरकार ने २ अक्टूबर, १९५९ के पूज्य महात्मा गांधी के जन्म-दिन, इस राज्य में पंचायत राज्य की नींव हमारे राज्य में डाली थी, जिस वफादारी के साथ रखी थी, उस निष्ठा के साथ काम कर रही है या उनके इस काम करने के तरीके में कुछ रद्दोबदल आया है ? यह बात सोचने की है। उसका सब से बड़ा कारण यह है कि आज जितने भी माननीय सदस्यों ने आपके सामने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए उनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि राज्य सरकार जो कुछ इस राज्य में करना चाहती थी, आज वह नहीं हो पा रहा है। उसका एक मात्र कारण यह है कि इसके अन्दर राजनीति का प्रवेश हो गया है, इसके अन्दर भ्रष्टाचार फैल गया है और मैं आपकी जानकारी के लिए एक किताब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और हाउस की टेबल पर रखता हूं। इसके अन्दर पंचायत समिति भादरा की बैठक में जो विकास अधिकारी ने कहा है, वे-दो तीन लाइन्स आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार की समाप्ति के बिना लोकतन्त्र समाजवाद समाज की कल्पना मात्र है। इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराने का दुस्साहस किया गया है कि भ्रष्टाचार नीचे से न होकर ऊपर से हो रहा है। यह आपके बी० डी० ओ० साहब का भाषण है कि पंचायत राज की नीति में भ्रष्टाचार पंच या सरपंच नहीं कर रहे हैं बल्कि राज्य के अन्दर ऊपर बैठने वाले लोग इसको भ्रष्ट बना रहे हैं। यह बात उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कहा कि बी डी ओ भादरा के हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (भादरा) : मैं एक बात स्पष्ट करूं कि यह कोई मामूली अधिकारी नहीं है। ५ साल हो गए इसको भादरा के अन्दर। जब से आपने यह स्कीम हाथ में ली है तब से वहां पर विकास अधिकारी है और आज भी वहां काम कर रहे हैं। तो यह एक अनुभवी आदमी की रीडिंग है। किस तरह से सारी की सारी चीज को आज बदनाम करने के लिए हमारी सरकार तुली हुई है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि जो डाइरेक्टोरेट में बैठे हुए हैं या सेक्रेटेरियट में बैठे हुए हैं उनका दोष है परन्तु जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने सारे देश में श्रेय प्राप्त किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने इस योजना को लागू किया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पद्म श्री इस बात पर लिया है, उनको सोचना चाहिए कि क्या हो गया १९६० के और आज की इस पंचायती राज की नीति

Page No. 103

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

में कितना फर्क आ गया। यहां जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसके अन्दर तीन कौलम्स बताकर यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस पंचायती राज को बदनाम करने के लिए यह बजट हमारे सामने है। अभी आपने पहले भी बहस में सुना था उसमें यह बताया गया कि आज हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारे राज्य में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी कोई संस्था है तो वह पंचायत संस्था है या पंचायत समिति है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार को पैसा ज्यादा देना चाहिए. इरिगेशन के लिए पैसा ज्यादा देना चाहिए। बजट के २६६ पेज पर पंचायत समितियों को इस साल में दी जाने की जो रकम है उसके अन्दर तीसरा आइटम है वह एग्रीकल्चर का है। इसके अंदर १९६३-६४ में ६१,०२,००० रुपए दिया था उसके बजाय इस साल में उन्होंने ४२ लाख रुपए दिए हैं। तो इतनी बड़ी कमी एग्रीकल्चर के अन्दर की है। इसके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि जब से हमारी प्लानिंग कमीशन के अन्दर श्री अशोक मेहता वाइस चेयरमैन बने हैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट के बारे में एक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और रेडियो पर भी कहा है। उससे साफ जाहिर है कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से राज्य सरकारों को जब जब भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जितना पैसा दिया है उस पैसे का मिसयूज़ किया गया है। राज्य सरकारों ने ७० प्रतिशत पैसा भी एग्रीकल्चर में खर्च नहीं किया। दूसरे मद में खर्च करते रहे और हमारी राज्य सरकार इस मामले में बहुत माहिर है एक डिपार्टमेंट के खर्चे को दूसरे डिपार्टमेंट में करने के लिए।

एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन सबसे जरूरी चीज है। इसका आइटम नम्बर १३ है, जिसमें इरिगेशन के लिए पहले ३० लाख रुपए रखे गए थे, अब इस साल में १८,४०,००० रखे गए हैं जबकि इस हाउस में बार बार जब से बजट सेशन चल रहा है, इस बात की जोरदार सदस्यों ने मांग की है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बिना इरिगेशन के नहीं बढ़ाया जा सकता। इरिगेशन के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। क्या यह बजट इस बात का सबूत नहीं है कि आज हमारी सरकार यहां बैठने वाले सदस्यों की भावना की कद्र नहीं करती? शहरों के अन्दर लाखों करोड़ों रुपये दिये जाते हैं मकान बनाने के लिए, मगर गांवों के लिए नहीं देते। चौथा आइटम है आवास। पहले ६,६२,००० रुपए थे इसके लिए। अब सिर्फ ६५,००० दिए जा रहे हैं। ६ लाख रुपए गायब कर दिए। तो इन सारी बातों से यह महसूस करता हूं कि आज की राज्य सरकार की जो नीति है वह इस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की है। जो नॉन आफीशियल्स जो पंचायत समिति के प्रधान पंचायतों के अन्दर रहने वाले सदस्य हैं उनके ऊपर लांछन लगाना चाहती है जैसा कि इस सदन में जन संघ के माननीय नेता ने शिक्षा की डिमांड पर बोलते हुए कहा था कि शिक्षा का स्तर इसलिए कम हुआ है कि प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के हाथ में दे दिए गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का समय २० मिनट बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष: टाइम पहले ही काफी ले लिया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : केवल एक ही सदस्य १३ मिनट बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : २० मिनट ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक बात कहा कर समाप्त करता हूं ।

शिक्षा का, पी० डब्ल्यू० डी० का, सहकारिता का, तीनों विभागों का सीधा संबंध पंचायतों और पंचायत समितियों से है । जहां तक एडिमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहां तक सर्क्यूलर्स का सवाल है, आज्ञाओं का सवाल है, इन डिपार्टमेंट्स का सीधा सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है, राज्य के सहकारी विभाग से, राज्य के पी. डब्ल्यू. डिपार्टमेंट से है न कि पंचायत विभाग से है । एक थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूं । बनेड़ा पंचायत समिति के अन्दर जिसका मैं प्रधान हूं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इस सरकार पर लांछन लगाकर कहना चाहता हूं, कि हमारे यहां पर जितने भी घोटाले हुए हैं और हमने उसकी रिपोर्ट तुमको दी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । कई दफा हमारी पंचायत समिति ने निजी आमदनी में से एमर्जेन्सी होने के कारण ६ हजार रुपयों के रेडियो सेट मंगाने की बात कही थी । नियमों के आधार पर हमारे बी० डी० ओ० साहब ने ६ हजार रुपयों में रेडियो सेट खरीद कर ला रखे । आपको सुन कर ताज्जुब और दुख होगा कि वे रेडियो "मास्टर फोन हैं"; बाजार में जिनकी कीमत २००) प्रति सेट है । उन्होंने पंचायत समिति से ४६०)प्रति सेट वसूल किया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं उनके लाइसेन्स भी नहीं दिये गये । रेडियो देने के साथ साथ डीलर को लाइसेन्स देना भी जरूरी है । इसकी रिपोर्ट कर दी गई । लेकिन आज तक कोई कार्यवाही इस विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई । ऐसे लोगों को, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में लाकर रखा है जो पंचायत समितियों को और पंचायत राज को बदनाम करते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, रामगंज मंडी के सरपंच का केस है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) **:** रेडियो आपने खरीदे, फिर ४६०) रु० में कैसे आये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : रामगढ़ सरपंच ने तीन साल पहले जमीन बेची । जमीन कितनी ? १,५६ हजार वर्ग गज जमीन । कोलोनाइजेशन में वह जमीन आती है । पंचायत को उस जमीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं था । उसने ८३,००० में १, ५६ हजार वर्ग गज जमीन बेच दी । इसकी शिकायत राजस्व विभाग में की गई, पंचायत विभाग में भी की गई और उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी जमीन सरपंच ने, उप-सरपंच ने उनके लड़कों के नाम पर, सरकारी अहलकारों के नाम पर लाखों रुपयों की जमीन को सैंकड़ों रुपयों (८३,०००) में बेच दी । चूंकि ये कांग्रेस के सरपंच हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा । जो नये सदस्य आये हैं.

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जुगलालजी, उसी कॉन्स्टिट्युएन्सी के रहने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार पक्षपात करते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। बड़गांव पंचायत समिति, उदयपुर में थी। दो बी० डी० ग्रोज़ थे; एक जगन्नाथप्रसादजी और दूसरे गणपतलालजी सांखला। उन्होंने गड़बड़ियां कीं। ऑडिट रिपोर्ट में है। उसमें यह कहा है कि इन लोगों ने गड़बड़ियां कीं। सरकार किस प्रकार पक्षपात करती है, यह देखिये आप। सरकार ने गणपतलाल सांखला को सस्पेन्ड कर दिया और जगन्नाथप्रसाद को आज तक भी बी० डी० ओ० बना रखा है। कारनामे यह हैं नियमों के अनुसार पंचायत समिति की मीटिंग के लिए ६ दिन पहले नोटिस देना चाहिये। मैं कोटड़ी पंचायत समिति का मेम्बर हूं। मैं लेटर प्रस्तुत करता हूं। ११ तारीख की मीटिंग की गई इसी महीने की। पत्र रवाना किया जाता है १० तारीख को, उस मीटिंग में बुलाने के लिए। कानून के खिलाफ वे लोग काम करते हैं, इसलिए मेरे जैसा आदमी पंचायत समिति की बैठक में भाग न ले सके और उनके काम अच्छी तरह से चलते रहें। एक बार नहीं दसों बार इसके लिए लिखा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस पंचायत राज को बदनाम करते हैं। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि जहां तक पंचायती राज को सफल बनाने का सवाल है ईमानदार आदमी इस राज्य में और इस डिपार्टमेन्ट में भरती किये जाने चाहियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a Point of order, मैंने कल पूछा था....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम आयगा।

श्री रामसहाय (लालसोट) : ज्वाला प्रसादजी की ओर से सरकार की चिलम भरी जायगी, लेकिन बोलने का समय नहीं रहेगा। हमें दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : 'चिलम-भरने' का काम तो आपको सौंप दिया गया है। राज्य करने वाले चिलम नहीं भरा करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, इस बहस को मैं कई दिन से सुन रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय थोड़ा है, संक्षेप में ही कह दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे लिए तो थोड़ा ही होगा।

मैं माननीय सदस्यों को व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से अपील करना चाहता हूं और यह अर्ज करूंगा कि सरकार और सरकारी अफसर और वह सदन इन तीनों के बीच में इतनी बड़ी जो दूरी होती चली जा रही है, इतनी दूरी हो रही है कि एक की आवाज दूसरे पर नहीं पहुंचती है। मैं यह महसूस करता हूं कि वह आवाज नहीं पहुंचती है। इसका कन्डक्ट किस तरह का है उसको

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

देखना है। प्रजातन्त्र का यह नियम है कि जनता का सम्पर्क यहां के सदस्यों के जरिये सरकार से हो और उस सरकार से उस जनता का सम्पर्क हो, सर्विसेज से जनता का सम्पर्क हो, तब जनतन्त्र काम करता है। मैं अर्ज करूं कि इस विषय में जो उधर से बात कहा जाती है उसको हमको अपनी तरफ और सरकार की तरफ भी देखना है। हम कई दफा इधर उधर से चीज आती है, कुछ लोगों में यह बात हो सकती है कि बगैर जांच किये हम यहां बात कहते हैं। उन बातों को पकड़ लेते है। सरकार क्या कर रही है? कन्डक्ट खराब हुआ तो वहां पर पकड़ लेते है। मंत्री महोदय जब उत्तर देते हैं तो गलत बातों का तो उत्तर फौरन दे देते हैं लेकिन जितनी सही बातें कही जाती हैं उनका उत्तर नहीं देते हैं। मैं आपको पोइन्ट वाइज बतला दूंगा। आज तक बहस में जो चार्जेज सम्मानित सदस्यों ने सच्ची सच्ची उठायी हैं उनके लिए तो आपकी ओर से कह दिया जाता है कि टाइम नही है। जिस किसी ने भी उठाया सवाल, मेम्बर के पास कोई इजाद करने की तो मशीनरी नहीं है, जनता में जो आवाजें उठती है उसको यहां रखने का उसका कर्तव्य है। आप गलत बातों का तो उत्तर दे देंगे और सही बातों का जवाब चबा जाते हैं। मुझे एक मिसाल याद आती है। हमारी दूरी कितनी बढ़ गयी है। बाजार में एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है; "जय रामजी की", वह आदमी जवाब देता है, बेंगन लाया हूं। फिर पूछता है उससे, बाल बच्चे तो मजे में है। वह जवाब देता है भरता करके खाऊंगा। इस तरह की सरकार है।

इन शब्दों के साथ सरकार से अपील करूंगा कि सहीतौर से हमारी बात को सुन कर उसका सही उत्तर मिलना चाहिये। मैं नहीं मानता कि १८ मिनिस्टर्स हैं वे हर एक के लिए जिम्मेदार हैं। कोई हर एक के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई इन्जेक्शन ऐसा नहीं है कि हर एक को इन्जेक्शन लगे। जो जानकारी आपको मिलती है उसकी जांच करें और दोषी को सजा दें। मुझे अफसोस है कि जिस हद तक यहां बात आती हैं; पहला रीएक्शन जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव एक्शन, उसका यह होता है कि उसको आप डिफेण्ड करने की कोशिश करते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : किसी मंत्री से नाराज होने से तो आप नहीं कह रहे हैं? आप नाम बताइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नाम पूछने वाले ही चुपचाप बैठ जावेंगे, मैं यह बताता हूं............।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि सरकार की तरफ से, जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, जनता ने भेजा है, जनता को नजदीक से हम जानते हैं, हमारी ओर से सरकार बनायी हुई है, हमारी बात पर गौर करके हमें सही

(१२-२८ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पगासीन)

जवाब नहीं देती। जिम्मेदारी आपके हाथों पर रखी है। दो कारण होते हैं। एक कारण तो यह होता है कि कहीं आपने

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गपड़शपड़ तो नहीं कर रखी है। जनता में एक प्रकार से आप भ्रम पैदा करते हैं। आप कहेंगे कि जांच करेंगे, सजा देंगे; इससे अधिक कुछ नहीं।

(विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

आप इस पर ताली बजाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिये इस बात के लिये।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : आप कह रहे हैं इसलिए आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी वजह से गवर्नमेंट नहीं चल रही है। आपकी शक्ल देखिये। इनकी हुकूमत चलती नहीं तो बस यह हो गया। रक्षा कर रहे हैं उसके लिए आपको हमें धन्यवाद देना चाहिये।

एक प्रकार से तो इस सिलसिले में सरकार को धन्यवाद देना चाहिये। कॉम्प-लेक्स हो गये हैं; एम. ए. हैं, टाई लगाते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : गला लंगोट कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप सुनिये तो सही। आप उसको कंठ लंगोट कहते होंगे।

महोदय, मैं इस पोइन्ट को आगे डेवलप कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं यह कॉम्पलोसिटीज निकाल देनी चाहिए। तभी जाकर जनता की सबसे बड़ी सेवा होगी, जनता के अन्दर जनतन्त्रीय प्रणाली में विश्वास पैदा होगा। आज इसी आधार पर आप लोगों के सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, चुना हुआ जो होता है वह सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। इसकी नियत साफ है, जनता की सेवा करने का जिम्मा लिया है। ऐसे आदमियों की १० गलतियां माफ कर देनी चाहिये।

एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर पहले समय में एक आदमी चुना हुआ होता था और आठ आदमी जो बड़े सेठ साहूकार होते थे वे पढ़े लिखे नहीं होते थे। उस समय केवल पढ़े लिखे आदमी को चेयरमैन बना दिया जाता था, वह जिस प्रकार कहता उसी प्रकार वे कर देते थे, वह किसी एक्ट की धारा, चाहे उसमें इतनी धाराएं नहीं भी हों कह देता कि यह १९९ धारा के अनुसार ठीक है तो ठीक। उसी तरह से कह देता। इस किताब के पेज ३१८ पर यह लिखा है, उसमें इतने पेज ही न हों, लेकिन वह कह देता कि यदि इस पर वोट नहीं करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। आज यहां भी वही नीति चला आ रही है। आज आई० ए० एस. अधिकारी इसी प्रकार की किताबों का उद्धरण दे देते हैं और हमारे मंत्री महोदय ठीक मान लेते हैं। आप उनको पूछिए तो सही। क्या यही आपका न्याय हैं ? आप इन घोड़ों को दाबिये जो आप पर सवारी कर रहे हैं। आप इन पर सवारी करना सीखिये। आपकी टांगों में बल नहीं तो आप हमसे लीजिये, नहीं तो घुड़सवार को निकाल फेंक देंगे। मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी इसी प्रकार के हैं, कुछ लोगों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ईमानदार हैं,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेकिन ऐसे लोगों की गले चक्की लगाकर आप चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। हमारा विकास रुकेगा और हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ रह जायगा। अगर हम प्रांत को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे अधिकारियों से भिड़ना होगा। मिसाल के तौर पर मैं दो चीजें एक साथ लेकर चलूंगा। मैं आपके सामने दो पोइन्टेड क्वेश्चन्स रखना चाहूंगा जिसका जवाब दिया जायगा वह जवाब गूंगों की तरह का न होगा।

मैं आपका ध्यान एक सर्विस कमीशन की तरफ ले जाना चाहूंगा। किस प्रकार सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली चलती है? सर्विस कमीशन की नियुक्ति इस लिए की जाती है कि सिलेक्शन में धांधली बाजी न हो। इस सर्विस कमीशन का नाम रखा गया है पंचायत सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यह इसका नाम रखा गया है। इसमें केवल पंचायतें, पंचायत समितियां ही आती हैं, म्युनिसिपल कमेटीज जो स्वायत्त सेवी संस्था हैं वे इसमें नहीं हैं। फाइनेन्स कॉर्पोरेशन, पॉवर कॉर्पोरेशन इससे इनकी हो जाती है सेवा। ये स्वायत्त सेवी संस्थायें, म्युनिसिपल कमेटियां इनके काबू में नहीं हैं। उनके गर्दन पर तो तलवार लटकती रहेगी। हमने इनके लिए आपसे जिस प्रकार से कहा, कानून पास किये वह केवल इसलिये कि इनका काम अच्छी तरह चल सके।

एक अफसर के लिए जिसके बारे में पहले भी सुराणाजी ने प्रश्न उठाया था, उन्होंने इस स्वयं सेवी संस्था में काम करने वाले अधिकारी के लिए कहा था कि उनके कॉन्फीडेन्शियल रेकार्ड में इस प्रकार बढ़ा दिया गया। नाम मत पूछिये, सब जानते हैं आपको आश्चर्य होगा, एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है। उसको लेने के लिए उसमें क्वालिफिकेशन भी वे ही रखी जाती हैं जिसको वह रखता है। गर्दन सात इंच, गला आठ इंच, छाती ३६ इंच; इस प्रकार की क्वालिफिकेशन आपने कहीं देखी है? इनके लिए आर० ए० एस० में आने के लिये झगड़ा हुआ था। ये आर० ए० एस० में फेल हो गये थे। उसके लिए सेक्रेटरी ने लिख दिया था, यह कतई गलत आदमी है, इनके रेकार्ड में ये ये बातें हैं। तो उसके लिए सवाल उठा कि जब तक चीफ सेक्रेटरी इन रिमार्क्स को नहीं हटाते तो यह नहीं होगा। क्योंकि रिमार्क्स उनके खिलाफ था। आर० ए० एस० में लेने के लिए उन रिमार्क्स को एक्सपन्ज किया गया और उस एडवर्टाइजमेंट के अन्दर इन्टरव्यू के लिए एक ही आदमी आया और उनको इस विभाग में एक अधिकारी बना दिया। आगे मौका आयगा तब विस्तार से कहूंगा।

दूसरी तरफ श्रीमान् हमारे श्री भीखा भाई आएंगे। मैं उनके लिए बात बतलाऊंगा। हुकमसिंह नामक एक ग्राम सेवक जो टोंक पंचायत समिति में थे, बड़ी मुसीबत में थे, वे चाहते थे कि उनका ट्रान्सफर सवाई माधोपुर हो जाय। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से उनका ट्रान्सफर हो जाय और वे सवाई माधोपुर पहुंच जायं। उनसे कहा गया कि २००) रुपया नकद निकालो। उन्होंने बेचारों ने अपनी ट्रांसफर कराने के लिए २००) रुपया भी निकाल कर दिये। इसके बाद उनके सब ट्रांसफर के कागजात बने,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उस पर सचिव के दस्तखत तक हो गए। उनके दस्तखत होने के बाद क्या होता है, एक आदमी सिरोही में जो ग्राम सेवक होता है, वह आता है। वह भी सवाई माधोपुर जाना चाहता है। उसको कहा जाता है कि सवाई माधोपुर जाने के लिए ऑर्डर तो हो सकते हैं लेकिन उसके दाम अब बढ़ गये हैं, अगर ३००) रुपया दिया जाय तो हो सकता है। उसी वक्त उस कागज को फाड़ दिया जाता है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): यह आप किस प्रकार कहते हैं, वे कागज फाड़ दिये गये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे पास फेक्टस हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। ऑर्डर्स जो कम्पलीट हैं वे फाड़ दिये जाते हैं। उस पर सेक्रेटरी के दस्तखत हैं। किसी ने वह फटा हुआ आर्डर मेरे पास भेजा है। जिसको मैं चिपकाकर लाया हूं। उसको आप देख सकते हैं। यह कागज हैं जो कम्पलीट हैं। यह कागज हैं राजस्थान पंचायत सेवा चयन आयोग, जिसके नीचे दस्तखत हैं सेक्रेटरी के। उस वक्त के सेक्रेटरी थे जिनके दस्तखत हैं, मान्धातासिंह। यह कागज मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं, ऐसा कागज जिस पर सेक्रेटरी के दस्तखत हो जाते हैं, तो फाड़ दिये जाते हैं। ३००) रुपये देने वाले के लिए दूसरे ऑर्डर्स हो जाते हैं और वह उसको डिलीवर भी हो जाते हैं, जो गरीब ग्राम सेवक १००) रुपये और नहीं दे सका उसका ऑर्डर केन्सल हो जाता है।

श्री हरदत्तसिंह : On a point of clarification, यह बात इस तरह से कही जा रही है जिससे मालूम नहीं पड़ता। यह आरोप किस पर लगाया जा रहा है ? यह आरोप इस कमीशन के चेयरमैन पर है या कमीशन के सेक्रेटरी पर है; यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : This is no point of clarification.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बाद ट्रान्सफर हुआ है। रामेश्वर शर्मा उसका नाम है। यह चेयरमैन के पास जाकर कहता है कि इस मामले के अन्दर गड़बड़ हुई है, ऐसा अन्देशा लगता है, इस आर्डर को केन्सिल समझा जाय। आठ महीने बाद एक तरफ सरकार इस तरह करती है, दूसरी तरफ यह आयोग जो एक स्वतन्त्र बॉडी है, वहां पर अच्छे अच्छे सचिव रहते हैं, वहां का हाल यह है। आप यह नहीं कहते, इस कागज को टेबल पर रखने के लिए श्री भीखाभाई आप में जोश-खरोश है, तो कहिये ना इसको टेबल पर रखिये। आप मांग तो करें सभापति महोदय, उनको सांप कैसे सूंघ गया है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री): नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात पूरी करें, इससे पहले अव्वल तो यह जानना चाहूंगा कि उस आयोग का सेक्रेटरी है कौन मान्धातासिंह यह ? यह बताया जावे। दूसरा यह बताया जावे कि वह कागज फटा हुआ है, उसको आपने फिर चिपकाया है तो क्या वह रीडिबल है, पढ़ा जा सकता है; अगर हां, तो कृपया उसे

(श्री मथुरादास माथुर)

सदन की मेज पर रक्खें ताकि जांच करने में सहूलियत हो। तो वह तो मांग आपकी पूरी हो सकती है। पर आप बात कहें तो पता भी चले कि दातासिंह, मान्धातासिंह, मानसिंह, है कौन ? अगर वह कोई सरकारी मुलाजिम है तो कहां पर है, कहां तैनात है, क्या है ? ताकि जांच कराने में सहूलियत हो। हम कोई मान्धातासिंह को मान नहीं देना चाहते, जो इस तरह की हरकतें करता हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपके इस भोलेपन पर, आपकी इस अदा पर, बस मर रहा हूं। मैंने स्पष्ट कहा है मन्त्री महोदय से कि यह जो है मेरे पास कागज, चिपका हुआ है, पढ़ा जा सकता है, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, यह आपको पता है; मान्धातासिंह थे।

श्री मथुरादास माथुर : वे कौन हैं, कहां हैं, कहां तैनात हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कौन थे, कहां थे, आज कहां हैं, क्या हैं; यह तो आप अपनी किताबों में देखें।

श्री मथुरादास माथुर : किस जगह तैनात हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भोले बनना चाहते हैं। आज वे इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। पहले वे आपके नौकर थे। पर अगर सर्विस में रहकर उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, सर्विस रूल्स के साथ इन्डल्जेन्स की है तो इन सबकी आप जांच करेंगे, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। अब यह जांच करना मेरे विषय के बाहर की बात है। आप खजांची बैंचों वाले हो।

अब मैं एक बड़े खतरे की घंटी बजाता हूं। यह अलार्म है। सर्विस रूल्स का ठीक तरह से पालन होता है या नहीं, यह आपको देखना होगा। हमारी प्रक्रिया में सिविल सर्विस परमानेन्ट सर्विस है। हमने उसको यह समझ कर बहुत अधिक प्रोटेक्शन दिया है कि वह हमारी पार्टीबाजी में कभी नहीं पड़ेगी और जो हुकूमत होगी उसकी नीति को कार्यान्वित करेगी। पर इन सबको यह सब कर्म करने का मौका आपकी छत्रछाया में मिलता है। आप इस अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। कई लोग तो कहते हैं, हो सकता है, उनका कहना गलत हो, मैं वैरीफाई नहीं करता, कि किसी किसी को धौंस दे देते हैं, आपने यह किया तो इलेक्शन लड़ लेंगे। इस तरह की बातें जनता में गलतफहमियां फैलाती हैं। कानून बनाना पड़ेगा आपको सर्विस के लिये। रूल्स और मेन्डेट होना चाहिये, कन्डक्ट होना चाहिये। उस पर आपकी निगाहें होनी चाहिये। प्रोटेक्शन दिया है हमने तो इसलिये थोड़े दिया है। इससे जनतन्त्र को खतरा है। रुपया हम लाखों, करोड़ों खर्च करें, हम पास करें यहां बजट, पर उसके बाद स्थिति यह है कि खर्च करने वाले यहां पर आकर मालिक बनने की कोशिश करें, इस प्रणाली को बन्द करें। यह आपकी इनएफीशियेन्सी की वजह से बढ़ रही है। मैं तारीफ करूंगा कि कई बार एफीशियेन्ट आदमी हमारे मिनिस्टरों में होते हैं। हमारे भूतपूर्व होम मिनिस्टर ने अपना

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

काम बढ़िया किया, तो जिधर ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी, उनको उधर भेज दिया। यह तो व्यवस्था कायम करने के लिये किया। उस व्यवस्था को तेज और धीमा भी करना पड़ता है। राजा साहब परिवहन में तेजी से चल रहे थे चालीस और पचास की स्पीड से, तो उसको तीस मील की स्पीड बनाने के लिये हरिभाऊजी को दे दिया उसे। और भी जो जनता के प्रतिनिधि नीचे से ऊंचे आये हैं। आज उनके हाथों में सारे जनतन्त्र की जनता की बागडोर है। जनता की कोशिशों को तेजी कौन दे जो उसमें से आया हो, यह जानकर आज भी भीखाभाई को उस विभाग की टोपी पहनाई गई इस उम्मीद से कि वे एक्शन लेंगे। तो मैं यह कहूंगा कि वे एक्शन लें।

मैं यहां कुछ कागज रखना चाहता हूं। उन पर पूरी जांच होगी, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो यह कागज है, कम्पलीट है, चिपका हुआ है। नीचे तक दस्तखत हैं। इन्कार नहीं कर सकते। २००) रु० गरीब का है, उसके रिश्तेदारों ने दिया है। यह न हो कि आपकी जांच में आप उसको ही निकाल दो। मुझे मालूम है, आपके तरीकों का। कहीं ऐसा न हो कि यह उसके ही सिर पर पड़ जावे। यह कोई जैन है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें आपकी बेईमानी बर्दाश्त हो जावेगी, पर सरकारी अफसर इस तरह से खावे यह हमें बर्दाश्त नहीं होगा।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : माननीय सदस्य मिनिस्टरों को खाये जाने की इजाजत देते हैं। वे ये शब्द वापिस लें, ये शब्द उचित नहीं है कहना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खा जाने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? खावो न कभी। खाया नहीं है क्या ?

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

अब एक बात और कहना चाहता हूं, वह माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। आज यह निश्चित बात है कि कोई भी जो सर्विस क्लास में है, एक्सेप्टेड कानून है इस बात का कि एक आदमी दो जगहों से तनख्वाहें नहीं ले सकता। हमें भी जो यहां मेम्बर हैं, इसी कानून से चलना पड़ता है। हमें यहां पर तनख्वाह मिलती है; तो हम भी दूसरी जगह से तनख्वाह नहीं ले सकते, सरकार के किसी खजाने से या किसी संस्था से। यह माना हुआ प्रिन्सिपल है, ऑडिट का और फाइनेन्स का रूल है। लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार जब अपने किसी सर्विस मेंन को बर्दाश्त नहीं करती तो क्या इस सदन के किसी मेम्बर को बर्दाश्त करती है जो एक तरफ पंचायत समिति का प्रधान है वह प्रधान की हैसियत से वहां से भी तनख्वाह लेता है और यहां से भी सदस्य की तनख्वाह लेता है। यहां का भी पैसा ले और पंचायत समिति का भी पैसा ले।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसा कौन करता है, नाम बताइये ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नहीं देते हैं प्रधान को पैसा, आपको मालूम नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपको बहम हो गया, बहम। न इधर वाला कोई लेता है, न उधर वाला कोई लेता है; कोरा बहम ही बहम हो गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं वह सच है। श्री भीखाभाई कहते हैं वह झूठ है; ऐसा लगता है। नाम बताने के लिये मुझे मजबूर न करें। मैं दुबारा सफाई करता हूं कि जितने हमारे में से प्रधान हैं वे खड़े हों तो मैं कह दूंगा कि कौन लेता है। जिसकी हिम्मत हो वह खड़ा हो जाय। नहीं तो वे स्वयं समझ लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नाम बताइये, नाम ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मजबूर करेंगे तो नाम निकल जावेगा मेरे मुंह से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नाम बता दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे स्वयं बोल दें। लगता है आप नाम मालूम करके हीं छोड़ेंगे, रहम नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं जरूर नाम बताऊंगा। पहले विधि मन्त्रीजी स्थिति स्पष्ट कर दें। वे उनके लिये क्या करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इतना निवेदन करता हूं कि अगर कानून के हिसाब से कोई सदन का माननीय सदस्य यहां से और प्रधान के पद से वेतन के रूप में पैसा लेता है तो दो जगहों से वह तनख्वाह गैर कानूनी उठाता है और कानून के हिसाब से जो मुनासिब होगा वह किया जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है, न मैं किसी के मोटिव पर जाता हूं। मैं कह सकता हूं कि श्री ढाबरिया लेते रहे हैं; तीन-चार महीने तक पहले।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदया••• ·· ····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, जो बात कही गई है और यह कही गई है कि एक आदमी दो जगहों से तनख्वाह लेता है और वह मैं लेता हूं, तो मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि कानून आप लोग बनाते हैं, कानून बनाने वाली मशीनरी आपके हाथ में है, यह हाउस उसको पास करता है। परन्तु कानून के अन्दर दिये हुए अधिकारों को हासिल करना, उससे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते और इस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने २० फरवरी, १९६२ को कानून में परिवर्तन किया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस हाउस का सदस्य है वह प्रधान के पद की तनख्वाह नहीं ले सकता। इसके बाद में अगर हाउस के किसी सदस्य ने लिया हो तो वह बिलकुल निन्दा के काबिल है और जिसने बाद में नहीं लिया और फिर भी उस पर आरोप लगाते हैं तो वे अपने शब्द वापिस लें और इस तरह का लांछन यहां लगाना बिलकुल निराधार है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं लफ्ज ही नहीं वापिस लूंगा बल्कि मैं सब तरह से सम्माननीय सदस्य के ऊपर कोई बात व्यक्तिगत नहीं कहता हूं। मैं उनको इतमीनान दिलाना चाहता हूं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि यह बात मैंने सिर्फ उनके लिये नहीं कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एन्थोनी ने कहा, पचासों केसेज़ अंग्रेजों के वक्त के हैं, जो लोग हैं, एक जगह से लेते हैं— इस सरकार की एक्सचेकर के ऊपर जहां एक्सेप्ट किया है वह दूसरे नाम से उस एक्सचेकर से नहीं लेते हैं। कोई भी सरकारी ऑफिसर आज अगर इजाजत से काम करता है ले उसका एक कानून बना हुआ है कि १० परसेन्ट या ५ परसेन्ट से ज्यादा नहीं ले सकता, रिटायर्ड आदमी के लिये कानून बना हुआ है······

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या इस अमेन्डमेन्ट के बाद भी इन्होंने पैसा लिया है, यह साबित कर दें आप ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको बड़ा दुःख हुआ है और श्री सांवलियाराम के लिये जो वातावरण बनाया और नाक कटने की बात आई तो बैठ गये·······

श्री नत्थीसिंह : नाक तो सरकार की कटी है······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अभी सबकी कटेगी।

श्रीमती सभानेत्री : Order ! Order please !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सभानेत्री जी, मेरा जो सदन के सदस्य होने के नाते अधिकार है, उसको लेते हुए कहना चाहता हूं कि जो कुछ अभी मेरे विरुद्ध आरोप लगाया गया है उसके बारे में मैंने स्पष्ट कहा कि वह बिलकुल गलत है और गलत साबित हुआ है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने एक कानून में रद्दोबदल किये हैं वह कानून नहीं है, वह गवर्नमेंट के डिपार्टमेन्ट का एक ऑर्डर है और उसमें यह गलत रद्दोबदल किया है जब कि एक पंचायत समिति का कोई भी एम०एल०ए० मेम्बर हो सकता है, एक्स-ओफिशियो, लेकिन पंचायत समिति का फुल फ्लेज्ड मेम्बर नहीं हो सकता है। इसलिये वह प्रधान नहीं हो सकता। फिर किस तरह से लांछन लगाते हैं? अगर कानून आपके लोग बनाते हैं, उनको इस बात का तजुर्बा नहीं है कि कानून किस तरह बनाया जाना चाहिये, उसकी भाषा किस तरह से लिखी जानी चाहिये, वह सही है या नहीं; फिर आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी नाक कटा कर उनको अपने हाथ से पैसा देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): कानून तो सदन बनाता है। इसलिये कानून में कोई नुक्स हो तो उसके लिये सभी जिम्मेदार हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो वहां पर उसको नहीं लिखा जाना चाहिये। जब गलत बात है तो उसको हम नहीं सुनेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कोई जोर से बोलने से ईमानदार नहीं होते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वे बिल्स इनके सब डिपार्टमेंट्स में गये हैं। लॉ डिपार्टमेंट में गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास गए हैं,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

डाइरेक्टर के पास गए हैं और डाइरेक्टर के ऊपर के ऑफिसर्स के पास गए हैं और लिखा है उसमें 'यस'। जब कानून था तो आपके सब लोगों को डिस्मिस कर दिया जाये और फिर एक्शन लीजिए उनके खिलाफ । यह सिर्फ मिनिस्टर साहब के खिलाफ मैंने लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी तरह पवित्र नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गंगा माई की जय !

सभानेत्री जी प्रश्न यह है······

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त होने आया है, कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभानेत्रीजी, On a point of order, मेरी गुजारिश यह है कि जब तकरीर चल रही थी तो सम्माननीय सदस्य ने अपनी बात कही। उसके बाद में मैं बीच में बैठा हूं। इसलिये मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि सम्माननीय सदस्य को इतना नाराज होने की बात नहीं थी, जो फंडामेंटल सवाल है ...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य समय बहुत हो चुका है, आप स्थान ग्रहण करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे आप दो मिनट और दीजिये। आप मुझे एब्रप्टली बैठा दें, ऐसा कैसे होगा ?

श्रीमती सभानेत्री : डिस्कशन काफी हो चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी पार्टी का समय है।

श्रीमती सभानेत्री : नहीं, वह हो चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इस तरह से नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभानेत्री जी कि मुझे सफाई देने के लिए मौका तो दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : आपको दो मिनट दिये जाते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां पर प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। प्रश्न तो इस बात का है कि इसमें हम अपने ऊपर सही तौर से अपना नियंत्रण रख सकें, इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं, चाहे ढाबरिया साहब हों, चाहे हमारे महाराज साहब हों, लेकिन हम कानून की इज्जत नहीं करेंगे, हम कानून के सामने हमारा मोटिव नहीं रखेंगे तो बड़ा गलत होगा। मैं समझ सकता हूं कि इग्नोरेन्स की वजह से कुछ हो गया हो, लेकिन मैं यह नहीं समझ सकता कि उसके ऊपर उसको डिफेन्ड किया जाये। मैं यह दावा करता हूं कि जब इनको मिल गया उस समय तुम्हारा डिपार्टमेंट सोता रहता है, वह डिलीवर कर देता है। यह जोर और खरोश से मैं कहूंगा कि सबको सजा होनी चाहिए, हम सबको होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। उन सबके लिए एक जांच बैठाई जाय और उसमें जो जिम्मेदार हों इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

(१२.५९ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस एक्सचेकर से दो जगह से तनख्वाह नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा सकती····

श्री उपाध्यक्ष: Order!Order please!!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत बात नहीं कही है। इसमें आम इन्वोल्व्ड हैं। हमारी सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो जनता के लोग हैं हमारे ऊपर चार्ज लगाते हैं कि दो दो जगह से तनख्वाह लेते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है। श्री मानसिंह महार।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Point of order, Sir. अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक कमीशन बैठाएं और जांच करायें। मैं यह कहने को तैयार हूं कि आप या स्पीकर साहब खुद इस बात के लिये कमीशन बैठाएं और जांच कर कह दें कि यह गलत था तो मैं उसको एक मुश्त जमा कराने को तयार हूं। अगर वह सही है तो जिन महानुभाव ने इस प्रश्न को यहां उठाया और जिनके कहने से उठाया···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने किसी के कहने से नहीं उठाया। मेरे ऊपर आप इस तरह का आरोप क्यों लगाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य Order ! Order please !! जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसके विषय में यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की इन्क्वायरी कराने का सदन का कर्त्तव्य नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार का लांछन इधर या उधर से लगा है तो उसके लिए आप प्रिविलेज का मोशन कर सकते हैं। इसके अलावा सदन कोई और इन्क्वायरी कमेटी नहीं बैठा सकता।

Yes, Shri Mahar.

(१.०० म० प०)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज जो कि पंचायतों के बारे में·······

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है।

श्री मानसिंह महार : मैं कुछ नहीं कहूंगा। ब्रीफ मैं ही कहूंगा।

मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं सदन से और सदन के समस्त सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी, आमेर, के अन्दर एक बहुत बड़ा डाका पड़ा है—और उस डाके के लिए मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा करबद्ध कि उसकी जांच कराई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज्य हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी आमेर की कॉन्स्टीटुएन्सी में रामपुरा रूपा नामक पंचायत है, वहां के सरपंच श्री गिरधारीलाल ने रामपुरा रूपा के अन्दर, जो कि जयपुर के १० मील की रेडियस के अन्दर है, जो लोग

Page No. 116

(श्री मानसिंह महार)

सांगानेर हवाई अड्डे पर जाते हैं उन्होंने जो रेल का फाटक देखा है उस रेल के फाटक के पास में वह गांव है। वहां पर बहुत सी जमीनें थीं जिनको कुछ लोगों ने हड़पना चाहा तो जयपुर में उस वक्त जो श्री ए०के० दीवान कलेक्टर थे उन्होंने उन जमीनों को हड़पने के लिए रोका और रोकने के लिए यह कहा कि इन जमीनों को आबादी में कन्वर्ट नहीं किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन को अब आबादी के अन्दर कन्वर्ट करने के आॅर्डर दिये गये जब कि वर्तमान पंचायत मंत्री श्री भीखाभाई इस कुर्सी पर आकर बैठे। मैं इसको डाका यों बताता हूं कि वह जो रामपुरा रूपा की जमीन है उसमें जो जमीनें लगी हुई हैं उसके अन्दर एक प्लॉट श्री भीखाभाई ने अपने लड़के के नाम से लिया है एक प्लॉट अपनी लड़की के नाम से लिया है। यह भ्रष्टाचार का आरोप मैं इस सदन के अन्दर सीधा श्री भीखाभाई के ऊपर लगाता हूं। मैं कहता हूं कि यहीं पर श्री चौधरी कुम्भाराम ने अपने बेटे के नाम से जमीन ली है और कई बड़े आदमियों ने ली है। मैं इस सदन से, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं और श्री लड्ढा साहब से जो कि मुख्य सचेतक हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं तो जैसा कि उस वक्त में मेरे खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन लाये हैं अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं तो आप अब फिर प्रिविलेज मोशन लायेंगे। उन्होंने वहां पर जमीन ली है। उस जमीन को लेने में अपने पद का दुरुपयोग किया है। वे इस तरह से इस मामले में नहीं कह सकते हैं कि जमीन ली गई उस वक्त में वे पंचायत मिनिस्टर नहीं थे। आप पंचायत मिनिस्टर हैं और आपने किस किस तरह से उन आॅर्डर्स को निरस्त कराया है। इस बात की सदन में चर्चा की जाय और अपने विचार रखें। अगर आप झूठा रखेंगे तो प्रिविलेज मोशन अबकी बार आपके खिलाफ आयेगा। आप कठघरे में मुल्जिम की हैसियत से अपने बयान दीजिये। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने सदन के समस्त माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आज देश का वातावरण इतना भ्रष्ट हो रहा है उसको रोकना चाहिए और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस सदन की कमेटी बिठाई जाय जो माननीय एक मंत्रियों के आचरण की जांच करे। मैं फिर कहता हूं कि हमारे पंचायत मंत्री हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसको घोर चोरी, डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं?

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यहां पर मुझ पर इस प्रकार के आरोप लगाये हैं ……

एक माननीय सदस्य: आप सफाई कर रहे हैं या मांग के बारे में जवाब दे रहे हैं?

श्री भीखाभाई: साथ में ही उसके लिए भाषण हो जायगा।

……कि पंचायत मिनिस्टर की हैसियत से रामपुरा रूपा में मैंने कोई प्लॉट लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी

(श्री भीखाभाई)

भी इन्सान को जो हिन्दुस्तान का नागरिक है उसको प्लाट लेने का अधिकार है। आगे मैं मिनिस्टर हूं तो मुझे भी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या दूसरी जगह या किसी म्यूनिसिपलिटी में लेने का अधिकार हो सकता है। इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्लॉट का जिक्र है उसमें पंचायत मिनिस्टर की तरह से मेरे पिक्चर में आने का सवाल है तो मैं इस डील से वाकिफ नहीं हूं। जो डील हुआ है वह इस वक्त का नहीं है। पंचायत विभाग का चार्ज मुझे दिसम्बर में दिया गया है। इसके बाद की जो घटना होने की बात बताई जा रही है वह ठीक नहीं है, किसी मेरे लड़के ने प्लॉट लिया है तो मेरा लड़का बालिग है, उसके बच्चे हैं और वह मेरे से ६ महीने से अलग रहता है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता उसे अच्छी तरह से जानते हैं। सतीश चन्द्रजी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। वह अगर अपने लिए जमीन का छोटा सा हिस्सा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है ......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं फिर कहता हूं कि मंत्री महोदय हैं, उनके बेटे इस प्रकार से जमीन लेते हैं तो वह घोर अन्याय है। आपको शर्म आनी चाहिये कि इस तरह की बात कहते हैं कि गुनाह नहीं है। यह घोर अन्याय है जो कि इस तरह से ली गई है जमीन ...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री भीखाभाई : यदि मिनिस्टर की हैसियत से उसकी कीमत कम की गई हों तो यह बात देखने की है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था इस हाउस में कि उसकी सारी एन्क्वायरी में अपने लेवल पर करूंगा। "At my own level" ... उस टाइम पर जब कि विधान सभा के अन्दर बजट पेश हुआ था प्रारम्भ में जनरल डिबेट थी उस वक्त यह प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया था तो उठाने पर माननीय मुख्य मंत्री ने उनको आश्वासन देकर कहा था कि मैं अपने लेवल पर देखूंगा।

अब सवाल यह रहता है कि क्या वह आदमी जो है उसको लेने का अधिकार है कि नहीं ? आया, मैंने पंचायत मिनिस्टर की हैसियत से इरेग्युलेरिटीज या अनियमितताएं करके उसको दिलाया हो।

इसके बाद जो दूसरी बात कहनी है वह यह है कि क्या उसमें किसी प्रकार का प्रभाव या अनियमितता करने के लिए किसी को बाध्य किया है ? इस प्रकार की बात है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस वक्त यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वे सारी बातों को देखेंगे, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपका पूरा प्रोटेक्शन चाहूंगा, चेयर का प्रोटेक्शन चाहूंगा कि विरोधी दल के नेता और आप सारे हाउस को रिप्रेजेन्ट करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इनके द्वारा इस बात की जांच करा ली जाय। जो रेकॉर्ड है उसके अनुसार देखने के बाद में आप इस बात को लेंगे कि मैंने किसी प्रकार का लाभ अपने पद का उठाया हो तो मुझे गुनहगार ठहराया जाना चाहिए।

(राज्य पक्ष की ओर से हियर, हियर)

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी दूसरी बात पर आना चाहता हूं और वह यह आना है कि माननीय सदस्य को यह खुशी हो रही है कि कोई करप्ट प्रेक्टिस करके मैं जंगल का रहने वाला आदमी हूं उसको किसी तरह से डराया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य तो सार्वजनिक जीवन में अभी आये हैं। मैं ४२-४३ तक नौकरी करता रहा हूं और ४२ से लेकर आज तक माननीय विरोधी दल के नेता जानते हैं कि मैं बराबर सरकारी पदों पर रहा हूं और हर वक्त सार्वजनिक जीवन में काम करता रहा हूं। मैंने २२ वर्ष इस काम में खर्च किये हैं। अगर मैं चाहता तो इस प्रकार के मेरे पास चान्सेज थे कि कई प्रकार के फायदे उठा सकता था, लेकिन इस प्रकार की चीज नहीं है। मैं अपने परिवार के बारे में बहुत कह सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पारिवारिक स्थिति में जाना नहीं चाहता। माननीय सदस्य किसी समय फुर्सत में हों तो मैं बाद में देखूंगा।

अब मैं अपनी बात पर आना चाहता हूं, पंचायती राज्य की डिमाण्ड पर·······

श्री मानसिंह महार : आपने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसके बारे में मैं पूछ लूं कि केवल आपके लड़के के लिए कहा है, लड़की के लिए नहीं कहा।

श्री भीखाभाई : मैं यह नहीं कहता यह आपकी जानकारी में चीज नहीं है और आज वह जानकारी में है। आप किसी दिन·······

श्री मानसिंह महार : मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के सामने·······

(कोलाहल, अश्रव्य)

श्री भीखाभाई : अलग लेते हैं तो उसके बारे में स्थिति आ सकती है।

(श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के कारण कोलाहल)

श्री मानसिंह महार : On a point of Order, Sir·········

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा········

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of Order.

श्री मानसिंह महार : On a point of Order, Sir. मैं फिर यह पूछना चाहता हूं कि आपके जरिये कि अपने वह लड़के का तो क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन उन्होंने एक प्लॉट अपनी लड़की के लिए है उसके लिए नहीं किया है।

राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : लड़की शादीशुदा है। उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो हमारे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसके बारे में उन्होंने कोई नया प्रश्न नहीं उठाया है·······

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल नया है।

श्री मथुरादास माथुर : इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही कह दिया है और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मंत्री, कोई उप-मंत्री, कोई माननीय सदस्य इस सदन का या उनको कोई रिश्तेदार कोई जयपुर शहर में या जयपुर शहर के अड़ोस-पड़ौस में जमीन रहने के लिए लेना चाहे तो उसके अन्दर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उसने अपने ओहदे से कोई नाजायज फायदा उठाया हो, जमीन को सस्ते भावों में लिया हो, गैर कानूनी कार्यवाही की हो तो उसकी बराबर जांच होनी चाहिए और हम कभी भी अपने दामन पर दाग नहीं रखना चाहते। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद ने यह कह दिया था कि मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा कि पंचायत मिनिस्टर ने खुद ने अपना पद लेने के बाद में उस पर कोई ऐसी हरकत की है जिससे नाजायज फायदा अपने और अपने कुनबे के लिये हुआ है तो जांच करेंगे। जांच करने के बाद समय आयगा तब सदन के सामने उसकी रिपोर्ट रख दी जायगी। इसलिए इतनी बात कहना, इस तरह के जजबात निकालना कि हमारे इलाके पर डाका पड़ा है जैसे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को आमेर का इलाका जागीर में बख्शा गया हो जिसके कारण दूसरा कोई वहां पर प्लॉट नहीं ले सकता। हरेक आदमी को अधिकार है जमीन लेने का, जायदाद रखने का चाहे वह कांग्रेस के, चाहे और तरफ के हों, न जाने कितने ही प्लॉट कई माननीय सदस्यों के हैं। यदि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से लिया है, कानून के खिलाफ है, चीप रेट से है जिसकी वजह से कानून की अवहेलना हुई है तो उसकी जांच मुख्य मंत्रीजी खुद कर रहे हैं। उनकी जांच के बाद कुछ कहना चाहिये न कि जजबात इस तरह से निकालनी चाहिये।

इसलिये मैं कहूंगा कि हम ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठते हैं, इधर या उधर बैठते हैं उनका प्रोटेक्शन सदन के द्वारा होता है। चाहे लड़के के नाम से लिया हो, चाहे लड़की के नाम से लिया हो, किसी के चार लड़के लड़कियां हैं तो वह चारों के लिये चार जगह लेगा। हमारे पास गढ़ और रावले नहीं हैं जिनमें रहने के लिये हमें जगह मिले। हम तो १००-२०० फुट का टुकड़ा लेकर उस पर रहेंगे। इसलिये ये जो चार्जेज लगाते हैं उसके लिये मैं सदन का प्रोटेक्शन चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी करके अपना जवाब दे दें, विरोधी पक्ष के नेता चाहें तो फाइल देख लें, उसके बाद कोई ऐसी बात हो तो सजा देनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार : On a point of clarification मुख्य मंत्रीजी············

श्री उपाध्यक्ष : Order please! you will have to hear the Chair. योजना मंत्रीजी ने जो स्पष्टीकरण किया है, मुख्य मंत्री महोदय इस विषय में जांच करेंगे····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेता दोनों का कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्री जी जांच कर लें और विरोधी दल के नेता उस फाइल को देख लें और वे कह देंगे कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है तो हमें अख्तियार है।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय............

श्री उपाध्यक्ष : Let the Chair say. मुख्य मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि वे इस विषय में गहनतम इन्क्वायरी करेंगे और जो अभी योजना मंत्रीजी कह रहे थे, माननीय विरोधी दल के नेता हैं वे भी इसकी फाइल को देख सकेंगे...........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मुझे इसमें कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी हालत में मैं समझता हूं वाद-विवाद यहीं पर समाप्त हो और सरकारी पक्ष से जो इस विषय में उत्तर देने का है वह प्रारम्भ हो।

श्री मानसिंह महार : कोई आरोप नहीं है। मैं आप से निवेदन करूं कि इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज से ७ दिन पहले इस बारे में कहा था ....

श्री उपाध्यक्ष : वे इन्क्वायरी करेंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन करूं कि अब उस कागज को निकाला जा रहा है फाइल में से-यह मेरा दूसरा आरोप है। माननीय ए० पी० दीवान साहब का ऑर्डर था उसको डेस्ट्रोय करने की कार्यवाही की जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करूं कि यह तो फरमाया जाय कि फाइल को फौरन कब्जे में किया जाय नहीं तो डेस्ट्रोय कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी आशा नहीं की जाती है।

श्री मानसिंह महार : यहां सब कुछ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि इस प्रकार से आपको शंका है तो उसके लिये और भी प्रकार हैं कार्यवाही के। सदन को हर प्रकार का अधिकार है। सरकार को रखने, न रखने का भी सदन को अधिकार है। इसमें अधिक बहस की आवश्यकता क्या है? स्पष्टीकरण हो चुका है। उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ समय आपको ठहरना चाहिए जब तक कि मुख्य मंत्री जी का निर्णय न आ जाय।

श्री मानसिंह महार : आप उस फाइल को तो यहां मंगवा कर रखवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I close this discussion,

श्री मानिकचन्द सुराणा: One minute, Sir.....

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज्य के बारे में काफी चर्चा.......

श्री मानिकचन्द सुराणा : Justice should not only be done but it should seem that it is being done.

श्री उपाध्यक्ष : If the House as a whole considers that justice is not being done or it does not seem to have been done, the House is always at liberty to do whatever it likes in this connection and hence there will be no more discussion on this point and I shall allow no more discussion on this.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के सम्बन्ध में............

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): बहस का प्रश्न नहीं है। ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न है। दृढ़ रूप से व्यवस्था दी जा चुकी है उसमें आप कुछ न कुछ आड़ लगा देते हैं।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot allow this point of privilege at this moment because a notice has to be given according to rules.

श्री मानिकचंद सुराणा : For a point of privilege, no notice is required. मैं यदि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दूं तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह साधारण सी बात है इसको आप इतना गंभीर क्यों बना रहे हैं ?

श्री मानिकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में श्री बी० एन० मित्र पर आरोप आया, उस समय वहां के मुख्य मंत्री श्री बिज्जू पटनायक ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन को जांच का कार्य-भार संभलाया और उनसे कहा कि इसकी जांच करके फाइन्डिंग दें। इसी तरह से यहां सम्बन्धित मंत्री महोदय ने कहा है कि विरोधी दल के नेता भी इन्क्वायरी करते समय मुख्य मंत्रीजी के साथ रहें तो उनको आपत्ति नहीं है। योजना मंत्रीजी ने कहा है कि विरोधी दल के नेता भी फाइल देखें। विरोधी दल के नेता ने स्वयं ने कहा है कि उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह उनका बड़प्पन है। इस सदन को विरोधी दल के नेता में विश्वास है। कोई मसला उनको जांच के लिये दिया जायगा तो वे गलत फाइन्डिंग नहीं देंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो इन्क्वायरी कर रहे हैं उसमें वे अपने साथ विरोधी दल के नेता को भी सम्मिलित करें। इन दोनों का जो फाइन्डिंग आयेगा उससे सदन को ज्यादा संतोष हो सकेगा। लेकिन सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा ही इन्क्वायरी काफी नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेन्ट के पद पर जब श्री कनेडी चुने गये, जो स्वयं करोड़पति थे तब उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति को बैंक में डिपोजिट कर दिया ताकि कोई आदमी उन पर आरोप नहीं लगा सके कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसी तरह से मंत्री या उप मंत्री जमीन जो लेते हैं वह ढंग से ली गई या नहीं ली गई, इस बात का आरोप जब सदन में आता है तो सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच उस ढंग से की जाय जिससे कि सदन के माननीय सदस्यों को संतोष हो सके और लाखों लोग जो सदन की कार्यवाही को पढ़ते हैं उनको भी संतोष हो सके कि कार्यवाही ठीक ढंग से हुई है। इसलिये जो मंत्रीजी ने ऑफर दी है उसको स्वीकार किया जाय और लीडर ऑफ दी अपोजिशन को इन्क्वायरी में सम्मिलित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसका आदर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस विषय में मुख्य मंत्रीजी

(श्री उपाध्यक्ष)

ने जो आश्वासन दिया है और सरकार द्वारा जो कुछ भी जांच की कार्यवाही हो रही है उसके बारे में सदन ने जिस प्रकार की सलाह व्यक्त की है उसको ध्यान में रखते हुए यह इन्क्वायरी करने का प्रयत्न करें ...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of information, Sir, जो प्रश्न हुआ है उसके बजाय प्रश्न यह हुआ है कि तहसीलदार को बदल कर रेकॉर्ड को चेंज नहीं किया जाय, उसके लिए सम्माननीय कानून मंत्री से मैं अपील करूंगा कि वे यह भी आश्वासन दें कि तहसीलदार को इस तरह नहीं बदला जायगा और रेकॉर्ड जब्त किया जायगा ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : The Chief Minister is seized with this problem. He has already called for the papers and nothing will be done to damage the file of any individual.

श्री मानसिंह महार : But the papers have not been received by the Chief Minister so far.

श्री मथुरादास माथुर : How do you say ?

श्री मानसिंह महार : I say on authority. The papers will be destroyed; this is my fear.

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं........

श्री मथुरादास माथुर : I follow the question. The Chief Minister is out of headquarters and he shall be available after 23rd. Immediately the Chief Minister is available, I will convey the sense of the House to him and he will do his best as early as possible, but no commitment can be made.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों की चिन्ता, माननीय सदस्यों की भावना को मैं समझता हूं और मैंने इसलिए, जो उनकी मन्शा है उसको दोहराते हुए, सरकारी पक्ष से भी निवेदन किया है उस सबको ध्यान में रखते हुए सारी इन्क्वायरी करायें ।

श्री मानसिंह महार : कितने दिनों में रिपोर्ट आ जायगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्री आयें तब बात करूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं तो आपका डाइरेक्शन होना चाहिए। यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है । इसमें आपका डाइरेक्शन चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए और पार्टी के नेता को इस बात से अवगत कराया जाय कि उस इन्क्वायरी का रिजल्ट क्या रहा..........

श्री भीखाभाई : अभी यहां पर पंचायती राज्य के सम्बन्ध में.......

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहना यह है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो साधारण सा क्वेश्चन है उसको उलझाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : कितने समय में ?

श्री मथुरादास माथुर : As soon as the Chief Minister comes, I will convey it to him.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, अभी छः दिन हैं, पांच छः दिन में रेकॉर्ड बदल दिया जायगा, रेकॉर्ड खत्म कर दिया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : रेकार्ड हमारे पास रहेगा।

श्री मानसिंह महार : That order will be destroyed, I assure you.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर इतनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं रेकॉर्ड के बारे में तो सदन के अख्तियार में सब कुछ है, उस वक्त जब सदन में वह·········

श्री मानसिंह महार : डेस्ट्रोय करने के बाद क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : वह सदन में आये तो सदन इस नतीजे पर पहुंच जाय तो जुडिशियल इन्क्वायरी हो सकती है और दूसरे प्रकार की इन्क्वायरीज हो सकती हैं।

श्री मानसिंह महार : किसी पर्टीक्यूलर पेपर को जला दिया जाता है तो जुडिशियल इन्क्वायरी में क्या साबित कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : It is a hypothetical question.

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार हाइपोथेटिकली तो हम मान सकते हैं कि पूरे सैक्रेटेरियट को खत्म कर दिया जायगा।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई उसका जवाब दे दें, जो रिजोल्यूशन होता है, जो रुपया जमा होता है, उसका रेकॉर्ड बदला नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री भीखाभाई : पंचायती राज्य की मांग के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई, मुझे दुःख है कि हमारे माननीय सदस्य, जो कि आमेर से आते हैं ········

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त होने वाला है········

श्री भीखाभाई : वे हमेशा सोचते रहते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! सदन का समय समाप्त होने वाला है। मैं समझता हूं कि सदन की मन्शा होगी कि जब तक प्रस्तुत मांगें पास न कर दी जायं तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय जब तक दोनों मांगें स्वीकार नहीं की जाती, बढ़ाया जाता है।

श्री भीखाभाई : वे हमेशा सोचते रहते हैं कि मन्त्रियों पर व्यक्तिगतरूप से लांछन लगायें, यह उनकी संकुचित दृष्टि से सोचने की बात है। वे और हम साथ बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत सी बातों का उल्लेख होता है··

श्री मानसिंह महार : इस बात की सूचना मैंने अध्यक्ष महोदय को दे दी थी।

श्री भीखाभाई : जहां तक पंचायती राज्य का सवाल है, उस पर बहुत से कटौती के प्रस्ताव आये हैं और यहां पर यह कहा गया है कि पंचायती राज्य असफल हुआ है। यह भी कहा गया कि पंचायती राज्य का दुरुपयोग हुआ है। यह भी कहा गया कि पंचायती राज्य के सफल न होने की स्थिति हो गई है। इस प्रकार के कई कटौती प्रस्तावों के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज्य का निर्माण देश में हुआ वह पांच तरह की पंचायतों के रूप में हुआ, यह फाइव टायर सिस्टम है। पहला पंचायती राज्य लोक सभा के स्तर और राजस्थान में राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर पंचायत स्तर पर और फिर ग्राम स्तर पर। यह फाइव टायर सिस्टम प्रजातन्त्र की मूलभूत बुनियाद है। गांधी जी के स्वप्न के अनुसार हमने जो पंचायती राज्य की कल्पना की थी उसको हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों में और दूसरे देशों में जहां जहां गणतन्त्र बने हुए हैं, वे गणतन्त्र उन देशों की परम्परा के अनुसार कायम हुए हैं। उसी तरह हमारे देश में जो परम्परा चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में गणतन्त्र की थी उस तरह का गणतन्त्र हम स्थापित करना चाहते हैं। हमने इसलिये ही अपने संविधान के अन्दर पंचायतों के बारे में प्रोवीजन रखा है कि हम पंचायती राज्य बनायेंगे। हमारे प्रांत के अन्दर पहले भी पंचायतों का काम चल रहा था। तो उस सबको देखते हुए हमने पंचायती राज्य १६५६ में २ अक्टूबर को प्रारम्भ किया। उसका परिणाम क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, कुल मिलाकर ८० हजार से ज्यादा लोग, उसके अन्दर इनवॉल्वड हुए हैं, इतने वर्कर्स, वालेन्टियर वर्कर्स, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी वर्ग के हों, कोई भी भावना रखते हों– लगभग सात हजार पंचायतें हैं, एक में दस के हिसाब से पंच हो तो सात हजार पंचायतों के अन्दर ७० हजार के लगभग लोग काम में लगे हुए हैं। उसी प्रकार २३२ पंचायत समितियां हैं और २६ जिला परिषदें हैं, उनके अन्दर भी जो सदस्य हैं वे सदस्य कुछ न कुछ पंचायत के काम और विकास के काम के अन्दर काम कर रहे हैं, इतना इनवॉल्वमेंट ऑफ पीपुल हुआ है, जो ह्यूमन मेटिरियल था, जो एक प्रकार से डारमेंट रहता था, इसको एक दिशा में कैसे लगाया जा सकता है, हिन्दुस्तान में जो जन शक्ति है उसका सदुपयोग किस प्रकार से हो– इस दृष्टिकोण से, मैं समझता हूं, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना लागू की गई। निश्चित बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जगह जगह विकास खंड हैं उनके द्वारा एक एन्थ्यूजियाज्म, असीम उत्साह गांवों के अंदर भरा है। वहां के रहने वाले स्कूल मांगते हैं, औषधालय मांगते हैं– जितनी विकास की चीजें हैं वे मांगते हैं। वही क्या चाहते हैं, यहां के विधान सभा के सदस्य चाहते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर विकास खंड बढ़ें, वह चाहते हैं कि वे अपग्रेड हो जायं। वे यह चाहते अपने क्षेत्र के लिये कि वहां ट्राइबल ब्लॉक्स खोले जाने चाहिये। इस प्रकार की मांगें आई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा देश के अन्दर बहुत

(श्री भीखा भाई)
बड़ा उत्साह फैला है। उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों हमारे गरीब और अनपढ़ लोग हैं, ग्रामीण भाई हैं उनका हम एक फ्रंट कायम कर सके हैं और सहकारिता के साथ साथ हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के जरिये इसे आगे आगे बढ़ा सके हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो डोरमेन्ट रहा करते थे, जो सामान्य जीवन के लोग थे जो किसी काम को नहीं करते थे उनको एक तरह की एजुकेशन, पोलिटिकल एजुकेशन मिलने लगी और उसके कारण उनके अन्दर एक क्रियाशीलता, गतिशीलता आ रही है। जो माननीय सदस्य यहां विराजे हुए हैं और जिन्होंने यह कहा कि पंचायती राज्य का कार्यक्रम असफल हुआ है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या यह पसन्द करेंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के ये ब्लॉक्स विथड्रॉ कर लिये जायं ? हम कहें, आपके क्षेत्र के चलने वाले ब्लॉक्स को विथ्ड्रा करना चाहते हैं, उसके अन्दर चलने वाली छोटी मोटी प्रवृत्तियों को खत्म कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं आप उसे पसन्द नहीं करेंगे। मैं समझता हूं, यह सदन चाहता है कि जो विकास खंड है, उनकी जितनी उन्नति हो वह होनी चाहिये और उसके अन्दर चलने वाली प्रवृत्तियां हैं, सामुदायिक विकास का कार्य है उसके अन्दर लोगों की हर प्रकार अभिरुचि है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायती राज्य बनने के बाद जिस प्रकार विलेज प्रोडक्शन प्लान का सवाल था, मैं मानता हूं कि पंचायती राज्य के बारे में जो सादिक अली कमेटी बैठाई है, वह अपनी रिपोर्ट देगी और जिस प्रकार सदस्यों की मांग है कि उन्हें २५ प्रतिशत रेवेन्यू का भाग दिया जाना चाहिए, मैं मानता हूं कि उसमें वजन है और उसको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार किया जा सकता है। यह बात स्वाभाविक है कि जब तक इकोनॉमिक वाएबल यूनिट, सेल्फ सपोर्टिंग पंचायतों को नहीं बना सकें तब तक वे सफल नहीं हो सकती। यह भी मैं जानता हूं कि जिला परिषदों के अन्दर कम काम है और उनको सशक्त और मजबूत बनाना चाहिये, उनको गतिवान बनाने की जरुरत है। उसको बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है। इसके साथ ही विलेज प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में निवेदन करूंगा कि २० प्रतिशत गांवों के अन्दर विलेज प्रोडक्शन प्रोग्राम बना दिया है, और सेन्ट परसेन्ट का हर साल का एक टार्जेट बना रखा है। इस तरह विलेज प्रोडक्शन प्रोग्राम सारे राज्य में फैला देंगे। यह मुझे कहा गया कि ग्राम सभाओं की ताकत जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है, उसके बारे में तवज्जोह नहीं दी गई है। उसके बारे में राज्य सरकार सोच रही है। एक माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं, ने इस सम्बन्ध में बतलाया और ध्यान आकर्षित किया पुस्तक के जरिये, पुस्तक में जो चीजें लिखी हुई हैं– मैं मानता हूं कि इसमें कमियां है, इसको हम कूबूल करना चाहते हैं और माननीय सदस्य जो विराजे हुए है वे कबूल करेंगे कि जो लाभ वीकर सेक्शन को मिलना चाहिये वह नहीं मिला है और इसके लिये हमारे······

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं · ·

श्री उपाध्यक्ष : I shall not allow any interruption except on a point of order or point of information.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जरा धीरे बोलें। आप इतना तेज बोलते हैं कि कानों की रफ्तार इतनी नहीं है कि आप जो कहते हैं उनको समझ सकें। धीरे धीरे बोलें; यही मेरी प्रार्थना है

एक माननीय सदस्य : आपके हाथ में माइक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके भी हाथ में है और मेरे भी हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री को इस बात की चिन्ता है कि आप लोग जल्दी भोजन कर लें।

श्री भीखाभाई : जितना समय लगेगा वह ज्यादा न लग जावे इसलिए मैं थोड़े से में सारी बात कह देना चाहता हूं, ताकि आपको भोजन में देर न हो और व्यग्रता पैदा न हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि महिलाओं को सुविधाएं नहीं देने से किस प्रकार की स्थिति रही है, जिस प्रकार की सुविधा फलां महिला को मिलनी चाहिये नहीं मिलती है और वे पिछड़ी हुई होती हैं। उन्होंने जयपुर जिले की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में पढ़ी, मगर वे इसमें जो अच्छाइयें थीं उनको निकाल देना चाहते हैं। 'Working of the Panchayat Raj Institutions in Jaipur District issued by the University of Rajasthan. में लिखा है :

"Panchayat Raj has been instrumental in throwing up a new type of rural leadership of local origins belonging to the under-40 age group and drawn from wide occupational base".

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हवाई जहाज की तरह से चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): आपको समझने की क्या जरूरत है ?

श्री भीखाभाई : मैं इसको रिपीट कर देता हूं :—"Panchayat Raj has been instrumental in throwing up a new type of rural leadership of local origins belonging to the under-40 age group and drawn from wide occupational basis".

हमने यह किया है कि जो किसान लोग इसमें नहीं आ सकते थे वे भी सरपंच और पंच बन सकते हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह पंचायती राज्य की एक निधि हमारे राज्य में आई। पंचायत राज्य में, आपने कहा कि हमें यह कल्पना करनी चाहिये कि यह एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है और मैं कहूंगा कि यह कोई एक्सपेरिमेंट बेसिस पर नहीं है···

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसलिए शहर वाले दुबले होते जा रहे हैं और गांव के लोग मोटे।

Page No. 127

श्री मथुरादास माथुर : आप मोटे क्यों हो रहे हैं ?

श्री उमरावसिंह दावरिया : मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिये मोटा हो रहा हूं।

श्री भीखाभाई : इस पर बहुत महत्व पूर्ण बातें कही जा रही हैं। इस पंचायती राज्य का जो सूत्रपात हुआ वह एक केवल प्रसिद्धि के लिए अथवा और प्रसिद्धि के तौर पर नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत राज्य का सूत्रधार एक्सपेरीमेंट के बेसिस पर एक्सपेरीमेंट के रूप में नहीं, पर एज़ एन आर्टिकल ऑफ फैथ के रूप में हुआ। इसको सिद्धांत मानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी स्टेटों ने और विदेश के लोग भी इसका अध्ययन करने के लिये राजस्थान में आये और यह अध्ययन बराबर जारी है और जो भी कठिनाइयें और डिफिकल्टीज़ आवेंगी इसके बेटरमेन्ट के लिये उसको हम मीट करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया। मैं यह कहूंगा कि डा० रामसुभगसिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है उसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं कि एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जावे। इसके लिये राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चर में सहकारिता, एनिमल हस्बेन्ड्री आदि हैं उसकी व्यवस्था कर दी। इसके लिये कमेटीज़ का निर्माण किया गया। इस प्रकार से ये सारी की सारी बातें हम करते हैं और हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की उन्नति हो। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करते हैं। ४ लाख रुपया हमने समाज सेवाओं के लिये रखा था।

एक बात यहां पर यह उठाई गई कि पंचायतों को धन-राशि कम दी जाती है। पंचायत राज्य में, प्रस्तुत जो धन राशि दी जा रही है वह हर साल दो करोड़ ३८ हजार रुपया दिया जाता है। जो दो करोड़ ३८ हजार रुपयों की राशि देते हैं उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्लान के अन्तर्गत हम १० करोड़ १२ लाख ५३ हजार रुपया और देते है।

श्री रामकिशन (बैर) : आप क्या ६२ करोड़ रुपया खर्च करते है ?

श्री भीखाभाई : दस करोड़ १२ लाख रुपया हम देते है। इसके अलावा राजस्थान में फतहपुर नामक गांव जो कोटा में है वह एक आदर्श गांव है। वह सारे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर का गांव होगा। यह पंचायती गांव सारे हिन्दुस्तान में एक ही नम्बर का है। और इसका श्रेय राजस्थान को है और राजस्थान की जनता को। इस गांव की उन्नति का श्रेय वहां के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को है, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों। इसका मुझे गर्व है। जहां तक न्याय का प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है और केसेज़ के डिस्पोज़ल का प्रश्न है, यह कहा जा । है कि य. पार्टीबाजी के आधार पर होता है। मैं यह कहूंगा कि ऐसी बात कहना गलत है।

श्री रामकिशन : यह गलत बात सुनने को आपसे आशा नहीं थीं। यह तो माथुर साहब पर छोड़ देते।

श्री भीखाभाई : इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है और बहुत से माननीय

(श्री भीखाभाई)

सदस्यों ने इसका विरोध किया है। दोनों माननीय सदस्य इसी सदन के हैं इसलिये किनकी बात सही मानी जावे और किनकी बात सही नहीं मानी जावे, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दलगत राजनीति के बारे में........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कांग्रेस पार्टी को बात ....

श्री भीखाभाई : मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा गया कि ऑडिट नहीं होता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल ऑडिट पार्टी ऑडिट करने के लिये पंचायतों में जाती है। लोकल ऑडिट बराबर एग्जामिन करती है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक पंचायत का ऑडिट होता है। कलेक्टर को भी यह अधिकार है कि वह देखे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पंचायतों के बहुत से काम अधूरे हैं। इस पर भी सरकार विचार करती है। लेकिन प्रशासन के लिये यह बहुत आवश्यक होता है कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिये जो देहात में रहते हैं। इसके अलावा सरपंच और पंच होशियार होने चाहिये और उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। क्योंकि जो होशियार आदमी होता है कभी कभी उनको डरा कर उनसे काम करा लेते हैं। यह बात हमारी जानकारी में है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कोऑपरेशन अच्छे प्रशासन के लिये ऑफिसर्स और नौन ऑफिसर्स में होना जरूरी है।

(शोर-गुल)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज्य किस प्रकार से सफल हो, इसके लिये राजस्थान सरकार ने काफी ध्यान दिया है। हमारे पंचायती राज्य के लिये जैसा सुखाड़ियाजी ने कहा है, और मैं यह कहूंगा कि उनको हमेशा लगन लगी रहती है कि इस काम को आगे से आगे बढ़ाते जायें।

श्री रामकिशन (वेर) : सुखाड़ियाजी से क्या मतलब है?

(शोर-गुल)

श्री भीखाभाई : बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि पंचायत राज्य में कितनी ही कठिनाइयें आई हैं और हमने उनका निराकरण किया है और जो भी कठिनाइयें अभी है उनका किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है और किस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने इन्डिविजुअल प्रश्न उठाए, मेरे पास इस प्रकार की इन्फार्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है। ढाबरिया साहब ने एक बात कही है कि एग्रीकल्चर के आइटम में इरिगेशन के हैड में रुपया कम कर दिया गया है; क्यों कम हुआ है इसका जवाब देना चाहता हूं। एक्सेलेरेटेड असिस्टेन्ट्स गत वर्ष इरिगेशन के लिए मिली थी, वह नहीं मिली है इसलिए कम किया है।

इस प्रकार आपने जो प्रश्न उठाये थे उनके जवाब आपको भुगता रहा हूं फिर भी यहां सब माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको

(श्री भीखाभाई)

संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं यही निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो पंचायती राज चला है उसमें आप और हम सभी समान भागीदार हैं, चाहे वे इधर बैठे हों, चाहे इधर बैठे हों; इसमें कोई फरक नहीं। इस पंचायती राज को आगे बढ़ाने का, पंचायती राज की नींव को मजबूत करने का हमारा सबका काम है, इसलिए पंचायती राज की मांग को स्वीकार करने के लिए आप स्वीकृति देंगे, यह मैं आशा करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): पंचायती राज के लिए यह कहा कि लोकल लीडरशिप उभर रही है, यह बड़ी सराहनीय बात है पर कलेक्टिव गुन्डाइज़्म, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं इसकी जड़ों को ही खत्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर प्रभावशील कदम उठायें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): जो चार्जेज़ टोंक जिले के सम्बन्ध में लगाये थे, उनका जवाब नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१, विविध में मेरा पब्लिक रिलेशन विभाग भी एक अंग है। मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि उसके बारे में माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिये, बातें कहीं, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रगट करता हूं। जो कटमोशन्स रखे गये, उनके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य बोले, पर कट मोशन्स में कोई खास डिटेल्स नहीं होने से मैं जवाब नहीं दे सकता। पर यहां बातें रखी गईं, दो तीन बातें रखी गई हैं, सदन के समय को देखते हुए और उन सब बातों को देखते हुए मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा। हालांकि कोई खास स्पेसिफिक चार्ज तो नहीं था, पर एड्वरटाइज़मेंट्स के बारे में बात कही, पिछले सत्र में मैंने कहा था, एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रूल्स बनाये, सब-रूल्स बनाये, सदन के माननीय सदस्यों को उस कमेटी में लिया गया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल उसके मेम्बर हैं। एड्वर्टाइज़मेंट्स के रूल्स बने और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां एड्वर्टाइज़मेंट्स के रूल्स बन गये हैं और उन रूल्स के मातहत एड्वर्टाइज़मेंट्स दिये जाते हैं। कभी कभी इन अखबारों में, क्योंकि राजस्थान में कई तरह के अखबार निकलते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के भी निकलते हैं, मुखत्लिफ व्यक्तियों के भी निकलते हैं, उनमें मिनिस्टरों के फोटोज़ छपते हैं, एम. एल. एज. के कम छपते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि एम. एल. एज. के फोटोज़ भी छापें।......

श्री रामकिशन (वैर): यह कोई आपका जवाब है।

श्री मथुरादास माथुर: इसके अलावा और कोई क्रिटिसिज़्म सदन में नहीं हुआ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आपके ज्यादा छपते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपका ब्लॉक मंगाया है मैंने।

दूसरी बात यह कही गई, डाइरेक्टर हैं इस विभाग के, उनकी एन्क्वायरी के सम्बन्ध में जिक्र हुआ। मुझे खेद है कि काफी समय से इन्क्वायरी चल रही है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज कमिश्नर्स के तबादले हो गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपका राज्य खत्म नहीं होगा तब तक यह इन्क्वायरी खत्म नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके शासन में यह इन्क्वायरी कभी पूरी नहीं हो सकती। मुख्य मंत्री पर डाइरेक्टर का बड़ा भारी एहसान है।

श्री मथुरादास माथुर : और कुछ कह दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: वह भी कहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे साथी काफी जवान हैं और उत्साह से बोलते हैं; पर कुछ बातें जोश में कह जाते हैं, होश में नहीं कहते।

इस एन्क्वायरी में देरी हुई है और देरी के कारण हैं। मेरे चार्ज लेने के बाद ६ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज कमिश्नर्स हैं उनके तबादले हो गये, इस कारण देरी हुई। अब रेगुलर डे-टू-डे एन्क्वायरी के लिये ऑर्डर दे दिये गये हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है इस बात की कि किसी अफसर के खिलाफ इन्क्वायरी बहुत अर्से से पेंडिंग हो। इस अफसर से काम लिया जाय, उसका दिमाग उलझा हुआ है। इससे काम में दिक्कत होती है। डिपार्टमेंट वालों को बड़ी मुसीबत होती है। जो एन्क्वायरी कर रहा है क्वाज़ी जूडीशियल ऑफिसर है, उसको हिदायत की है कि डे-टू-डे इन्क्वायरी करें।

जो कुछ बातों का जिक्र किया था, बहुत पुरानी बातों का जिक्र किया गया। कभी कुछ नहीं होता है तो पुराने पूर्वजों की बातें की जाती हैं। नाथद्वारा एन्क्वायरी की बातें रखीं कि ब्लिट्ज़ ने नाथद्वारा इन्क्वायरी की बात छापी थी, इसलिये उसको एडवर्टाईजमेंट दिया गया। उस वक्त न यह सदन बना था, न माननीय सदस्य ही थे; इसलिये मैं क्या जवाब दूं; चीफ जस्टिस सरजू प्रसाद ने उसका पूरा पूरा जवाब दे दिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : होश में बात कर रहे हैं या गैर होशी में बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

(शोर-गुल)

Order ! Order please !!

श्री मथुरादास माथुर : नाथद्वारा इन्क्वायरी का जिक्र करना, ब्लिट्ज़ को एडवरटाईजमेंट देने का जिक्र करना, उचित नहीं। उस समय यह सदन नहीं बना था। मैं इस सदन का सदस्य नहीं था और शायद माननीय सदस्य भी नहीं थे। जो चीफ जस्टिस साहब का सरजूप्रसाद कमीशन बैठा, उस कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ लीजिये,

(श्री मथुरादास माथुर)

साफ कह दिया कि एड्वर्टाईज़मेंट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। न तो हमारे यहां का डाइरेक्टर बोम्बे गया, न कोई अफसर गया, बल्कि बोम्बे का एक ऑफीसर यहाँ आया था। तो जो बात एक बार बहुत पहले साफ हो चुकी है, उसका बार बार जिक्र करना ......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न है ......

श्री मथुरादास माथुर : I am occupying the floor of the House and I am only pointing out the report of the Sarjoo Prashad Commission.

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इसके बाद पूछ लेना।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये तीन बातें इस विभाग के बारे में कही, इनके अलावा और कोई चौथी बात नहीं है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप मेरे विभाग से खुश हैं। अगर आयन्दा कोई त्रुटि हो जाय तो वह आप मुझे बतायें, मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि माननीय माथुर साहब से होम डिपार्टमेंट इसलिए छुड़ाया गया कि वे नाथद्वारा इन्क्वायरी के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : This is irrelevant. I don't allow it.

श्री मथुरादास माथुर : मुझसे नहीं छुड़ाया गया, आपसे छुड़ाया गया।

श्री मानकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने कहा है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के ६ कमिश्नर बदल गए। मैं समझता हूं कि यदि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ के कमिश्नर बदलते हैं तो जी० ए० डी० जो चीफ मिनिस्टर साहब का डिपार्टमेन्ट है उनके क्या ऑर्डर्स हुए हैं। यह जोइंट रेस्पोन्सीबिलिटी का प्रश्न है और आपको निभाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि डे-टू-डे इन्क्वायरी होगी। क्या सदन जब १० अप्रेल तक चलेगा उसके बाद में निर्णय होगा ? क्या डे-टू-डे इन्क्वायरी करा कर आप इस सदन की समाप्ति से पहले उस इन्क्वायरी की फाइंडिंग्ज़ इस सदन को दे देंगे कि उसके रिज़ल्ट्स क्या रहे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह नहीं सकता। विटनेसेज़ कितने होंगे, कितना समय एग्ज़ामिनेशन में लगेगा, मैं यह नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूं कि डे-टु-डे इन्क्वायरी हो रही है। आपने कहा कि ट्रांस्फर्स हुए हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कम्स्टान्सेज होती हैं, हमको ट्रांसफर करने में मजा नहीं आता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जो रिकार्ड खत्म कर दिया जाता है...

श्री उपाध्यक्ष : No point of information now. I will put the question.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हर दूसरे साल रेकार्ड खत्म किया जाता है, जिससे वह पकड़ा नहीं जाय उसके लिये क्या रोक-थाम लगाई है ?

श्री मथुरादास माथुर : कोई रेकॉर्ड खत्म नहीं होता। रेकॉर्ड सब डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ के पास मौजूद है, पुरानी इनक्वायरी चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : दो साल से यह डिमांड डिस्कशन में आई हैं। १६६२ में आपने कहा था कि डे-टु-डे इन्क्वायरी कराऐंगे और १६६४ में भी आप यही कह रहें हैं।

श्री बरकतुल्ला खाँ (स्वायत्त शासन मंत्री) : I have to reply, Sir,

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने पहले सदन की कमेटी बनाने की बात कही थी वह अखबारों का केटेगराइजेशन अभी तक नहीं हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स को आप पढ़िए। श्री सतीशचन्द्र उसके मेम्बर हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो साल तक अखबारों का कैटेगराइजेशन नहीं कर पाए, यह कोई एफीशियेन्सी है सारी कमेटी की ?

श्री रामकिशन (बर) : एफीशीयेन्सी का सवाल है।

श्री मथुरादास माथुर : कैटेगाराइजेशन करने के लिए आप रूल्स पढ़िए। उन लोगों से पूछना पड़ता है अखबारों से इन्फोर्मेशन मंगानी पड़ती है ? रिमाइन्डर पर रिमाइन्डर देते हैं। कमेटी में नॉन ऑफिशियल्स भी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह रिपोर्ट डी. पी. आर. के खिलाफ कब आएगी ? आप ४ माह, ६ माह, १० साल लें........

श्री मथुरादास माथुर : गारन्टी नहीं दे सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : रिपोर्ट ओवरड्यू अवश्य है। सरकार को चाहिए कि वह इस बारे में जल्दी करें।

श्री मथुरादास माथुर : डे-टू-डे इन्क्वायरी करवाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मुझे विश्वास है कि जब तक आपका शासन होगा इन्क्वायरी नहीं हो सकती।

श्री मथुरादास माथुर : आपका शासन आने वाला नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : जो कट मोशन्स आए और जो तकलीफें जाहिर की गई, म्युनिसिपैलिटीज कि अनुदान देने के अन्दर कुछ गड़बड़ियां बताई गई उस बारे में....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका डिपार्टमेंट तो विविध में निकल गया, पता ही नहीं चला।

श्री बरकतुल्ला खां : कट मोशन्स आए हैं। झाला साहब बोले हैं, श्री ज्वालाप्रसाद बोले हैं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

कट मोशन्स आए कि ग्रान्ट-इन-एड्स जो दिए गए वे ठीक नहीं थीं। मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले मिनिस्टर को यह पॉवर्स थीं कि जिस म्युनिसिपैलिटी को चाहे जितनी ग्रांट-इन-एड दे। लास्ट ईयर मैंने यह फैसला किया कि मिनिस्टर को यह पॉवर नहीं होना चाहिए कि चाहे जिस म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट-इन-एड दे और दूसरी को नहीं दे; इसलिए यह तय कर लिया कि पर कैपिटा ग्रांट ८ आने हर म्युनिसिपैलिटी को दी जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह फैसला केवल आपने किया है या सरकार ने ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने रिकमेंड किया एज ए मिनिस्टर।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि ग्रान्ट-इन-एड देने के साथ कलेक्टर्स को आदेश दिए गए कि जिस म्यूनिसिपैलिटी ने हाउस टैक्स नहीं लिया है·······

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आ रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप पर कैपिटा एक रुपया देंगे तो मिठाई के पात्र हो जायेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : फैसला हमने यह किया कि ५० नए पैसे पर केपिटा दिया जायगा, लेकिन इसके अन्दर एक शर्त लगाई, वह लगाना बहुत जरूरी इसलिए थी कि वह म्युनिसिपैलिटीज़ जो हाउस टैक्स वसूल करना नहीं चाहती और हलात को बेहतर बनाना नहीं चाहती उनको नहीं दिया जायगा और यह भी हमने तय किया कि जो म्युनिसिपलिटी अब लगाने को तैयार हो और जिन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी हो उनको नुक्सान न पहुंचे इसलिए कलेक्टर का सर्टीफिकेट पेश करदें। हालांकि उन्होंने हाउस टैक्स नहीं लगाया हो, लेकिन लगाने के लिए प्रयत्नशील हों, अपनी तरफ से कोशिश कर ली हों, ऑफीसर्स एपोइंट कर लिए हों तो यह सर्टीफिकेट मिलने के बाद यह एड दी जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जहां म्युनिसिपैलिटीज़ ने तय किया हो कि जितने हाउस टैक्स लगाने से इन्कम होगी उतना खर्च होगा, इसलिए आवश्यक नहीं समझा तो·······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह तो एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से लेना है। यह कुटिल नीति है। एक तरह से म्युनिसिपैलिटीज़ को इन्ड्यूसमेंट है। हाउस टैक्स लगाएं, अगर नहीं लगाएं तो कुछ नहीं दिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह कोई व्यवस्था नहीं है, यह कूटनीति है। आपकी कूट और कुटिल नीति·······

श्री बरकतुल्ला खां : आप बुजुर्ग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि·······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of clarification।

श्री उपाध्यक्ष: पोइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन बाद में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप फिर समय नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम भाषण तो सुन लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय मंत्री महोदय यह बतलाएं कि हाउस टैक्स लगाना क्या मेन्डेटरी है या........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप पढ़िए उस सेक्शन को।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्री महोदय पर छोड़ दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा पोइंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कानून है कि जो कानून हम इस सदन के अन्दर पास करते हैं आप उसका डिस्क्रीशन इस तरह का अपने हाथ में लें ? जो मेंडेटरी कानून है, जिसको इस सदन ने पास किया है, आप उसके बारे में कैसे मेहरबानी कर सकते हैं ?

(शोर–गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस तरह से अगर आप भाषण देंगे तो व्यवस्था के प्रतिकूल होगा।

(२.०० म० प०)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहते हैं..

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(व्यवधान-शोरगुल)

I cannot tolerate this sort of things.

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्षजी जैसा मैं अर्ज कर रहा था और कहना चाहता था, मेरे बुजुर्ग लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इन्टर्वीन करके कहा कि यह कूटनीति है, कुटिल नीति है। मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह ग्रान्ट-इन-एड दी जा रही है और वापिस नहीं ली जा रही है। मैं आपकी यह गलतफहमी दूर करूं। हाउस टैक्स को कम्पलसरी एक्ट माना गया है। सदन ने पास किया...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मैं समझता हूं, यह सिविल ऑटोनोमी के बिलकुल विरुद्ध है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाउस ने उसको पास कर दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं उसका विरोध करूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहूंगा कि म्युनिसिपल एक्ट मे हाउस टैक्स लगाने का प्रोविजन है। साथ ही प्रोविज़ो मौजूद है कि कोई म्युनिसिपेलिटी हाउस टैक्स लगाना उचित न समझे और सरकार के पास यह बात रखे तो क्या सरकार उसको मान लेगी ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने कानून पढ़ा नहीं है। आप केवल लॉ मिनिस्टर हैं।:

श्री रामकिशन (वैर) : तीस वर्ष पहले इम्तिहान दिया था ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं अर्ज करना चाहता था और यह अर्ज करना चाहता था कि मुझे मौका दिया जाय कि मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद यदि कोई माननीय सदस्य क्लेरिफिकेशन चाहते हों तो वह भी कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब बोलने खड़ा होता हूं तो इन्टरप्शन होते हैं । जो बात कहना चाहता हूं उसका लिन्क टूट जाता है और उस चीज को कह नहीं पाता । जैसा कि एक दोस्त ने कहा था कि ट्रेजरी बैंच इस माने में माहिर हो गई है कि जो सही बात उठायी जाती है उसका तो जवाब नहीं दिया जाता है, उसको टाल दिया जाता है और गलत बात का फौरन जवाब दिया जाता है ।

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने का मौका दिया जाय । हमें जवाब देने का मौका तो मिले । जैसे हम आपकी बात तसल्ली से सुनते हैं आप भी हमारी बात को तसल्ली से सुनिये और सुनने के बाद ही यदि आपको क्लेरिफिकेशन कराना हो तो कराइये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप हमारी बात सुनने के लिये कितने बैठते हैं हाउस में । आप तो बाहर ऐशो आराम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये ।

श्री बरकतुल्लाखां : जब आवश्यक कार्य होता है तो बाहर जाते हैं, बाकी साथी बैठते ही हैं, आपकी बात को सुनते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आप (श्री मानसिंह महार) तो २४ घंटे बैठते होंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके अन्दर जो किया है वह यह किया है कि ग्रान्ट-इन-एड तय की जाती है उसमें मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं रखा गया है। मिनिस्टर के अख्तियार में नहीं है कि किसी को ज्यादा कर दे और किसी को कम कर दे । पचास नये पैसे पर केपिटा के हिसाब से रखा है । जिस चीज को इस एक्ट मे कम्पलसरी माना है उसको म्युनिसिपैलिटियां नहीं लगा रही हैं । दो ही रास्ते थे हमारे सामने— या तो वरडिक्ट देते या सुपरसीड करते, या जो हमारी मदद मिल रही थी वह नहीं देते । हमने पहला कदम उठाया कि जो मदद मिल रही थी उसमें रुकावट करें । दूसरा था वह यह था कि सरकार का म्युनिसिपैलिटीज पर रुपया चढ़ रहा है । यह बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज पर है । क्लास ४ और ५ की म्युनिसिपैलिटीज पर नहीं है । तो जिन म्युनिसिपैलिटीज ने बड़े बड़े कर्जे ले रखे हैं तो जब उनको ग्रान्ट दी जायगी तो उनकी ग्रान्ट ५० पर्सेन्ट काटी जायगी और बाकी की रकम काटने के बाद दी जायगी । मैं समझता हूं म्युनिसिपैलिटीज को अपना कर्जा देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिये । म्युनिसिपैलिटी को एक सोवरिन बॉडी की तरह कार्य अदा करने में खुशी होनी चाहिये, लेकिन मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने कट मोशन रखे है उसका शायद मतलब यह है कि हम १९६३ की ग्रान्ट के बारे में भी कुछ कहना चाहते थे । मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि १९६२-६३ में

(श्री बरकतुल्लाखां)

किन किन को ग्रान्ट दी गई और कितनी कितनी दी गई :

म्युनिसिपल कौन्सिल,	कोटा	७५ हजार	
,, ,,	जयपुर	५	,,
,, बोर्ड,	लाडनूं	१५	,,
,, कौन्सिल,	जोधपुर	३५	,,
,, ,,	बीकानेर	७०	,,
,, बोर्ड,	भरतपुर	७०	,,
,, कौन्सिल,	सीकर	७	,,

कुल मिला कर २,७७,०००

बाकी बचा १,८५००० । खरीद फरोख्त का है। जिन म्युनिसिपैलिटीज को नहीं मिला उनको दिलवा दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि . . .

श्री मथुरादास माथुर : आप पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : ६२-६३ की फीगर्स मैंने आपको दे दी जबरदस्ती, क्या इसलिए आप यह जानना चाहते हैं ? ६३-६४ के फीगर्स ही दे देता और खत्म कर देता तो शायद आप उनकी जानकारी न करते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कोटा की मंडी कमेटी का पैसा है जो आपने दिया है, अलग नहीं है।

श्री बरकतुल्लाखां : ४.६२ हजार था उसमें से दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गवर्नमेंट ने ५ लाख मंडी कमेटी के जरिये लिया है। आप अपनी तरफ से देते।

श्री बरकतुल्लाखां : इसके साथ साथ दूसरे कट मोशन्स आये हैं उनमें जिक्र किया गया है वह यह जिक्र किया गया है कि म्युनिसिपैलिटीज में अनड्यू इन्टरफियरेन्स किया गया है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक अनड्यू इन्टरफियरेन्स का ताल्लुक है पिछले साल सबसे ज्यादा कोशिश की थी वह यह की थी कि रूल्स बनाये जायं ताकि किसी की मनमानी न हो। मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान म्युनिसिपल अकाउन्ट्स रूल्स, १९६३ बनाये, राजस्थान म्युनिसिपल आक्ट्रोय रूल्स, १९६३ बनाये, राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस रूल्स १९६३ बनाये, राजस्थान म्युनिसिपल सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, १९६३ बनाये, राजस्थान म्युनिसिपल क्लास ४ सर्विस रूल्स, १९६३ बनाये, अभी गजट में पब्लिश नहीं हुए हैं। ग्रान्ट-इन-एड रूल्स १९६३ बनाये चेनल ऑफ कोर्सपोन्डेन्स रूल्स बना लिये हैं, पब्लिकेशन होना बाकी है। सेल ऑफ लेन्ड रूल्स बना कर पब्लिश हो गये हैं, ट्रान्सफर ऑफ चार्ज रूल्स बना कर पब्लिश हो गये हैं। सेल ऑफ लैंड एट माउन्ट आबू रूल्स पब्लिश हो गये हैं। राजस्थान म्युनिसिपल वेलफेयर रूल्स, १९६३ बन कर पब्लिश हो गये।

जहां तक इसका ताल्लुक था, इस डिपार्टमेन्ट में रूल्स नहीं थे हमने रूल्स बनाये। इसलिए बनाये कि रूल्स के आधार पर तय करें और कोई अपनी मनमानी न कर सके।

(श्री बरकतुल्ला खां)

दूसरा यह हो सकता है कि म्युनिसिपेलिटी में हस्तक्षेप किया जा सकता है मेम्बर को चार्जशीट करना और सस्पेन्ड करना। पिछले साल में दस से कम लोगों को चार्जशीट किया गया है या सस्पेन्ड किया गया है। इतनी सारी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं। राजस्थान में २४७ म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनमें से यदि दस मेम्बर को चार्जशीट किया जाय और सस्पेन्ड किया जाय तो कोई बहुत बड़ा नम्बर नहीं है। यह तो हो सकता है। म्युनिसिपेलिटीज़ एक कोर्पोरेटेड बोडीज़ है। जिस तरह वातावरण यहां सदन में सवालों के जरिये खड़ा किया जाता है, चाहे चेयरमैन को या किसी मेम्बर को सस्पेन्ड किया जाय, उसका मतलब यह होता है कि हम अनड्यू इन्टरफियरेन्स करना चाहते हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की मांग और पोइन्ट उठते हैं, उनका यदि टोटल लगाया जाय तो यह होता है कि म्युनिसिपेलिटीज के डे टु डे वर्किंग में इन्टरफियरेंस करना चाहते हैं। जब यह सवाल उठता है तो हम कहते हैं कि कार्यवाही हो रही है। आपका मतलब हुआ कि हम कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इन्स्पेक्टर हों, छोटी तनख्वाह के लोग हों, उनके बारे में शिकायतें आ सकती है। जो कम्प्लेन्ट आती हैं उनको कलेक्टर के पास भेजते हैं, इन्क्वायरी करने के लिए भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के आधार पर और जो एक्स्प्लेनेशन होता है उसके बेसिस पर कार्यवाही की जाती है। न इरादा था, न है और न कभी तैयार हो सकते हैं कि लोकल बोडीज की आजादी को खतरे में डालें। मैं मेम्बर साहबान से भी आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि इन बोडीज की इज्जत बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेसी के ३ बेसिस हैं उनको मजबूत करने में आप हाथ बटायें।

बहस के दौरान में एक यह भी सवाल आया था और वह सवाल आया था उदयपुर के बारे में। एक मेरे मित्र ने सवाल उठाया था कि वोटों को लेने के लिए हमने कुछ लोगों को बसा दिया, मैं इसको क्लीयर करना चाहता हूं। जहां तक मेरा और चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक था इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने किसी से वादा नहीं किया, किसी से वादा लिया नहीं। आपकी म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन हुए तीन महीने तक उदयपुर में पहुंचा नहीं था।

इसके साथ साथ जहां तक स्लम क्लीयरेन्स का सवाल है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्लम क्लीयरेन्स की रकम के लिए ५० पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से लोन मिलता है। २५ पर्सेन्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सबसिडी मिलती है। २५ पर्सेन्ट मेचिंग सबसिडी देती है राजस्थान सरकार। इसको मिला कर जो स्कीम बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनको मानना पड़ता है क्योंकि ७५ पर्सेन्ट रुपया किसी न किसी फार्म में वह देती है।

(श्री विजयसिंह झाला के खड़े होने पर)

I have not yet finished. Now my friend is on his legs. How can I continue?

जब यह तय हुआ जब इन कुछ बस्तियों के अन्दर ..

Page No. 138

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बाद में स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिना समय दिये ही समय ले रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कम से कम स्पष्टीकरण का तो समय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will give you a chance, but I will not allow any unduly protracted business.

श्री विजयसिंह झाला : रिप्लाई के बाद तो समय देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : रीजनेबल दे दूंगा।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके बारे में हम रूल्स के अनुसार गवर्न होते हैं। इसके बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के रूल्स बने हुए हैं क्योंकि ७५ प्रतिशत रुपया वे देते हैं। उनका पहला यह कहना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाय। यह तीन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलॉट किया गया, जिनके नाम ये हैं :

Malviya Housing Society.
Shefi Housing Society.
Nav Bharat Housing Society.

श्री विजयसिंह झाला : इन तीनों में पहले कौन सी बनी ?

श्री उपाध्यक्ष : Now you are forefeiting your right.

श्री बरकतुल्ला खां : उसके अन्दर यह तय हुआ है इन तीनों सोसाइटीज़ को दी जाय और उनमें उन लोगों को दी जाय जिनकी आमदनी १७५ रुपये की हो या इससे कम हो। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के गन्दी बस्तियों के लिये जो रूल्स बने हुए हैं उसमें उन्हीं लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाय और उन्हीं को अलॉट की जाय जिनकी १७५ या इससे कम होनी चाहिये। तीन सोसाइटीज़ को मकान बनाकर बांटे गये। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सोसाइटीज़ को बांटने के बाद जिस तरीके से यहां कहा गया कि इसमें चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कन्सर्न का हाथ था यह बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। इस अलॉटमेन्ट के लिये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, उदयपुर ने एक सब-कमेटी बिठायी थी। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें ट्रस्ट के सामने पेश की और फिर ट्रस्ट ने उसी के अनुसार अलॉट की।

श्री विजयसिंह झाला : I challenge it, Sir.

भाई भगवान जो सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के सदस्य थे उन्होंने कागज लिखा था।

श्री उपाध्यक्ष : Your challenge has beed recorded.

श्री बरकतुल्ला खां : हम जो कहते हैं झूठ हैं और आप जो कहते हैं वह सच है; इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये। हम कहते हैं वह झूठ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): विश्वास धीरे-धीरे झूठ बोल कर आपने खो दिया है।

श्री बरकतुल्ला खां : हमें यहां पर परम्पराय डालनी की है, हम जो कहते हैं वह झूठ है और माननीय सदस्य कहते हैं वह

(श्री बरकतुल्ला खां)

सच है; इस बारे में विरोधी दल के नेता ने कहा। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, हमें यदि बार-बार 'चोर' कहा जायगा तो हम भी आपको 'चोर-चोर' कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। राजनीतिज्ञों के लिये पहले कहा जाता था कि पोलिटिक्स में वही हिस्सा लें जिनकी थिक स्किन हो। हर मर्तबा हमें "चोर-चोर" कहा जायगा तो I am bound to feel that nature.

उपाध्यक्ष महोदय, अलॉट करने का जो फैसला था वह ४-६-६३ को इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा जो सब कमेटी बनाई थी उसने किया था।

श्री विजयसिंह झाला : यह बिल्कुल गलत है।

श्री जोधसिंह चौहान: (अश्रव्य व्यवधान शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो कुछ भी बातचीत होती है वह सत्य के हाइपोथीसिस पर होती है। हरेक मेम्बर अपनी जिम्मेवारी से सत्य कह रहा है। अगर इसमें संशय है तो दूसरा मेम्बर चेलेंज करता है। वह रेकॉर्ड हो जाता है। वह काफी है। वैसी हालत में अगर इसी तरह बाधायें डाली गई तो यहां तो उसके बारे में कोई निर्णय हासिल नहीं हो सकता सिवाय इसके कि सब मेम्बर्स का समय खराब किया जाय। आपने जो कुछ कहा प्रोसीडिंग्ज में आ गया और माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं वह भी आ गया और यह सब जनता के सामने जाता है इतना काफी है। सत्यासत्य का निर्णय इस बहस के अन्दर नहीं हो सकता।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे पास जो इनफोरमेशन है वह साफ है ४-६-६३ को उनको अलॉट किया गया। ११-६-६३ को इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को रिकमन्डेशन की थी कि इसको एक्जीक्यूट किया जाय। यह सब कुछ किया गया वह सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर किया गया। इसमें मुख्य मंत्री और मैं कहां आते हैं। मुझे इस बात से अफसोस होता है कि उसमें कुछ मुसलमानों को मकान मिल गये इसको आपको कम्युनल कलर नहीं देना चाहिये। हिन्दुस्तान में सब लोग रहते हैं यहां ईसाई भी है, पारसी भी है, मुसलमान भी हैं। इस तरीके से बात कहना कि मैं मुसलमान हूं और मिनिस्टरी में हूं इसलिये उनको दिया गया............।

श्री विजयसिंह झाला : हनुमानजी के मन्दिर मे कितनी बार गये हैं ..

श्री बरकतुल्ला खां : बल्कि मैं तो यह कहूंगा जहां तक इस अलॉटमेन्ट का सवाल है उस वक्त तय हुआ था कि यह को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जायगा। कुछ लोग जो पोस्ट ऑफिस के बराबर मकान बनाने जा रहे थे उनको कहा गया कि को-ऑपरेटिव में आ जाय लेकिन वे नहीं आये उनकी शिकायत रही है। जब मकान बन गये तो जो डिसप्लेस्ड परसन्स वहां रह रहे थे उनको हटना पड़ा जैसा कि भारत सरकार के नियम हैं कि गन्दी बस्तियों में उन्हीं लोगों को बसाया जायगा जो पहले से वहां रह रहे हैं दूसरे

(श्री बरकतुल्ला खां)

आदमियों को नहीं बसाया जायगा। जबर्दस्ती आखिरकार डिसप्लेस्ड परसन्स से खाली करवाया गया, इसके अलावा दूसरा साधन नहीं था। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के इन्स्ट्रक्शन्स थे और उन्हीं के आदेश के अनुसार यह स्लम क्लीअरेन्स स्कीम को ली थी।

अजमेर के वाटर वर्क्स के लिये क्वश्चन उठा। अजमेर वाटर वर्क्स की जो स्कीम है वह 'नो प्रोफिट नो लोस' के बेसिस पर चलने वाली है। अजमेर वाटर वर्क्स के लिये जो लॉन दिया गया वह हमारी प्लॉन में से नहीं दिया गया, हमारी सिलिंग में से नहीं लिया गया, वह उधार लिया गया है लाइफ इन्शोरेन्स कॉरपोरेशन से। अजमेर म्युनिसिपल कौन्सिल को लॉन के रूप में मिली उसी हद तक हमको भी हमारी प्लॉन में रिलीफ मिला है।

एक अफसर के सिलेक्शन के बारे में कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास वे ही क्वालिफिकेशन भेजी गई जो वे पजेस करते थे; इसके अलावा दूसरा अफसर नहीं आ सकता था। इसके बारे में अर्ज करूं काइटेरिया रखा था वह यह था: "Qualifications prescribed for the post-B. A. LL. B. with three years practice at Bar or three years experience of legal drafting and litigation or L.S.G.D. or three years experience of local bodies."

इस प्रकार ये तीन काइटेरियाज थे जिनके अन्तर्गत कितने ही लोग आ सकते थे इसके लिये आठ दरख्वास्तें आयीं और इनको सिलेक्ट किया गया हमारे एप्रूवल के बाद। जहां तक काइटेरिया का ताल्लुक है कोई गड़बड़ काइटेरिया में नहीं की गई, कोई भी वकील जिनको तीन साल की प्रेक्टिस हो वे भी इसके लिये एलिजिबल थे।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक अफसर का रेकॉर्ड चेन्ज किया गया इसे पहले उनके सी० आर० में जो भी एन्ट्रीज थी वे सब अच्छी थी। जो कुछ कहा गया यहां वह यह कहा गया एक पर्टीकुलर केस के अन्दर नोट लिखा उसके अन्दर फेक्ट्स को सप्रेस किया गया। डी० एल० आर० से कहा गया सप्रेस नहीं किया गया। एक व्यू पोइन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से मूव हुआ उसको चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने ठीक समझा और उसको ठीक किया गया। जहां हम पोलिटिशियन्स से सर्विस क्लास की रक्षा करने की बात कहते हैं वहां हमें सर्विस क्लास सर्विस क्लास से प्रोटेक्शन हो, इस बारे में ध्यान में रखना होगा। हमारा यह जिम्मा है कि किसी को अनजस्टिस न हो यह देखने का है।

इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपलिटीज को ठीक ढंग पर लाने के लिये छोटे मोटे काम किये हैं और उसको इस लेवल तक लाने की कोशिश की है।

श्री विजयसिंह झाला: Point of order, Sir, कोई माननीय सदस्य किसी मिनिस्टर के लिये चेलेन्ज की कोई बात रखता है....

श्री उपाध्यक्ष: उसके लिये माननीय सदस्यों को इजाजत पहले लेनी पड़ती है अन्तर्गत रूल्स के।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैंने आपके आदेशों का पालन किया है। पर एक बहुत ही सीरियस यह एलीगेशन है....

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामकिशन (वैर): एक का जवाब नहीं दे पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इस तरह से तो १७६ प्रश्न आवेंगे।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७, सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१८,०३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

हां पक्ष जीता।

(अनवरत व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: Point of order, Sir... ..

श्री उपाध्यक्ष: No point of order can be raised when the question has been put.

श्री रामकिशन: असल मामला ही रह गया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न को न सुनना चाहें तो मैं मजबूर हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह गलत परम्परा होगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप गलत परम्परा डाल रहे हैं।

(विराम)

आप डिविजन चाहते हैं?

(मत विभाजन घंटी)

(अनवरत भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

डिविजन बेल बज रही है, आप बहस कर रहे हैं।

(पुन: अनवरत शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं कि डिविजन बेल बज चुकी है और उसके बाद में कोई बहस नहीं होनी चाहिये। मैं बहस भी अलाउ करने को तैयार था, लेकिन अब इस विषय में कोई भी सदन की व्यवस्था को कायम न रख कर अपनी ही बात पर केवल जोर देना चाहे तो वह बिल्कुल अनुचित है और इसीलिये मुझे इस पर बाध्य होना पड़ा। रूल्स में कई प्रकार के प्रावधान हैं कि किसी बात से असन्तोष है, एतराज है तो उन्हें और तरीके से आप कह सकें या उठावें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: आपने वचन दिया था........

श्री उपाध्यक्ष: आप उस विषय में पूछ सकते हैं। मैं पूछने का आश्वासन दे रहा था पर साथ ही साथ और बातों का भी आपको ख्याल रखना था।

श्री रामकिशन: यह तो कायदा है, स्पष्टीकरण आना चाहिये था।

(पुन: भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Now I again put the question.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप रूल्स के खिलाफ करना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम पूछना चाहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : This is all against the rules.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : हम चेयर पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक आदमी पर कातिलाना हमला हुआ है........

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

यह सदन का अपमान है। हम इस तरह के अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। इसके बारे में कम से कम कोई व्यवस्था होनी ही चाहिये। नहीं होती है तो इसके विरुद्ध मैं इस सदन का परित्याग करता हूँ।

(शोरगुल-मेज थपथपाना-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां तक उचित है कि हमें समय नहीं दिया गया है। सबन को हर प्रकार से धोखे में रखने की कोशिश की गई है। तो प्रोटेस्ट में हम भी बाहर जाते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं.........

(अनवरत भारी शोरगुल-अव्यवस्था-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मान्धातासिंह (महुआ) : मैं भी बहिर्गमन करता हूँ........

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जहां विरोधी दल के सदस्यों का प्रश्न आता है उनकी बातों को स्पष्टीकरण का समय न देते हुए चलते हैं, यह उनके अधिकारों का हनन है, मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, सदन त्याग करने के लिये मजबूर किया जा रहा है, हांलाकि हम करना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! I am putting the question.

(भारी शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१८,०३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २२ स्वीकार की गई।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१–विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८३,४४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक म॰ प॰ २ बज कर ३० मिनट पर १९ मार्च, १९६४ के म॰ पू॰ ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, दिनांक १८ मार्च, १९६४)

स्कम्भ

(१) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

नाले को पक्का बनाने की मंजूरी तथा पुलियों की मरम्मत, पंचायत समिति, लाडपुरा।

कस्बा सूरोठ में बिजली।

रेस्ट हाउस—साँचोर।

वन विभाग, बूंदी द्वारा चराई का ठेका तथा उससे आमदनी।

सिनेमाघरों एवं थियेटरों पर बिजली की बकाया।

कृषकों को दिये गये ऋण की वसूली।

कोटा ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड में राज्य सरकार के शेयर्स।

मैट्रिक नाप एवं तौल प्रणाली और जनसम्पर्क विभाग।

चराई की दरों में असमानता।

उद्योगों को पावर रेट तथा चुंगी में छूट।

भादरा—हिसार सड़क की टैक्स चौकी से आमदनी।

आंवल के ठेके, सिरोही।

लघु उद्योग के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने खोलने की योजना।

स्कम्भ

उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की चोरी, बीकानेर।

मुकदमों के शीघ्र निर्णय की व्यवस्था, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जयपुर।

नोहर—भादरा सड़क पर पुलियों के निर्माण से पानी निकासी में रोक।

सड़क निर्माण के लिए रकम पंचायत समिति, केशवराव पाटन।

किशनगढ़-कोट कासिम सड़क।

पंचायत समितियों द्वारा कर्जा तथा शर्तनामें की रजिस्ट्री।

रोहिड़ा से कोटड़ा सड़क निर्माण कार्य।

रोटेदा ग्राम के अध्यापक का व्यवहार।

(२-३-६४)

एनीकट एवं मेड़बन्दी।

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५६

सोफ्ट कोक डीलर्स, भादरा।

बिजली की योजना, तिजारा क्षेत्र।

मान्यता प्राप्त तथा ब्लेक लिस्टेड कॉन्ट्रेक्टर्स।

स्तम्भ

बस मालिकों से रोड एवं पैसेंजर टैक्स से बकाया की वसूली, जिला चित्तौड़गढ़ ।

निर्माण कार्य के लिए सरकारी अनुदान तथा श्रमदान-पंचायत समिति, धरियावद ।

टोंक जिले में बांधों का निर्माण ।

दी केन्द्रीय क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, भादरा की ऑडिट रिपोर्ट ।

प्लान्टेशन ।

कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स, गोविन्दगढ़ ।

एकाउन्ट्स ऑफिसरों के तबादले ।

(३) विधायी कार्य-पुरःस्थापित विधेयक ६४

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६४ सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया गया ।

(४) सदन की मेज पर रखा गया पत्र ६५

श्री मथुरादास माथुर, योजना मंत्री ने तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी मध्यावधि मूल्यांकन पुस्तिका (Third Plan Mid-term Appraisal) की एक प्रति सदन की मेज पर रखी ।

(५) उप-मन्त्री द्वारा वक्तव्य ६६

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व, ने बाबा भुवासीनाथ चेरिटेबिल ट्रस्ट, हरद्वारीगढ़ (गंगानगर) की भूमि अवाप्त किये जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

स्तम्भ

(६) आय-व्ययक, १९६४-६५

द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य

(२) मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-विविध

उपरोक्त मांगें क्रमशः श्री भीखा भाई, सामुदायिक विकास मन्त्री एवं श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई । इन मांगों पर कुल १३८ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री भीखाभाई, सामुदायिक विकास मन्त्री, श्री मथुरादास माथुर, योजना मन्त्री एवं श्री बरकतुल्ला खां, स्वायत्त शासन मन्त्री ने दिया । तत्पश्चात् मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

गुरुवार, दिनांक १९ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मतदान

(१) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता ।

(२) मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक ३१-न्याय प्रशासन ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६० का उत्तर देखिये।)

तालिका चराई आमदनी जो ठेके द्वारा प्राप्त हुई

सन्	आमदनी ठेका
१९६२–६३	१०,१००) रु०

नोट :—सन् १९५७-५८ से सन् १९६१-६२ तक चराई विभाग द्वारा वसूल की गई थी।

सन् १९५७-५८ से सन् १९६१-६२ तक ऊंटों की चराई विभाग द्वारा वसूली में निम्नलिखित आमदनी हुई:—

वर्ष	आमदनी	
१९५७–५८	७,७९५) रु०	अमानी से विभाग द्वारा
१९५८–५९	९,०९८) रु०	,,
१९५९–६०	११,४७८) रु०	,,
१९६०–६१	१२,५९६) रु०	,,
१९६१–६२	१४,९४३) रु०	,,

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये।)

नाम उद्योग	कच्चे पदार्थ जिन पर छूट दी गई	समय जब तक छूट दी गई
१, समस्त कोटा स्थित उद्योग।	ताम्बा, जो कि कच्चे माल के प्रयुक्त हो।	१-३-६३ से तीन वर्ष पर्यन्त।
२. पी.बी.सी. फैक्टरी, कोटा। (राजस्थान विनयल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज)	साल्ट, लाईम एण्ड लाईम स्टोन	३१-१२-७० तक।
३. मल्टीपरपज लि०	ताम्बा, शीशा, जस्ता, एलमोनियम, छड़ें, इंटें, सलाखों के रूप में मिश्रण।	३१-१२-७० तक।
४. नाईलोन फैक्टरी, कोटा।	अपरोसेस्टम।	३१-१२-७० तक।

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सड़क निर्माण के लिए रकम, पंचायत समिति, केशवराय पाटन

५०९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सड़क निर्माण के कार्य हेतु पंचायत अरनेठा को केशवराय पाटन पंचायत समिति के द्वारा रकम दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो कुल कितनी रकम कौनसे साल में किसको दी गई थी और सड़क का निर्माण कार्य हुआ है या नहीं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. सन् १९६१ में १५५०) रु० दिये गये थे। सड़क का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ।

किशनगढ़-कोट कासिम सड़क

५१०. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ से कोटकासिम (जिला अलवर) की सड़क अभी पूरी नहीं हुई है और पुर से कोट-कासिम तक ५ मील का टुकड़ा सड़क का अभी बिल्कुल ही नहीं बनाया गया ?

(२) किशनगढ़ से कोटकासिम सड़क को बनाना कौन से साल में शुरू किया गया था ?

(३) क्या सरकार इस सड़क को इसी साल में पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सन् १९५९-६० में।

(३) जी नहीं।

पंचायत समितियों द्वारा कर्जा तथा शर्तनामें की रजिस्ट्री

५११. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि १००) रु० या इससे अधिक कर्जा लेने के लिए कर्जा लेने वाले को पंचायत समिति के हक में कर्जा शर्तनामों की रजिस्ट्री कराना कानूनन जरूरी है ? अगर हां, तो इस रजिस्ट्री की फीस कौन अदा करता है ?

(२) क्या इस प्रकार के शर्तनामें की रजिस्ट्री पंचायत समितियों में अब तक होती थी ? अगर नहीं, तो अब ऐसी रजिस्ट्रियां क्यों कराई जाती हैं ?

(३) क्या यह सच है कि अगर शर्तनामें की रजिस्ट्रियां कराना शुरू किया गया तो कोई काश्तकार कर्जा लेने के लिए तैयार नहीं होगा और विकास रुक जावेगा ?

(४) इस कठिनाई को दूर करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? अगर पंचायत समिति से दिए जाने वाले कर्जे को प्लेज नहीं किया जाय तो सरकार को क्या कठिनाई पैदा होती है ?

उत्तर

(१) यदि १००) रु० या इससे अधिक का ऋण प्राप्त कर्त्ता की अचल संपत्ति पर दिया जाता है तो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत लोन बांड की रजिस्ट्री कराना आवश्यक होता है तथा इसके लिए रजिस्ट्री की फीस ऋण प्राप्त करने वाले को देनी होती है।

(२) साधारणतया पंचायत समितियां अचल संपत्ति पर ही ऋण देती रही है इसलिए रजिस्ट्री का कराया जाना पहले से ही अनिवार्य था।

(३) ऐसे किसी भय की संभावना प्रतीत नहीं होती।

(४) नियमों में पहले से ही ऐसा प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण दिया जा सकता है तथा ऐसी सूरत में रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं होती है।

रोहिड़ा से कोटड़ा सड़क निर्माण कार्य

५१२. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिण्डवाडा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सरूपगंज (जिला सिरोही) से कोटड़ा (जिला उदयपुर) जाने वाली सड़क के रोहिड़ा से कोटड़ा तक का कार्य किस साल शुरू किया गया था ?

(२) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितनी राशि आज तक खर्च की गई है ?

(३) क्या यह कार्य रोहिड़ा और खांपा बंगला के बीच रुक गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(१) वर्ष १९५९-६० में।

(२) ३,८०,०००) रु० की राशि स्वीकृत है। कुल ३,८२,९८१) रु० व्यय हो चुका है।

(३) कार्य चालू है।

(४) आशा है वर्ष ६४-६५ तक।

रोटेदा ग्राम के अध्यापक का व्यवहार

५१३. श्री हरीप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिला पाटन तहसील में रोटेदा ग्राम के निवासी श्री नेमीचन्द जैन वहां स्कूल में अध्यापक है ?

(२) यदि हां, तो वे कितने वर्षों से हैं ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों के साथ इनका व्यवहार उचित नहीं है और कितनी ही व्यक्तियों के साथ आपस में गाली गलोच करने व मारपीट करने के कारण मुकदमे चल रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि यह सज्जन एक माह में १५ दिन मुकदमे बाजी के कारण व अन्य कारणों से रोटेदा से बाहर रहते हैं और स्कूल में इनकी हाजरी दर्ज होती रहती है ?

(५) क्या यह सही है कि स्कूल एक पार्टी का अड्डा बना हुआ है और स्कूल की ड्यूटी के समय में घर पर रहना, खेतों को संभालना यह कार्य जारी रहता है ?

(६) क्या यह सही है कि इनकी कितनी बार शिकायतें हो चुकी हैं और वे मोअत्तिल किये गये किन्तु तबादला नहीं किया गया ?

(७) क्या सरकार ऐसे अयोग्य अध्यापकों को दूसरे स्थान पर बदलने में कोई बाधा समझती है ?

(८) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को शीघ्र रोटेदा ग्राम से तबादला कर देने व उनकी हरकतों की जांच करने के निर्देश जिला परिषद् द्वारा दिये गये थे ?

(९) परिषद् के आदेशों की अवहेलना करके एक अध्यापक का पक्ष करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लगभग सात वर्ष से हैं।

(३) कुछ अंश में सही है।

(४) इस संबंध में जांच की जा रही है।

(५) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(६) जी हां।

(७) पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पंचायत समिति, जिला कर्मचारी वर्ग समिति तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन ही कर सकते हैं। राज्य सरकार नहीं कर सकती।

(८) जिला परिषद् द्वारा जांच करने के लिए लिखा गया था व जांच की जा रही है।

(९) आदेशों की अवहेलना करना प्रकट नहीं होता।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १८२ का उत्तर देखिये)

सूची मालिकान जिनमें पेसेन्जर टॅक्स बकाया है। एए टे डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़

	नाम बस मालिक	नं० बस	टॅक्स बकाया की तारीख	तादाद रकम	हालात कार्यवाही वसूली
१	२	३.	४	५	६
१.	श्री कन्धारी बाबु चित्तौड़गढ़	आर. जे. आर. १८११ व ३०५	२६-८-६१	११००,६५१	हाईकोर्ट जोधपुर।
२.	”	१८११ ३०५	१२-७-६२ १२-७-६२	७८३ १२८	रिवीजन श्रीमान् कमिश्नर साहब, उदयपुर।
३.	श्री अहमदअली तुलाखान निम्बाहेड़ा	४५	२-१-६४	३१५६	नोटिस दिया गया है यह रकम २-१-६४ के एसेसमेंट की बाकी है।
४.	श्री भेरूमल सिन्धी चित्तौड़गढ़	५५७१	१-१-६४ से	४१०.२५	ता० २-३-६४ को जमा हो चुके।
५.	श्रीमती दौलतकुंवर अनोपपुरा	६६०७	१-१-६४ से	७९५.००	नोटिस दिये गये।
६.	श्री हरिसिंह ललित सिंह बेगु	११८७	१-१-६४ से	७१०.००	”
७.	श्री रामेश्वरलाल पुरषोत्तमलाल चित्तौड़गढ़	३००५	१-१-६४ से	१७५.००	”
८.	श्री जगदीशचन्द्र पंचोली चित्तौड़गढ़	१२२५	१-१०-६३ से	१२००	”
९.	श्री मोहम्मदआतिक मोहम्मद सबिक निंबाहेड़ा।	४५	१-४-६३ से	३५००.००	पेनेल्टियां चालू हैं और अदालत में चालान भी कराया गया है।
१०.	श्री सैयदखान पिता मोहम्मदखां निम्बाहेड़ा	३८२५	१-४-६३ से	४,०००	पेनेल्टी चालू है।
११.	भवानीबस सर्विस बांसवाड़ा	आर.जे.बी. २०६ २८१	१-४-६३ से	—	नोटिस दिये गये हैं यह बांसवाड़ा के टाइम से ही बकाया हैं। एसेसमेंट भी बकाया है।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) में केटल ब्रिडिंग फार्म के लिए दी गई रकम की सूची

क्र. सं.	नाम	रकम जो दी गई	रकम देने की तारीख	वसूल की जाने वाली रकम	वसूल की गई रकम	खरीदी गई गायों की संख्या	विशेष विवरण
१.	श्री बन्सीसिंह पुत्र सुरजनसिंह	२५००)	२८-३-६०	३१५)	३१८६)	—	पूरी वसूली हो चुकी है पी. डी. आर. द्वारा।
२.	„ लक्ष्मीनारायण दिलसुख पुत्र भौरेलाल	३०००)	२८-३-६०	३७८०)	३४८०)	—	पी. डी. आर. में चल रहा है।
३.	„ चन्दुलाल पुत्र मोहर पाल	५००)	२८-३-६०	—	५१.३० वसूली ६ किश्तों में हो रही है।	—	बाकी गाय खरीदने के लिए कहा गया है।
४.	„ मोदी नवीन चन्द पुत्र बाबूलाल	३०००)	२८-३-६०	३७८०)	३०००.००	—	पी. डी. आर. में चल रहा है।
५.	„ प्रहलाद सिंह पुत्र कल्याणसिंह	३०००)	२७-५-६०	...	११७०.८० वसूली किश्तों में हो रही है।	—	सांड (बिजार) अभी तक नहीं खरीदा है। ५००) रु० अनुदान, बिजार खरीदने के लिए मंजूर हो चुका है जो कि उन्होंने ये पैसा अभी तक नहीं उठाया है।
६.	„ बुद्धी लाल पुत्र भौरू लाल	३०००)	७-१०-६०	—	६४५.०० „ „		—
७.	„ राम दयाल पुत्र बंशीधर	३०००)	७-१०-६०	३६००.००	—		पी. डी. आर. में चल रहा है।
८.	„ जगनप्रसाद पुत्र रामकिशोर	३०००)	२०-६-६०	३७८०.००	१३३०.००		„ „ „ „
९.	„ राजेन्द्र सिंह पुत्र कर्णसिंह	१५००) पहली किश्त	२६-७-६१	प्रथम किश्त दी गई है।			पूरा ऋण नहीं लिया है।

शुद्धि पत्र

(बुधवार, दिनांक १८ मार्च १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	११	न्याय विभाग	न्याय-विभाग
,,	१५	(दिगोद)	(दीगोद)
२	अन्तिम से	कु०	कुं०
३	१७	(श्री चन्दनमल बैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
५	१	विद्यत् मंत्री	विद्युत् मंत्री
१०	१	गृह मंत्री	विधि मंत्री
११	१६	श्री चन्दनमल बैद	श्री चन्दनमल वैद
१२	५,२२,३१	,, ,,	,, ,,
१३	४,२०,२८	,, ,,	,, ,,
१४	अन्तिम से ४	,, ,,	,, ,,
१५	शीर्ष	(श्री चन्दमल बद)	(श्री चन्दनमल वैद)
१७	२३	[श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा पूछा गया]	[श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया]
२२	अन्तिम से ५,४	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल जोहरी बाजार	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार,
,,	,, २	श्री मथुरेश (बिहारी	श्री मथुरेश बिहारी
२८	१७	(श्री चन्दनमल बैद)	(श्री चन्दनमल वैद)

१	२	३	४
२९	१	देखें)	देखिये)
,,	६,१३,२१	श्री चन्दनमल बैद	श्री चन्दनमल वैद
३०	१,१०,१६	,, ,,	,, ,,
३२	१	,, ,,	,, ,,
,,	अन्तिम से ३	श्री मुकट बिहारीलाल गोयल	श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल
३३	शीर्षक	रा० वि० वि०-१८ मार्च, १९६४ संशोधन विधेयक, १९६२	तारांकित प्रश्नोत्तर-१८ मार्च, १९६४-तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	शीर्ष	(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
३५	१	श्री चन्दनमल बैद	श्री चन्दनमल वैद
३६	१४,१५	(श्री परशराम मदेरणा)	(श्री परसराम मदेरणा)
३७	६,७	(पिंडवाडा)	(पिंडवारा)
४०	१	प्रश्न सख्या	प्रश्न संख्या
,,	४	प्रश्न संख्या ५०५ श्री दयानन्द सोन	प्रश्न संख्या ५०५ श्री दयाचन्द सोन
४१	शीर्ष	(श्री चन्दनमल बैद)	(श्री चन्दनमल वैद)
,,	८,१४	श्री चन्दनमल बैद	श्री चन्दनमल वैद
४२	२३,२८	,, ,,	,, ,,
४३	शीर्ष ७,-१६, २४	,, ,,	,, ,,
४४	४,१७,२८	,, ,,	,, ,,
४५	७,१६	,, ,,	,, ,,

१	२	३	४
५०	१६,१७	उप मंत्रो, सार्वजनिक निर्माण विभाग	उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण
५१	६	श्री हुरिश्चन्द्र: बिचल्कुल	श्री हरिश्चन्द्र : बिल्कुल
५५	१६	श्री भवानीशकर नन्दवाना	श्री भवानी शंकर नन्दवार्ना
५७	शीर्ष	(हुरिराम चोहान)	(श्री हुरिराम चौहान)
५६	,,	(श्री उमरावसिह ढाबरियां)	(यातायात मंत्री)
,,	७	श्री उदयलाल बर्दिया	श्री उदयलाल वर्दिया
६१	शीर्ष	(श्री हुरदत्तसिंह)	(सहकारी मंत्री)
६२	अन्तिम से ५	श्री नत्थीसिह	श्री नत्थीसिंह
६४	शीर्षक	रा० वि० स० वि० १९६४	अतारांकित प्रश्नोत्तर
,,	१५	परिलाभ :)	परिलाभ)
६५	शीर्षक	सदन की मेज पर रखना-१८ मार्च, १९६४- बा० मु० चे० ट्रस्ट सम्बन्धी वक्तव्य	विधेयक का पुरःस्थापन-१८ मार्च, १९६४-तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी
६६	१०	बाबा उवासीनाथ	बाबा मुवासीनाथ
,,	११	हुरद्वारीगढ़ गंगानगर	हरद्वारीगढ़ (गंगानगर)
६७	शीर्षक	सदन की मेज पर रखना-१८ मार्च, १९६४- बा० मु० चे० ट्रस्ट सम्बन्धी वक्तव्य	बाबा मुवासीनाथ चेरिटेबल- १८ मार्च, १९६४ इन्स्टीट्यूट विषयक
६९ से ७२	,,	पुलिस थाने में मारपीट-१८ मार्च, १९६४-सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव	,, ,,
७३	,,	मांग संख्या २२ व ३५ १८ मार्च, १९६४- सा० वि० प० एवं विविध	स्थगन प्रस्ताव - १८ मार्च, १९६४-मांग संख्या २२ व ३५

१	२	३	४
७३	६	२२ व ३५ सामुदायिक	२२ व ३५—सामुदायिक
७४	२	प्रस्तुत हुए]	प्रस्तुत हुए :—
८०	शीर्षक	पर एवं	प० एवं
८१ से ६५	,,	भाग संख्या	मांग संख्या
८२ से ६६	,,	पा एवं	प० एवं
८७	अन्तिम से ३	श्री चन्द्रसिंह बर्फी	श्री चन्द्रसिंह बर्फा
६६	२	श्री हरिराम धारू	श्री हरिराम धारू
१०१ से १६०	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण—१८ मार्च, १६६४— संक्षिप्त विवरण	मांग संख्या २२ व ३५—१८ मार्च, १६६४—सा० वि० प० एवं विविध
१३२	८	(बाली)	(बाली) :
१६०	१४	आगे श्री गोयल बोलेगें	आगे श्री गोयल बोलेंगे
१६३	शीर्षक	—१८ मार्च १६६४	—१८ मार्च, १६६४—
१६४	११	ज्वाला प्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
१७७ से १६०	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण—१८ मार्च, १६६४— संक्षिप्त विवरण	मांग संख्या २२ व ३५—१८ मार्च, १६६४—सा० वि० प० एवं विविध
१७६	२१	श्री हरिराम (चौहान)	श्री हरिराम चौहान
१८२	अन्तिम से ५	श्री गिरवारीलाल व्यास (आसिन्द)	श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
१८४	अन्तिम से २	श्री रघुताथ विश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
२०१ से २८८	शीर्षक	मांग संख्या २ व ३	मांग संख्या २२ व ३५
२६२	५	श्री मानकचंद	श्री मानिकचन्द
२६३	अन्तिम से ५	(बर)	वैर
२६६	१४	श्री हरीप्रसाद	श्री हरिप्रसाद